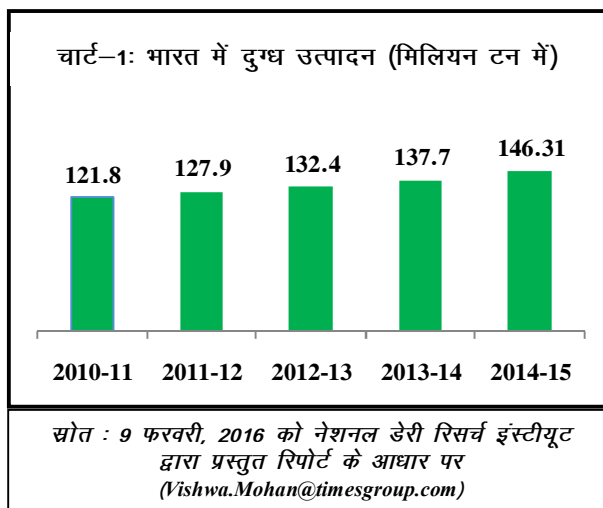


अध्याय — 1

प्रस्तावना

1.1 भारत में डेयरी उद्योग एवं दुग्ध उत्पादन

1.1.1 वर्तमान में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया के दुग्ध उत्पादक देशों में उच्चतम स्थान रखता है। नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भारत के कृषि मंत्री के साथ दिनांक 9 फरवरी, 2015 को हुई बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1950-51 में 17 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन से प्रारम्भ कर वर्ष 2014-15 में भारत का दुग्ध



उत्पादन बढ़कर 146.31 मिलियन टन पहुँच गया है तथा दुग्ध उत्पादन की वर्तमान स्तर की दृष्टि से भारत दुग्ध उत्पादक देशों में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है (चार्ट-1)। भारत के बाद यू.एस.ए., चीन, पाकिस्तान तथा ब्राजील का स्थान आता है। यद्यपि कुल दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से, अर्थात् प्रति पशु दुग्ध उत्पादन के परिपेक्ष्य में, भारत विकसित देशों की तुलना में अभी बहुत पीछे है।

1.1.2 यूनाइटेड नेशन्स की फूड एवं एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ.) संस्था के अनुसार पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत की सहभागिता 16 प्रतिशत है। इसके बावजूद कम उत्पादकता एवं दुग्ध की वृहद घरेलू मांग के कारण भारत मिल्क सरप्लस देशों में स्थान नहीं रखता। दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा एक नई पहल 'नेशनल गोकुल मिशन' लांच किया है। इस मिशन के अन्तर्गत पेशेवर फार्म मैनेजमेंट के माध्यम से स्वदेशी दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के मुख्य घटक निम्नवत् हैं—

1. **पशु नस्ल सुधार** : प्रोजेनी टेस्टिंग एवं पैडीगरी सलेक्शन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित विधियों का उपयोग कर हाई जैनेटिक (एच.जी.एम.) एवं रोगमुक्त पशु एवं भैंसा-सांडों का उत्पादन।
2. **पोषण**: दुग्ध उत्पादन की कुल लागत में 70 प्रतिशत लागत फीड के मद में आती है। अतः इसके लिए मिशन में निम्न गतिविधियों का प्राविधान है—
 - राशन बैलेंसिंग हेतु यूजर फ्रेंडली कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास।

- किसानों का यूजर फ्रेंडली कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण।
- अच्छे किस्म के चारा बीज उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 लोकल रिसोर्स परसन्सन (एल.आर.पी.) को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, जो किसानों को राशन बैलेंसिंग एवं पशु पोषण के बारे में जानकारी देंगे।

3. **समुदाय आधारित दुग्ध संग्रहण प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** भारत में लगभग 70 मिलियन ग्रामीण परिवार दुग्ध उत्पादन में संलग्न हैं। भारत सरकार की मंशा है कि इनके द्वारा उत्पादित 70 प्रतिशत मार्केटबल सरप्लस संगठित क्षेत्र द्वारा हैण्डल किया जाय, जिसके लिए मिशन में निम्नवत् सहायता का प्रावधान किया गया है—

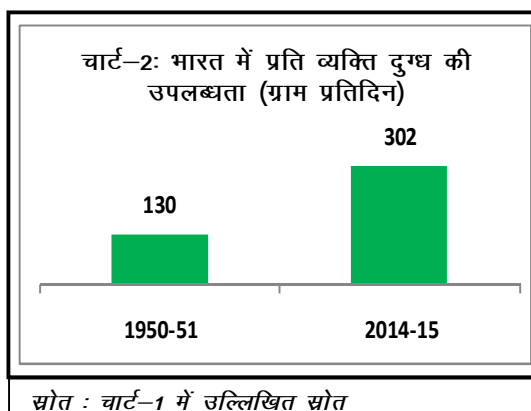
- समुदाय आधारित दुग्ध संग्रहण प्रणाली का विस्तार
- वर्तमान में उपलब्ध डेरी समितियों का सुदृढीकरण
- संस्थागत संरचना के निमार्ण हेतु सहायता

मिशन एक 15 वर्षीय कार्यक्रम है। वर्तमान में इसका केन्द्र बिन्दु 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। उत्तराखंड फिलहाल इन राज्यों में सम्मिलित नहीं है। इस कार्यक्रम का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित राज्य निम्न शर्तों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होंगे—

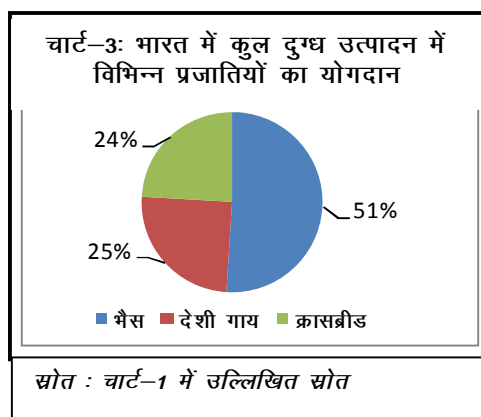
- राज्य की अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी है।
- राज्य की ए.आई. डिलीवरी प्रणाली हो।
- ए.आई. हेतु दरे धीरे-धीरे बढ़ाकर अन्ततः पूरा व्यय कवर करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण हो।
- राज्य में महज ग्रेड-ए या ग्रेड-बी वीर्य का उपयोग हो, आदि।

भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के आंकलन के अनुसार वर्ष 2016–17 तक भारत में दूध की मांग 155 मिलियन टन तथा 2021–22 तक 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इस बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु अगले 15 वर्षों के दौरान औसतन 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

1.1.3 जहाँ तक भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता का प्रश्न है, 1950–51 में भारत में यह 130 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, जो 2014–15 में बढ़कर 302 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गयी है। यह मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मात्रा से अधिक है (चार्ट-2)।



1.1.4 जहाँ तक देश में कुल दुग्ध उत्पादन में विभिन्न दुधारु प्रजातियों की हिस्सेदारी का प्रश्न है, वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस प्रजाति का आधे से अधिक (51%) योगदान है। इसके बाद देशी गाय प्रजाति (25%), क्रासब्रीड गाय प्रजाति (24%) का योगदान है। इससे स्पष्ट है कि दुग्ध उत्पादन में क्रासब्रीड गाय प्रजाति की सहभागिता बढ़ाने की सम्भावनायें व्यापक हैं (चार्ट-3)।



1.1.5 भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग छोटे एवं लघु किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है जिनके पास अमूमन एक से दो दुधारु पशु रहते हैं। भारत में अन्य देशों, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आदि की तुलना में दुग्ध उत्पादकता बहुत कम है। निश्चित रूप से इन देशों को उन्नत पशु प्रजातियों, अत्यधिक मशीनीकरण एवं वृहद हर्ड साइज का लाभ प्राप्त है। भारत में पशुपालन में पारिवारिक श्रमिकों पर निर्भरता अधिक है तथा हर्ड साइज छोटा होने के कारण मशीनीकृत मिलकिंग सिस्टम अपनाने की अपनी सीमायें हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हर्ड साइज बड़ा हो, पशु प्रबन्धन सामूहिक हो तथा मशीनीकरण का उपयोग हो। परन्तु ये सभी चीजें अभी प्रारम्भिक स्टेज पर हैं।

1.1.6 दूध भारतीय भोजन का अभिन्न अंग रहा है। इसके बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक वर्षों तक भारत दुग्ध उत्पादन में काफी पीछे रहा। इस स्थिति ने भारत सरकार को आपरेशन फ्लड लांच करने हेतु प्रेरित किया जो सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सबसे सफल कार्यक्रम के रूप में उभर कर आया है। ऑपरेशन फ्लड निम्न तीन उद्देश्यों से निम्न तीन चरणों में लागू किया गया –

- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना
- ग्रामीण आय में वृद्धि करना
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दुग्ध उपलब्ध कराना

1.1.7 वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में न केवल आत्म निर्भर है वरन् थोड़ा बहुत निर्यात भी करता है। ऑपरेशन फ्लड के अन्तर्गत छितरे-बितरे गांवों को जोड़कर एक साथ लाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी जिसके फलस्वरूप भारत दुग्ध उत्पादक देशों में सर्वोच्च स्थान पर है। वर्तमान में पशुधन सेक्टर का भारत के कुल जी.डी.पी. में 4 प्रतिशत योगदान है जिसमें डेरी सेक्टर का योगदान मुख्य है। दुग्ध उपार्जन भारत के लगभग 80-90 मिलियन दुग्ध उत्पादकों की आय का द्वितीयक स्रोत है जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन में इसकी भूमिका स्वतः स्पष्ट है।

- 1.1.8 लोगों की आय में वृद्धि तथा खपत के ढर्रे में हुये परिवर्तन के कारण विगत कुछ वर्षों से प्रसंस्कृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कार्य में कोऑपरेटिव सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है। परन्तु पिछले 10-15 वर्षों से प्राइवेट सेक्टर ने भी दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में अपनी क्षमता बढ़ाने में अच्छी प्रगति की है। विगत 4-5 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर ने डेरी सेक्टर में लगभग 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुछ वृहद एवं मध्य स्तरीय प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों ने ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रहण के क्षेत्र में पैठ बढ़ायी है। इनकी रणनीति भी कोऑपरेटिव मॉडल के समान है।

चूंकि लघु एवं मध्य स्तरीय किसानों पर दुग्ध उत्पादन हेतु निर्भरता जारी रहेगी अतः लोगों को जोड़कर बड़ा पशु समूह तैयार करना, पशुओं का वैज्ञानिक प्रबन्धन, मशीनीकरण का उपयोग, पशुओं की ब्रीड का उन्नयन आदि को गति प्रदान करना भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। साथ ही फीड की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाने की भी महती आवश्यकता होगी।

- 1.1.9 रोबो बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार-भारतीय डेरी उद्योग एक मजबूत उपभोक्ता उद्योग के रूप में उभर रहा है जिसकी वृद्धि की गति बहुत तेज चल रही है। यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में वैल्यू ऐडेड मिल्क प्रोडक्ट्स की खपत एवं मांग में वृद्धि एवं वैल्यू चेन में औपचारिकता आ जाने के साथ इसमें और तेजी आयेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं में उच्च प्रोटीन डाइट के प्रति रुझान, व्यय करने की शक्ति में वृद्धि, विभिन्न चैनलों जैसे संगठित रिटेल एवं फूड सेगमेंट की जानकारी एवं उपलब्धता के कारण उद्योग को गति मिल रही है। उत्तराखण्ड में भी इस स्थिति का लाभ उठाकर प्राइवेट उद्यमियों को डेरी उद्योग में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। आर्गेनिक दूध उनको प्रोत्साहित करने हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। परम्परागत रूप से दुग्ध क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की कम भूमिका थी क्योंकि तरल दुग्ध की कीमत का 80 प्रतिशत भाग किसानों को चला जाता था। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम ऑपरेटिंग मार्जिन (4-5 प्रतिशत) मिलता था। इस कारण आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा दुग्ध उत्पादकों के विकास में धन विनियोग करने हेतु उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं बचती थी। पिछले दशक में भारतीय जनसांख्यिकी की प्रकृति में परिवर्तन के फलस्वरूप बदलाव आया, जिससे वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में काफी वृद्धि हुई। इससे प्राइवेट कम्पनियों को आकर्षण मिला क्योंकि तरल दूध की तुलना में वैल्यू ऐडेड डेरी प्रोडक्ट्स की लाभदेयता में लगभग दो गुने का अन्तर है। जबकि तरल दूध में लाभदेयता औसतन 4-5 प्रतिशत है वहीं वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में लाभदेयता 12-20 प्रतिशत होती है तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सेगमेंट लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि डेरी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है।

1.2 उत्तराखण्ड में डेयरी उद्योग

- 1.2.1 उत्तराखण्ड राज्य के लगभग 90 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं एवं कृषि भूमि कम होने के कारण अधिकतर कृषक अपनी आजीविका हेतु कृषि के साथ-साथ डेयरी पर निर्भर करते हैं। साथ ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त दूध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं/पर्यटकों/तीर्थयात्रियों/संस्थाओं को उचित दर पर उच्च गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में डेयरी विकास विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को ग्राम स्तर पर तकनीकी सुविधायें यथा रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशु स्वास्थ्य सेवायें, चारा विकास व प्रशिक्षण तथा दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण व अनुदान आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही है।
- 1.2.2 डेरी विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक समस्याओं के अनुरूप दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को सहकारी दूध समितियों के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय की तरफ आकर्षित करने की पहल की गयी, परन्तु यह अनुभव किया गया कि जब तक दुग्ध प्रसंस्करण का आधारभूत ढांचा तैयार न कर लिया जाये तब तक दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य भुगतान सुनिश्चित नहीं कराया जा सकता। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व में स्थापित लालकुंआ (नैनीताल) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व देहरादून की दुग्धशालाओं का पुर्नगठन, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। श्रीनगर (गढ़वाल), चमोली, टिहरी व उत्तरकाशी में दुग्धशाला की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया जो नवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी जारी रहा। इसके अतिरिक्त नये अवशीतन केन्द्रों का निर्माण व पुराने अवशीतन का सुदृढीकरण, पुर्नगठन व विस्तारीकरण भी किया गया। वर्तमान में 7 दुग्धशालायें व 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र तथा 39 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उत्तम गुणवत्ता का संतुलित पशुआहार उत्पादित सहकारिताओं में विक्रय किया जा रहा है।

1.3 उत्तराखण्ड में संचालित डेरी विकास विभाग की विभिन्न अनुदान प्राप्त योजनायें

राज्य सेक्टर योजनायें

- 1.3.1 डेरी विकास योजना— वर्ष 2000-01 से राज्य में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संघ हेतु कार्य संचालन में सहायता तथा डेरी से सम्बन्धित अवस्थापनाओं का विकास करना है। योजना के संचालन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में मूलतः प्रबन्धकीय एवं परिवहन अनुदान तथा प्लांट मशीनरी हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्लांट मशीनरी स्थापना तथा सिविल निर्माण कार्य हेतु निवेश दुग्ध संघ के उपयोग के लिए किया जाता है। जहाँ तक परिवहन अनुदान का

प्रश्न है, विशेषतः राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन कार्य में हो रहे अत्यधिक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति परिवहन अनुदान के रूप में की जाती है। विभिन्न मदों में डेरी विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित रूप से अनुदान दिया जाता है –

- ❖ ग्रुप सचिवों को रु. 4000/— प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है।
- ❖ दुग्ध परिवहन व्यय में होने वाले व्यय के 60 से 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में की जाती है।
- ❖ दुग्ध संघों को उनकी आवश्यकता अनुसार प्लांट मशीनरी क्रय तथा सिविल निर्माण कार्य हेतु शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- ❖ दुग्ध संघों को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन संवर्द्धन हेतु प्रचार-प्रसार मद में शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

जिला सेक्टर योजना

1.3.2 **ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण योजना**— वर्ष 2000-01 से राज्य में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त रोजगार के साधन सुलभ कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जाती हैं। इस योजना में दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को रियायती दर पर सन्तुलित पशु आहार तथा निःशुल्क पशु चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। दुग्ध समितियों के कार्य संचालन हेतु प्रबन्धकीय अनुदान, क्रियाशील पूंजी तथा हेडलोड अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। योजना अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुदान निम्नवत् है—

- ❖ समिति संगठन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः रु.53200/—, रु.18000/— एवं रु.15800/—की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- ❖ दुग्ध समिति सदस्यों को रु.1.50/— (मैदानी क्षेत्र) व रु.3.00 (पर्वतीय क्षेत्र) प्रति किलोग्राम की दर से पशुआहार अनुदान।
- ❖ दुधारू पशुओं हेतु निःशुल्क पशु औषधियां।
- ❖ दुग्ध समिति हेतु रु. 0.25 व रु. 0.50 प्रति लीटर प्रति किलोमीटर की दर से हेडलोड अनुदान।
- ❖ प्रशिक्षण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान।
- ❖ दुग्ध संघ में अवस्थापना विकास हेतु शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

1.3.3 **महिला डेरी विकास योजना** — इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का आर्थिक एवं समाजिक उत्थान करना है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की समितियों का गठन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, दुग्ध परिवहन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना संचालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन, महिला दुग्ध समितियों में स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों के

समाजिक उत्थान हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित है। योजना अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुदान निम्नवत् है –

- ❖ समिति संगठन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः रु.53200, रु.18000 एवं रु.15800 की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- ❖ शेष मदों में शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

1.3.4 **गंगा गाय महिला डेरी योजना** – इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में समस्त महिलाओं की खुली बैठक कर योजना के उद्देश्य, क्रियान्वयन की रीति एवं उसके गुण/लाभ आदि से समस्त महिला सदस्यों को अवगत कराया जाता है तथा उनमें से ऐसे इच्छुक एवं जागरूक महिला सदस्यों का चयन किया जाता है जो योजना की प्रस्तावित रीति के अनुसार संकर नस्ल की दुधारू गाय का क्रय जिले/प्रदेश से बाहर करना चाहती हैं। चयनित लाभार्थियों को पशु क्रय से पूर्व एवं बाद में दो बार निशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाता है। योजनान्तर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु पशु नांद निर्माण के लिए अनुदान देय है। साथ ही योजना में दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादन में जिला एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान करने पर पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

(प्रति यूनिट में)

क्र. सं.	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1	क्रास ब्रीड गाय 10 लीटर/ दिन)	1	40,000	20,000	20,000	0
2	परिवहन लागत	1	2,800	1,400	0	1400
3	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1,920	960	0	960
4	दुधारू पशु हेतु 4-5 माह के लिए चारे दाने की व्यवस्था	1	5,280	2640	0	2640
5	पशु नांद निर्माण	1	2,000	2000	0	0
योग		1	52,000	27,000	20,000	5000
स्रोत : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित गंगा गाय महिला डेरी योजना सम्बन्धी पुस्तिका						

1.3.5 **दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि** : दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा दुग्ध मूल्य भुगतान दुग्ध की गुणवत्ता के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त डेयरी विकास विभाग द्वारा रु.4/- प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

विभाग द्वारा शासकीय सहायता के समक्ष जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से निम्नवत् सेवाये प्रदान की जा रही हैं –

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन – दुग्ध समितियों के गठन हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रत्येक दुग्ध समिति को प्रथम तीन वर्षों में क्रमशः रु.36,700/-, रु.12,000/- एवं रु. 5,300/-की सहायता प्रदान की जाती है।
- ❖ प्राथमिक पशुचिकित्सा – यह सेवा प्रत्येक समिति सदस्य हेतु निशुल्क उपलब्ध है।
- ❖ डिवार्मिंग– यह सेवा प्रत्येक समिति सदस्य हेतु निशुल्क उपलब्ध है।

- ❖ संतुलित पशुआहार— दुग्ध उत्पादकों को लाभ हानि रहित व्यवस्था के अन्तर्गत रियायती दरों पर संतुलित पशुआहार की आपूर्ति। पर्वतीय क्षेत्र में रु. 4/— प्रति किग्रा. तथा मैदानी क्षेत्र में रु.2/— प्रति किग्रा. पर अनुदान दिया जा रहा है।
- ❖ दुग्ध समिति सदस्यों को रोड़ हैड तक दूध पहुँचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रु.50 पैसे प्रति लीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में रु.25 पैसे प्रति लीटर की दर पर अनुदान दिया जा रहा है।
- ❖ दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4.50 व 5.00 लाख रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु क्रमशः 4.50 व 5.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।
- ❖ भूसा क्रय हेतु रिवाल्विंग फण्ड पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रु.50,000/— तथा मैदानी क्षेत्रों में रु.25,000/— प्रति समिति दिया जाता है।
- ❖ दुधारू पशुओं हेतु पशुशाला के लिए रु.12,000/— व पशुनांद निमार्ण हेतु रु.4,000/— का अनुदान।
- ❖ जागरूकता शिविरों का आयोजन, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में अपमिश्रणों की जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन हेतु रु.7,000/— प्रति शिविर का प्रावधान है।
- ❖ प्रशिक्षण दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन, चारा विकास, कौशल उच्चीकरण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, आदि की नवीनतम तकनीकी जानकारी सहित प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाता है।
- ❖ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति — नगरीय उपभोक्ताओं/पर्यटकों/तीर्थयात्रियों एवं विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है।
- ❖ महिला डेरी परियोजना — महिला दुग्ध समितियों में बचत की भावना जागृत करने एवं अतिरिक्त आय के साधन सृजित करने हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है।
- ❖ दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन — दुग्ध सहकारी समितियों का कार्य संतोषजनक होने पर उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अन्तर्गत दुग्ध समितियों का निबन्धन किया जाता है।

1.3.6 **प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना**— राज्य में दो प्रशिक्षण संस्थान, एक जनपद अल्मोड़ा तथा दूसरा देहरादून में स्थापित है। प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से राज्य के दुग्ध उत्पादकों को पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान, सहकारी समिति के सचिवों तथा प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों को सहकारी समितियों के संचालन व सहकारी समिति अधिनियम की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को डेरी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय — 2

महिला डेरी विकास योजना, इसके सृजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

- 2.1.1 उत्तराखण्ड राज्य की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो अधिकांशतः अशिक्षित एवं गरीब है। इन गांवों का विकास तभी सम्भव है जब गांव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाय और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी न्यूनतम आवश्यकतायें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था की जाय, क्योंकि शक्ति का आधार सम्बद्ध क्षेत्र के मानव संसाधन की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह संसाधन की आवश्यकता के अनुरूप जिस अनुपात में अपने आपको ढालने में सक्षम होता है उसी अनुपात में वह क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है।
- 2.1.2 उत्तराखण्ड के पुरुष जीविकोपार्जन के लिए इस क्षेत्र से रोजगार की खोज में मैदानी क्षेत्र तथा प्रदेश एवं देश के अन्य क्षेत्रों में पलायन करते रहते हैं, इसलिए उत्तराखण्ड की ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं की असीम भूमिका निहित है, परन्तु विभिन्न परम्पराओं एवं रूढ़ियों के कारण महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। इस तरह समाज का प्रमुख अंग होने के बावजूद भी महिलायें सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप व आत्म विश्वास की कमी के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी नहीं विकसित हो सकी है।
- 2.1.3 उत्तराखण्ड की महिलाओं को उक्त स्थिति से उबारने के लिए उनकी आय में वृद्धि के संसाधन जुटाने, सामाजिक/आर्थिक उत्थान, सम्पत्ति अर्जन, नेतृत्व विकास, स्वालम्बी बनाने, स्वच्छता, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, शोषण से बचाव, आय के स्रोत बढ़ाने आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित करके एक मंच (फोरम) तैयार कर इन महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के बहुमुखी विकास के लिए जनरल एवेयरनेस, सहकारी शिक्षा मोटीवेशन एवं साक्षरता विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा प्रशिक्षण एवं टीकाकरण आदि कार्यक्रमों के साथ उत्तराखण्ड में महिला डेरी विकास परियोजना वर्ष 1994-95 से प्रारम्भ की गयी, जिसके अच्छे परिणाम मिलने से इस योजना को निरन्तर चलाया जा रहा है।

2.2 महिला डेरी विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य

- ऐसी परिस्थिति (माहौल) तैयार करना, जिससे महिलायें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
- महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति की गरीब महिलाओं को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी योग्य बनाना।
- आर्थिक लाभ के कार्यक्रमों के साथ जोड़कर गरीब ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।
- समाज के सबसे निचले स्तर पर महिलाओं में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा आनन्द पद्धति पर सहकारी दुग्ध समिति गठित करके उन्हें ग्राम, जिले एवं राज्य स्तर पर सीधे सहभागिता करने का अवसर प्रदान करना जो एक सामान्य ग्रामीण महिला के लिए दिन में सपने देखने जैसा होता है।
- ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व्यवस्था एवं चारा विकास आदि के लिए प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण महिलाओं द्वारा गठित दुग्ध समितियों, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, विभिन्न सहकारी विकास विभागों के बीच विकास प्रक्रिया को और तेजी से प्रभावी बनाने हेतु समन्वय स्थापित करना।
- ग्राम स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु दुग्ध उत्पादकों का बिचौलियों से शोषण रोकना एवं अपने तथा अपने समाज के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारी देकर प्रशिक्षित करना।
- गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को जीवनरक्षक टीकाकरण की सुविधायें इनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध कराना।
- जनरल अवेयरनेस, सहकारी शिक्षा, मोटिवेशन एवं साक्षरता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर प्रत्येक स्तर की ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कराना।
- दुग्ध उत्पादकों में गरीबी एवं शोषण का उन्मूलन करना तथा उनमें इस तरह की जागरूकता उत्पन्न करना कि वे कठिनाईयों का निराकरण स्वयं कर सकें।
- महिला दुग्ध समिति वाले ग्रामों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर आय अर्जन की अन्य सुविधाओं के साथ-साथ प्रसूति/स्वास्थ्य घर एवं कैच (शिशुपालना गृह) की स्थापना करना।
- महिलाओं को कुछ न कुछ और अधिक उपलब्ध कराना, जो महिलाओं को इस परियोजना के अभाव में न मिलता।

2.2.1 यह स्वीकार्य है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपद विषम भौगोलिक परिस्थितियों से प्रगति में अभी भी मैदानी क्षेत्र से बहुत भिन्न है। उत्तराखण्ड अपनी विषम जलवायु एवं विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुख्यतः तीन भागों/क्षेत्रों में बंटा हुआ है। प्रथम तराई एवं भाबर क्षेत्र जो क्षेत्रफल में नगण्य है, परन्तु इस क्षेत्र की उत्पादकता बहुत अच्छी है। दूसरा उत्तरी-पहाड़ी क्षेत्र जो प्रायः बर्फ से ढका रहता है, जहां पर किसी प्रकार की फसल/फल पैदा नहीं होते हैं। तीसरा-मध्य का पहाड़ी एवं घाटी का क्षेत्र जहां पर परती सूखा पहाड़ है अथवा जो मिट्टी युक्त पहाड़ है, वे जंगलों से आच्छादित है। घाटी क्षेत्रों में फल, सब्जी एवं रबी तथा खरीफ की फसलें होती हैं, परन्तु कत्यूर (अल्मोड़ा), चम्पावत तथा गोचर (चमोली) क्षेत्र की कुछ घाटियों को छोड़कर अन्य स्थानों पर प्रायः सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, परिणामतः वर्षा आधारित फसलें ही हो पाती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन, कृषि एवं वनीकरण पर ही निर्भर है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में उद्योगों का भी अभाव है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर ही निर्भर है।

2.2.2 यहां पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि, वनीकरण, ईंधन, पानी एवं चारा आदि समस्त कार्य महिलायें ही करती हैं। इसलिए महिला आधारित योजना/परियोजना/कार्यक्रम उत्तराखण्ड में अधिक सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। अतः सरकार की अपेक्षानुसार जैण्डर बजट पूर्ण रूप से 'महिला समग्र विकास आधारित' महिला डेरी विकास परियोजना के कार्यान्वयन/संचालन से अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। महिलायें जो कि जनसंख्या का आधा हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं पर आधारित योजनायें ही समग्र विकास सुनिश्चित कर सकती हैं परन्तु निम्नलिखित कारणों से आशानुकूल परिणाम अभी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं—

1. महिलाओं की शिक्षा का अपेक्षाकृत निम्न स्तर होना।
2. परम्पराओं, अंधविश्वासों एवं विभिन्न रूढ़ियों का प्रभावी होना।
3. ग्राम्य क्षेत्र, पंचायती राज्य प्रणाली एवं जिला स्तर पर विकास कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का अपेक्षाकृत कम होना।
4. पुरुषों के ग्रुप के साथ महिलाओं की अभिव्यक्ति का अभाव अथवा ऐसे रीति रिवाजों का प्रचलन।
5. महिलाओं एवं लड़कियों के ऊपर कार्य का अधिक दबाव का होना।
6. प्रचलित मान्यताओं, रीति-रिवाजों के कारण महिलाओं द्वारा प्रायः गांवों से बाहर न जाना।

उपरोक्त जिन कारणों से पर्वतीय क्षेत्र की महिलायें प्रदेश में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही थी उनसे महिलाओं में आत्म विश्वास जागृत नहीं हो पाना; विभिन्न जातियों/संवर्ग की महिलाओं का आपस में महिला ग्रुप में जुड़ाव का न होना आदि प्रमुख हैं।

उत्तराखण्ड में महिला डेरी विकास परियोजना से महिलायें धीरे-धीरे उपरोक्त बुराईयों एवं रूढ़ियों के प्रति जागरूक हो रही हैं। परियोजना के संचालन स्वरूप राज्य की महिलाओं को घर पर ही महिला दुग्ध समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु मंच (फोरम) प्राप्त हुआ है।

- 2.2.3 **कार्यक्षेत्र:** परियोजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 13 जिलों में किया जा रहा है। स्टेप परियोजना के कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जा रहे थे इस स्कीम को वर्ष 2015 से समाप्त कर दिया गया है। परियोजना के उच्च कार्य निष्पादन एवं उत्साह जनक परिणामों को देखते हुए इसे पंचवर्षीय योजनाओं (राज्य सेक्टर योजना) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।

2.3 परियोजना के कार्यकलाप

- 2.3.1 महिला सहकारी डेरी समितियों के माध्यम से महिलाओं को प्रमुख आर्थिक आधार मानकर उनका समग्र विकास किया जाना परियोजना के कार्य कलापों का प्रमुख अंग है। इसके अन्तर्गत परियोजना कुल 1183 महिला सहकारी डेरी समितियों का गठन करके 42383 ग्रामीण सदस्यों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं गरीब महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। डेरी सहकारिता के माध्यम से उन्हें आय का संसाधन सुलभ कराये जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करके उनमें निर्णय लेने की क्षमता, आत्म निर्भरता तथा नेतृत्व करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है।
- 2.3.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में 'महिला दुग्ध समिति' ग्रामों में ही महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें अन्य आय अर्जन के संसाधन उपलब्ध कराये गये तथा बायो कम्पोस्टिंग, स्वास्थ्य-कम-प्रसूति घर एवं कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए क्रैच (शिशुपालन गृह) की स्थापना की गयी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007-2012) तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल (2012-2017) में भी महिला दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन एवं पुर्नगठन का कार्य किया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य एवं अध्ययन प्रणाली

3.1 अध्ययन के उद्देश्य

- 3.1.1 महिला सशक्तिकरण, विशेषकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महिला डेरी योजना का विशेष स्थान है। अतः योजना के सफल संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों का मूल्यांकन कर योजना की प्रभाविकता का आंकलन करने हेतु अध्ययन परिकल्प के अनुसार योजना के निम्न उद्देश्य हैं—

योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन

- महिला डेरी का चयन/सृजन की आवश्यकता/औचित्य।
- कर्मचारी दुग्ध उत्पादकों व दुग्ध समिति के सचिवों को प्रदत्त प्रशिक्षण व्यवस्था।
- उपलब्ध संयंत्र/उपकरण/दवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें एवं उनका उपयोग।
- पशु चिकित्सकों की पर्याप्तता।
- उत्पादित दूध की विपणन सुविधा।
- भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता एवं पर्याप्तता।
- दुग्ध समितियों में उपलब्ध दुधारू पशु स्थानीय/उन्नतशील की उपलब्धता।
- दुग्ध समितियों में गाय-सांड व भैंसा-सांड की आवश्यकता/उपलब्धता।
- कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतितियां।
- परियोजनान्तर्गत कर्मचारियों की पर्याप्ता/अधिकता।

योजना की उपयोगिता एवं प्रभाव

- दुग्ध उपार्जन की स्थिति।
- दुग्ध समितियों के सदस्यों की सहभागिता।
- दुग्ध मार्गों की उपयोगिता।
- उद्देश्यों के सापेक्ष योजना की उपयोगिता।
- निजी दुग्ध व्यवसायों का सक्रिय होना।
- योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन आदि तथा योजना संचालन में व्यय की स्थिति।

- पशुपालकों तथा राज्य हित में दुग्ध उत्पादन हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं जिसमें महिला डेरी परियोजना भी सम्मिलित है के एकीकरण तथा एकीकरण स्वरूप से लाभ-हानि।

वित्तीय स्थिति

- वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबन्धन का विश्लेषण।
- दुग्ध संघों में दुग्ध उपार्जन व दूध की कीमत।
- दुग्ध समितियों को भुगतान की स्थिति।

भौतिक प्रगति

- दुग्ध सहकारी समितियों का प्रतिवर्ष सक्रिय/निष्क्रिय होना।
- दुग्ध संघों में प्रत्येक वर्ष दुग्ध का उपार्जन कम होना।

3.2 अध्ययन प्रणाली

3.2.1 **जनपदों का चयन:** अध्ययन हेतु अध्ययन परिकल्प में दी गयी पद्धति के अनुसार राज्य के दोनों मंडलों, नामतः कुमायुं एवं गढ़वाल मंडल से तीन-तीन जनपद प्रति मंडल का चयन किये जाने थे, जिनमें प्रत्येक मण्डल में से एक मैदानी जनपद चयनित किया जाना था। तदनुरूप अध्ययन परिकल्प में की गयी अपेक्षानुसार दोनों मंडलों से निम्न जनपदों का अध्ययन हेतु चयन किया गया –

- **कुमायुं मंडल** : 1. नैनीताल, 2. पिथौरागढ़ एवं 3. उधमसिंह नगर
- **गढ़वाल मंडल** : 1. टिहरी गढ़वाल, 2. पौड़ी गढ़वाल एवं 3. हरिद्वार

3.2.2 **विकासखण्डों का चयन:** अध्ययन परिकल्प के अनुसार प्रत्येक जनपद से 4 विकासखण्डों का चयन किया जाना था, जिनमें से 2 विकासखण्ड जनपद मुख्यालय के नजदीक तथा 2 जनपद, मुख्यालय से दूर चयनित किये जाने की अपेक्षा की गयी। कुल मिलाकर पूरे अध्ययन के अन्तर्गत 12 विकासखण्ड जनपद मुख्यालय के समीप तथा 12 विकासखण्ड मुख्यालय से दूर वाले चयनित किये जाने थे। तदनुरूप अध्ययन के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में चयनित विकासखण्डों का विवरण निम्नवत् है—

क्र.	मंडल	जनपद	मुख्यालय के नजदीक चयनित ब्लॉक	मुख्यालय के दूर चयनित ब्लॉक
1	कुमायुं मंडल	नैनीताल	भीमताल, हल्द्वानी	कोटाबाग, धारी
2		पिथौरागढ़	मूनाकोट, डीडीहाट	बेरीनाग, मुनस्यारी
3		उधमसिंह नगर	सितारगंज, खटीमा	बाजपुर, जसपुर
4	गढ़वाल मंडल	टिहरी गढ़वाल	थौलधार, नरेन्द्रनगर	जाखणीधार, भिलगंगा (घनसाली)
5		पौड़ी गढ़वाल	कल्जीखाल, एकेश्वर	रिखणीखाल, नैनीडांडा
6		हरिद्वार	बहादुराबाद, भगवानपुर	नारसन (खुर), खानपुर

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

3.2.3 **दुग्ध समितियों का चयन:** अध्ययन परिकल्प की तालिका संख्या 1 में दी गयी सूचना के अनुसार न्यादर्श जनपदों में समितियों की कुल संख्या 62 दर्शित (उधमसिंह नगर-1; नैनीताल-13; पिथौरागढ़-9; टिहरी-10; पौड़ी-10 एवं हरिद्वार-9) है। अध्ययन परिकल्प में कुल 20 प्रतिशत समितियों का चयन किया जाना था जिसके सापेक्ष अध्ययन के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 1 समिति का चयन कर कुल 24 समितियों का चयन किया गया। चयनित समितियों का विवरण **परिशिष्ट-12** में देखा जा सकता है।

3.2.4 **महिला समितियों के लाभार्थियों का चयन:** अध्ययन परिकल्प के अनुसार चयनित दुग्ध समितियों के अन्तर्गत प्रत्येक समिति से 10 लाभार्थियों का चयन किया जाना था और कुल मिलाकर 240 लाभार्थी आच्छादित किये जाने थे। तदनु रूप प्रत्येक समिति से 10 लाभार्थी चयन कर अध्ययन के अन्तर्गत कुल 240 लाभार्थियों को आच्छादित किये गये।

3.2.5 इस प्रकार समस्त न्यादर्श जनपदों को मिलाकर न्यादर्श का आकार निम्न तालिका के अनुसार लिया गया।

मंडलों की संख्या	न्यादर्श जनपदों की संख्या	न्यादर्श ब्लॉकों की संख्या			कुल न्यादर्श दुग्ध समितियों की संख्या (एक समिति प्रति ब्लॉक)	कुल न्यादर्श दुग्ध समिति के लाभार्थियों की संख्या (10 सदस्य प्रति समिति)	कुल जनपद स्तरीय अधिकारी
		जनपद मुख्यालय से दूर स्थित ब्लॉक	जनपद मुख्यालय के समीप स्थित ब्लॉक	कुल ब्लॉक			
2	6	12	12	24	24	240	6

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त महिला डेरी के अल्मोड़ा स्थित मुख्यालय के समन्वयक से भी महिला डेरी बारे में चर्चा कर सूचनायें एकत्रित की गयी।

महिला डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत समितियों के गठन, पुर्नगठन, सक्रिय एवं निष्क्रिय होने की स्थिति

4.1 अध्ययन के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का वर्णन

4.1.1 आयु वर्ग के अनुसार लाभार्थियों का वितरण: आयु वर्ग के अनुसार लाभार्थियों का विवरण पार्श्व में दर्शित तालिका 4.1 में प्रस्तुत है, उक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना से सम्बद्ध लाभार्थियों में 50 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक (लगभग 35 प्रतिशत) है। इससे स्पष्ट है कि उम्रदराज महिलाओं में भी परियोजना के प्रति काफी आकर्षण है तथा परियोजना से जुड़ने हेतु उम्र कोई बाधा नहीं है।

तालिका 4.1: आयु वर्ग के अनुसार आच्छादित लाभार्थियों का वितरण

आयुवर्ग	संख्या (N)	प्रतिशत
<30	28	11.67%
30-39	64	26.67%
40-49	63	26.25%
50-59	53	22.08%
60-70	32	13.33%
योग	240	100.00%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

4.1.2 जाति के आधार पर लाभार्थियों का वितरण: जाति के आधार पर लाभार्थियों का वितरण पार्श्व में दर्शित तालिका 4.2 में प्रस्तुत है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में परियोजना से जुड़ी महिलाओं में सामान्य जाति की महिलाओं की संख्या का अनुपात सर्वाधिक (72.5%) है, परन्तु कुल मिलाकर अन्य जातियों की हिस्सेदारी भी सार्थक (27.5%) है।

तालिका 4.2 : जाति के आधार पर आच्छादित लाभार्थियों का वितरण

जाति	संख्या (N)	प्रतिशत
सामान्य	174	72.5%
अनुसूचित जाति	19	7.9%
अनुसूचित जनजाति	2	0.8%
अन्य पिछड़ी जाति	45	18.8%
योग	240	100.0%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

4.1.3 आर्थिक स्थिति के आधार पर लाभार्थियों का वितरण: महिला डेरी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की महिलाओं को योजना से जोड़कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का उन्नयन करना है। तदनु रूप अध्ययन क्षेत्र में योजना से जुड़ी महिलाओं का उनके आर्थिक वितरण अनुसार अध्ययन किया गया, जिसका विवरण पार्श्व में दर्शित तालिका 4.3 में प्रस्तुत है। उक्त तालिका से स्पष्ट परिलक्षित होता

तालिका 4.3: आर्थिक स्थिति के अनुसार आच्छादित लाभार्थियों का वितरण

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
ए.पी.एल.	116	48.5%
बी.पी.एल.	111	46.4%
अंत्योदय	11	4.6%
कार्ड नहीं	1	0.4%
योग	239	100.0%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

है कि योजना से जुड़ी आधे से अधिक (51%) महिलायें कमजोर वर्ग की हैं। इससे स्पष्ट है कि योजना से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करने तथा अपने से जोड़ने में सफल रही है।

4.1.4 शैक्षिक स्तर के अनुसार लाभार्थियों का विवरण: शैक्षिक स्तर के अनुसार लाभार्थियों का विवरण पार्श्व में दर्शित तालिका 4.4 में प्रस्तुत है, जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि योजना से जुड़े लगभग 58 प्रतिशत लाभार्थी अल्प शिक्षित (अशिक्षित, शिक्षित परन्तु औपचारिक रूप से नहीं, कक्षा 5 तक) हैं। लगभग 25 प्रतिशत लाभार्थी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक शिक्षित हैं। अतः स्पष्ट है कि योजना का लाभ ऐसी महिलायें ले रही हैं जो अपेक्षित कम शिक्षित हैं।

तालिका 4.4: शैक्षिक स्तर के अनुसार आच्छादित लाभार्थियों का वर्गीकरण

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
अशिक्षित	30	12.60%
शिक्षित परन्तु औपचारिक रूप से नहीं	57	23.80%
कक्षा 5 तक	52	21.80%
कक्षा 10 तक	59	24.70%
कक्षा 10 से अधिक	41	17%
योग	239	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

4.2 महिला डेरी परियोजना में समितियों की स्थिति

4.2.1 महिला डेरी निदेशालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य में इस परियोजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों को मिलाकर कुल 1183 गांव आच्छादित हैं तथा इतनी ही समितियां हैं। इन समितियों के अन्तर्गत राज्य में कुल 42,383 महिला सदस्य हैं। इस प्रकार राज्य में योजना के अन्तर्गत लगभग 42,000 महिलायें योजना का लाभ ले रही हैं।

4.2.2 जहाँ तक न्यादर्श जनपदों का प्रश्न है इन जनपदों में प्राप्त सूचना के अनुसार महिला डेरी के अन्तर्गत कुल आच्छादित गांव एवं महिला लाभार्थियों का विवरण तालिका 4.5 में दर्शित है। अपवाद स्वरूप जनपद पिथौरागढ़ को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में योजना से आच्छादित गांवों एवं सदस्यों की संख्या अधिक है। अतः स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में समितियों एवं महिला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के आवश्यकता है। इसके लिए यह उचित होगा कि पर्वतीय जनपदों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाय जहाँ पानी व चारे की उपलब्धता अच्छी है तथा ऐसे क्षेत्रों में महिला डेरी परियोजना के विस्तार पर बल दिया जाय।

तालिका 4.5: महिला डेरी के अन्तर्गत कुल आच्छादित गांव एवं महिला लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	जनपद	कुल आच्छादित गांव	कुल महिला लाभार्थी
1	हरिद्वार	82	2665
2	टिहरी	50	1578
3	नैनीताल	121	6388
4	पिथौरागढ़	102	3661
5	पौड़ी	46	1391
6	उधमसिंह नगर	96	3913
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

4.3 योजनान्तर्गत सक्रिय तथा निष्क्रिय समितियों की स्थिति

- 4.3.1 समितियों के सक्रिय एवं निष्क्रिय होने की स्थिति का आंकलन करने हेतु न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी तथा दुग्ध संघ के अन्तर्गत गठित समितियों में से सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों का अध्ययन किया गया जिसका विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है तथा निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने सम्बन्धी न्यादर्श जनपदवार विवरण **परिशिष्ट-4** में दिया गया है।

तालिका 4.6 : आच्छादित जनपदों में सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों का विवरण

क. सं.	जनपद	कुल समितियां			सक्रिय समितियां			निष्क्रिय समितियां		निष्क्रिय समितियों का प्रतिशत	
		महिला डेरी	दुग्ध संघ	कुल	महिला डेरी	दुग्ध संघ	कुल	महिला डेरी	दुग्ध संघ	महिला डेरी	दुग्ध संघ
1	उधमसिंह नगर	96	469	565	80	339	419	16	130	17%	28%
2	हरिद्वार	82	213	295	62	153	215	20	60	24%	28%
3	नैनीताल	121	426	547	117	384	501	4	42	3%	10%
4	पिथौरागढ़	102	185	287	83	104	187	19	81	19%	44%
5	टिहरी	50	182	232	38	85	123	12	97	24%	53%
6	पौड़ी गढ़वाल	46	158	204	40	158	198	6	0	13%	0%
योग		497	1633	2130	420	1223	1643	77	410	15%	25%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे											

- 4.3.2 उपरोक्त तालिका 4.6 से स्पष्ट है कि न्यादर्श के आधार पर कुल मिलाकर 15 प्रतिशत महिला समितियां ही निष्क्रिय हैं वहीं दूसरी ओर दुग्ध संघ की 25 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं। इससे स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत समितियों के सक्रिय होने की स्थिति दुग्ध संघ के सापेक्ष काफी अच्छी है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि समितियों के सक्रिय रहने के परिपेक्ष्य में जनपदवार विचलन बहुत अधिक है। जहाँ एक ओर जनपद नैनीताल में मात्र 3 प्रतिशत महिला समितियां निष्क्रिय हैं वहीं दूसरी ओर जनपद टिहरी और हरिद्वार में 24 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं।

- 4.3.3 महिला डेरी के अन्तर्गत राज्य स्तर पर सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों की स्थिति: अध्ययन के अन्तर्गत महिला डेरी के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुल महिला समितियों में से सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों का विवरण राज्य स्तर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर **परिशिष्ट-13** पर प्रस्तुत है। महिला डेरी के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुल मिलाकर 1183 समितियों में से लगभग 42 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं जिससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर निष्क्रिय समितियों का अनुपात बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में अन्तर जनपदीय विचलन बहुत अधिक है। राज्य के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में निष्क्रिय पड़ी समितियों के आधार राज्य के जनपदों को प्रस्तुत तालिका 4.7(अ) के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निष्क्रिय समितियों के परिपेक्ष्य में राज्य के 13 जनपदों में से 8 जनपदों, नामतः

उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी टिहरी, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून, में स्थिति अपेक्षतया संतोषजनक नहीं है।

4.3.4 यद्यपि असंतोषप्रद स्थिति वाले सभी जनपद पर्वतीय क्षेत्र में हैं परन्तु अति उत्तम तथा उत्तम श्रेणी के जनपद (पिथौरागढ़ एवं चम्पावत) भी पर्वतीय जनपदों में ही हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता समितियों के निष्क्रिय होने के परिपेक्ष्य में जनपदों की भौगोलिक स्थिति कोई बाधा है। अतः जिन जनपदों में समितियां अधिक निष्क्रिय हैं उन जनपदों के प्रभारियों के साथ उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जाय तथा ऐसे जनपदों में समितियों को सक्रिय करने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

तालिका 4.7(अ): राज्य के समस्त जनपदों को मिलाकर सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियां की स्थिति (N=1183)

क्र.	जनपद	% निष्क्रिय समितियां	श्रेणी
1	चम्पावत	0.00	अति उत्तम
2	नैनीताल	0.84	
3	पिथौरागढ़	12.75	उत्तम
4	हरिद्वार	23.17	संतोषप्रद
5	उधमसिंह नगर	26.00	
6	उत्तरकाशी	75.51	असंतोषप्रद
7	बागेश्वर	67.71	
8	चमोली	63.55	
9	अल्मोड़ा	57.30	अति असंतोषप्रद
10	पौड़ी	53.09	
11	टिहरी गढ़वाल	56.57	
12	रुद्रप्रयाग	59.32	
13	देहरादून	23.17	

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

4.3.5 साथ ही दो न्यादर्श जनपदों (पौड़ी एवं टिहरी) में जनपद स्तर पर रिपोर्टेड सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों की संख्या में राज्य स्तर से रिपोर्टेड संख्या के सापेक्ष अन्तर है। अतः आवश्यकता इस बात की भी है कि जनपद एवं राज्य स्तर पर समय समय पर सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों का मिलान हो ताकि सुधारात्मक प्रयासों में समानता बनी रहे।

4.3.6 समितियों का सक्रियकरण एवं सक्रियकरण हेतु व्यय की स्थिति: उक्त संदर्भ में न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में कुल निष्क्रिय समितियां, वर्ष के दौरान कुल सक्रिय की गयी समितियां तथा वर्ष के दौरान शेष निष्क्रिय समितियों का विवरण मांगा गया। इस सम्बन्ध में जनपदों से उपलब्ध सूचना में विसंगतियां देखने को मिली परन्तु विभिन्न जनपदों में उक्त अवधि के दौरान सक्रिय की गयी समितियों का विवरण का विवरण तालिका 4.7(ब) में दर्शाया गया है। पार्श्व में दी गयी तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य में लगभग 10 से 11 (औसतन प्रति जनपद 1 समिति) समितियां प्रतिवर्ष निष्क्रिय से सक्रिय की जा रही हैं, तथापि प्राप्त सूचना में विसंगति के कारण इसमें संशय है।

तालिका 4.7(ब): वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निष्क्रिय से सक्रिय की गयी समितियां की संख्या

क्र. सं.	जनपद	समितियों की संख्या
1	टिहरी	4
2	पिथौरागढ़	5
3	हरिद्वार	56
4	उधमसिंह नगर	11
5	नैनीताल	7
6	पौड़ी	9
योग		92

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

- 4.3.7 अध्ययन के दौरान निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने हेतु 2009-10 तथा 2013-14 के बीच किये गये व्यय के सम्बन्ध में जनपद हरिद्वार, पिथौरागढ़, पौड़ी एवं उधमसिंह नगर में यह बताया गया कि प्रश्नगत अवधि में निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने हेतु कोई व्यय नहीं किया गया, वहीं दूसरी ओर जनपद नैनीताल एवं टिहरी में मात्र वर्ष 2009-10 में निष्क्रिय समितियों के जीर्णोद्धार हेतु विभिन्न मदों में व्यय किये गये होने की पुष्टि की गयी, जिसका विवरण तालिका 4.8 में दर्शित है।

तालिका 4.8: निष्क्रिय समितियों के जीर्णोद्धार हेतु विभिन्न मदों में व्यय किया गया

क्र.	जनपद	वर्ष 2009-10 में किया गया व्यय (रु. में)	
		क्रियाशील पूंजी	दुग्ध जांच उपकरण आदि
1	नैनीताल	5000	2000
2	टिहरी	28000	8000
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

- 4.3.8 जनपदों के प्रभारियों से समितियों को पुनः क्रियाशील न कर पाने के पीछे कारणों के बारे में पूछने पर, मुख्यतया दो कारण उभर कर आये। जहाँ एक ओर जनपद उधमसिंह नगर और हरिद्वार में व्यापक औद्योगीकरण को इसका एक प्रमुख कारण बताया गया, वहीं दूसरी ओर अन्य जनपदों में जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुँचाने के कारण लोगों द्वारा गांवों से पलायन होना एवं कृषि की ओर रुचि कम होना प्रमुख कारण बताये गये।

- 4.3.9 समितियों के सक्रिय एवं निष्क्रिय होने के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान वस्तुतः प्रतिवर्ष 1 निष्क्रिय समिति को सक्रिय किया गया तथा वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 76 निष्क्रिय समितियों को सक्रिय किया गया।

- 4.3.10 नवीन समितियों के गठन हेतु न्यादर्श जनपदों को 2009-10 एवं 2013-14 के दौरान विभिन्न मदों में दी गयी सहायता/अनुदान: महिला डेरी के विस्तार हेतु वर्ष दर वर्ष नवीन समितियों का गठन योजनान्तर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संदर्भ में न्यादर्श जनपदों को वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विभिन्न मदों में नवीन समितियों के गठन हेतु दी गयी सहायता/अनुदान का विवरण मदवार परिशिष्ट-5 में दिया गया है तथा इसका सारांश तालिका 4.9 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.9: न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत नवीन समितियों के गठन हेतु दी गयी सहायता/अनुदान

क्र.	जनपद	2009-10 से 2013-14 के दौरान दी गयी सहायता/अनुदान									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता
1	नैनीताल	5	191000	1	36700	1	29200	4	116800	2	58400
2	पिथौरागढ़	5	143600	1	34200	1	34200	2	70900	2	70900
3	उधमसिंह नगर	13	156140	6	110500	1	32720	2	47000	3	39520

तालिका 4.9: न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत नवीन समितियों के गठन हेतु दी गयी सहायता/अनुदान

क्र.	जनपद	2009-10 से 2013-14 के दौरान दी गयी सहायता/अनुदान									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता	गठित समितियां	दी गयी सहायता
4	पौड़ी	5	179300	1	46500	1	46500	2	36000	3	81000
5	हरिद्वार	4	186000	1	46500	1	46500	2	93000	2	93000
6	टिहरी	4	98300	1	35700	1	29200	2	58400	2	58400
योग		36	954340	11	310100	6	218320	14	422100	14	401220
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे											

4.3.11 उपरोक्त संदर्भित तालिका 4.9 में सन्निहित विवरण के अनुसार महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष औसतन 16 नवीन समितियों का गठन किया जा रहा है तथा प्रत्येक समिति के गठन में विभिन्न मदों (यथा दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि, फर्नीचर एवं कंटीजैन्सी, दुग्ध कैन, प्रबन्धकीय एवं यातायात अनुदान, प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवायें, कार्यशील पूंजी, सिंथेटिक मिल्क टेस्टिंग किट) में दी धनराशि को मिलाकर लगभग रु. 28,470.12 प्रति समिति सहायता/अनुदान के रूप में व्यय की जा रही है।

4.3.12 **समितियों को दिये गये अनुदान एवं आर्थिक सहायता:** न्यादर्श जनपदों के प्रभारी से यह जानकारी ली गयी कि महिला डेरी योजना के प्रयोजन हेतु सीधे इसी योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन मदों में अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्यतया महिला डेरी के प्रयोजन हेतु पशु चिकित्सा, फीड सप्लीमेंट, दुग्ध कक्ष, भूसा गोदाम, हैडलोड अनुदान, मिल्क टेस्टर, रिवाल्विंग फण्ड, दुग्ध समितियों हेतु कार्यशील पूंजी, प्रसार कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आदि मदों में आर्थिक सहायता दी जाती है।

तालिका 4.10: महिला डेरी योजना के अन्तर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट के मद में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दिया गया अनुदान/आर्थिक सहायता का विवरण

जनपद	मद	दी गयी सहायता/अनुदान (रू. में)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नैनीताल	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	1500	300	300	1200	600
उधमसिंह नगर		2500	500	0	500	0
पौड़ी		10000	300	300	300	600
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे						

4.3.13 जहाँ तक स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण का प्रश्न है, इस मद में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान तीन जनपदों क्रमशः नैनीताल, उधमसिंह नगर नगर एवं पौड़ी जनपद द्वारा सहायता मिलने की पुष्टि की गयी जिसका विवरण तालिका 4.10 में दर्शित है। शेष मदों में न्यादर्श जनपदों द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण सम्बन्धित अध्यायों में दिया गया है।

- 4.3.14 राज्य स्तर पर वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत महिला दुग्ध समितियों के गठन, पुनर्गठन, समिति गठन/पुनर्गठन की सदस्यता/समिति गठन के सामान्य सदस्यों (एस.सी.पी. सदस्य/टी.एस.पी. सदस्य) हेतु लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण **परिशिष्ट-8** में दिया गया है, जिसका सारांश तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: तालिका ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला डेरी कार्यों का लक्ष्य पूर्ति विवरण वर्ष 2009-10 से 2015-16

क्र.	मद	इकाई	कुल योग	
			लक्ष्य	पूर्ति
1. महिला दुग्ध समितियों का गठन				
1.1	समितियों का गठन	संख्या	123	123
1.2	समितियों का पुर्नगठन	संख्या	30	30
2	समिति गठन/पुर्नगठन की सदस्यता/समिति गठन के सामान्य सदस्य	संख्या	4590	4461
	क) ए.सी.पी. सदस्य	संख्या	270	859
	ख) टी.एस.पी. सदस्य	संख्या	60	154
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे				

- 4.3.15 उपरोक्त तालिका 4.11 से स्पष्ट है कि समितियों के गठन, पुनर्गठन आदि हेतु संदर्भित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति लगभग शत-प्रतिशत रही एवं कुछ मदों में पूर्ति लक्ष्य से भी अधिक रही।

स्थापित अवस्थापनार्थ, वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकतायें

महिला डेरी योजना के अन्तर्गत गठित समितियों को इस योजनान्तर्गत निम्न सहायता प्रदान किये जाना परिकल्पित है।

- दुग्ध जांच उपकरण, यातायात कैन, कैमिकल एवं ग्लासवेयर हेतु सहायता
- फर्स्ट ऐड बॉक्स, अडगड़ा, आदि हेतु सहायता
- प्रबन्धकीय अनुदान

परन्तु उपरोक्त संदर्भ में सर्वप्रथम यह वर्णित करना भी समीचीन होगा कि महिला डेरी की समितियों को उनके द्वारा उपार्जित दुग्ध के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, आदि हेतु दुग्ध संघ के अन्तर्गत स्थापित अवस्थापनाओं का उपयोग करने की सुविधा स्वतः रूप से उपलब्ध है। तदनु रूप न्यादर्श जनपदों के पदाधिकारियों से उनके जनपद में सीधे महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अवस्थापना सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि, विभिन्न प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं एवं उनके उपयोग, आदि के बारे में प्रतिपुष्टि ली गयी, जिसका जनपदवार एवं वर्षवार विवरण इस अध्याय में सन्निहित है।

5.1 न्यादर्श जनपदों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्राप्त आर्थिक सहायता का विवरण

5.1.1 न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से महिला डेरी योजना के प्रयोजन हेतु सीधे इसी योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निम्न मदों में प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी—

- तकनीकी निवेश :
 - दुग्ध कक्ष निर्माण
 - भूसा गोदाम की स्थापना
 - इलैक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टरों की स्थापना
 - ऑटोमैटिक मिल्क क्लैक्शन सेन्टर की स्थापना
 - रिवाल्विंग फण्ड
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता :
 - स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण
 - मिल्किंग मशीन
 - पशुशाला निर्माण

5.1.2 उपरोक्त के सापेक्ष न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों द्वारा जिन विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता उपलब्ध होने की पुष्टि की उनका वर्षवार विवरण तालिका 5.1 में दर्शित है।

तालिका 5.1: न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के प्रयोजन हेतु सीधे इसी योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता

क्र.	मद	वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्त की गयी सहायता/अनुदान (रू. में)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जनपद : नैनीताल						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	1500	300	300	1200	600
ii)	इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टरों की स्थापना	125000	0	140000	0	0
iii)	ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन सेंटरों की स्थापना	0	0	19200	312000	625000
जनपद : पिथौरागढ़						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	—	—	—	—	—
जनपद : उधमसिंह नगर						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	2500	500	0	500	0
जनपद : पौड़ी						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	18000	300	300	300	600
जनपद : हरिद्वार						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	—	—	—	—	—
जनपद : टिहरी						
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता						
i)	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण	—	—	—	—	—
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे						

5.1.3 उपरोक्त तालिका 5.1 से स्पष्ट है कि प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित मदों के सापेक्ष केवल तीन न्यादर्श जनपदों नामतः, नैनीताल, उधमसिंह नगर और पौड़ी, में मात्र 'स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण' के मद में विभिन्न वर्षों में प्राप्त सहायता मिलने की पुष्टि की गयी। शेष तीन न्यादर्श जनपदों, नामतः, पिथौरागढ़, हरिद्वार एवं टिहरी, में प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित किसी भी मद में सहायता प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की, सम्भवतः इसलिए कि ये सुविधायें दुग्ध संघ के अन्तर्गत भी उपलब्ध करायी गयी हों।

5.2 महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्धशाला स्तर पर स्थापित अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं उपयोग की वर्तमान स्थिति

5.2.1 न्यादर्श जनपदों में जनपद हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी प्रभारियों ने महिला डेरी के प्रयोजन हेतु विभिन्न स्थापित अवस्थापना, सुविधाओं जैसे दुग्धशाला भवन, प्रशासनिक भवन भूसा गोदाम एवं संयंत्र तथा उपकरण, जैसे दुग्ध जांच यंत्र/ इलैक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर, दुग्ध उत्पादन किट, पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवायें, मिल्क कैन एवं बल्क मिल्क कूलर उपलब्ध होने तथा उनका पूर्णतः उपयोगी होने की पुष्टि की। हरिद्वार जनपद में दुग्धशाला भवन, भूसा गोदाम, तथा बल्क मिल्क कूलर, अनावश्यक बताये गये तथा अन्य सभी सुविधायें आवश्यक एवं पूर्णतः उपयोगी बताये गये (तालिका 5.2)। ये सुविधायें दुग्ध संघ के तत्वाधान में उपलब्ध बतायी गयी, जिनका उपयोग महिला डेरी के लाभार्थियों हेतु भी किया जाता है।

तालिका 5.2 : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्धशाला स्तर पर स्थापित अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं उपयोग की वर्तमान स्थिति

क्र.	उपलब्ध अवस्थापना सुविधायें	हरिद्वार		टिहरी		नैनीताल		पिथौरागढ़		पौड़ी		उधमसिंह नगर	
		आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति
i)	दुग्धशाला भवन	आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
ii)	प्रशासनिक भवन	पूर्णतः आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
iii)	भूसा गोदाम	आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
iv)	संयंत्र एवं उपकरण												
a)	दुग्ध जांच यंत्र/ इलैक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर	अति आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
b)	दुग्ध उत्पादन किट	अति आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
c)	पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवायें	अति आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
d)	मिल्क कैन	अति आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	-	-
e)	बल्क मिल्क कूलर	आवश्यक	—	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी	-	-

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

5.3 जनपद स्तर में स्थापित दुग्धशालाओं में निर्धारित अवस्थापनाओं, संयंत्र तथा उपकरण की स्थापित क्षमता एवं उसके सापेक्ष उपयोग की स्थिति

5.3.1 अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न न्यादर्श जनपदों में स्थापित फीड स्टोर, प्लांट मशीनरी, पाश्चुराइजेशन, स्टोरेज, चिलिंग, क्रीमशेपेरेशन जैसे, मिल्क पैकिंग, जनरेटर एवं बॉयलर की स्थापित क्षमता एवं स्थापित क्षमता के सापेक्ष उनकी वास्तविक उपयोग के बारे में प्रतिपुष्टि ली गयी, तथापि ये सुविधायें दुग्ध संघ के तत्वाधान में स्थापित हैं। इन

सुविधाओं की स्थापित क्षमता तथा स्थापित क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उपयोग के बारे में जनपदवार विवरण तालिका 5.3 में दर्शित है।

5.3.2 तालिका 5.3 में निहित विवरण से विभिन्न अवस्थापनाओं की स्थापित क्षमता एवं उसके सापेक्ष उपयोग के बारे में निम्न स्थिति परिलक्षित होती है—

तालिका 5.3: जनपद स्तर में स्थापित दुग्धशालाओं में स्थापित अवस्थापनाओं, संयंत्र तथा उपकरणों की स्थापित क्षमता एवं उसके सापेक्ष उपयोग की स्थिति

क्र.	संयंत्र तथा उपकरण	स्थापित क्षमता	स्थापित क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उपयोगिता	यदि संयंत्र/उपकरण का स्थापित क्षमता के सापेक्ष कम उपयोग हो रहा है तो उसके कारण
हरिद्वार				
अ)	फीड स्टोर			
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	30000	13000	उपार्जन कम है
1.	पाश्चुराइजेशन (ली./प्रति घंटा)	5000	5000	
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (टन में)	2000	13000	
3.	चिलिंग (ली. में)	5000	5000	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	5000	5000	
स)	मिल्क पैकिंग (पैक प्रति/घंटा)	2000	2000	
द)	जनरेटर (के.वी.)	180	180	
य)	बॉयलर	1	1	
टिहरी				
अ)	फीड स्टोर			
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	5000	2500	
1.	पाश्चुराइजेशन (ली. प्रतिदिन)	2000	2000	
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (ली. में)	5000	2500	दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण
3.	चिलिंग (ली. में)	1000	10000	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	500	500	
स)	मिल्क पैकिंग (ली. में)	1800	1800	
द)	जनरेटर (के.वी.)	62.5	62.5	
य)	बॉयलर	-		
नैनीताल				
अ)	फीड स्टोर (टन में)	30	30	
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	10000	क्षमता से अधिक	
1.	पाश्चुराइजेशन (ली./प्रति घंटा)	10000	क्षमता से अधिक	
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (ली. में)	32	32	
3.	चिलिंग (ली. में)	10000	10000	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	NA	NA	
स)	मिल्क पैकिंग (ली.प्रतिदिन)	2500	2500	
द)	जनरेटर (के.वी.)-2 (400 के.वी.)	400	400	
य)	बॉयलर	2	2	
पिथौरागढ़				
अ)	फीड स्टोर (टन में)	45	45	महिला डेरी का कोई अवशीतन केन्द्र नहीं है
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	500	1000	

तालिका 5.3: जनपद स्तर में स्थापित दुग्धशालाओं में स्थापित अवस्थापनाओं, संयंत्र तथा उपकरणों की स्थापित क्षमता एवं उसके सापेक्ष उपयोग की स्थिति

क्र.	संयंत्र तथा उपकरण	स्थापित क्षमता	स्थापित क्षमता के सापेक्ष वास्तविक उपयोगिता	यदि संयंत्र/उपकरण का स्थापित क्षमता के सापेक्ष कम उपयोग हो रहा है तो उसके कारण
1.	पाश्चुराइजेशन (ली./प्रति घंटा)	2000	7500	
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (टन में) -2	32	32	
3.	चिलिंग (ली. में)	2000	7500	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	1000	2000	
स)	मिल्क पैकिंग (ली.प्रतिदिन -किग्रा)	2400	5000	
द)	जनरेटर (के.वी.)-2 (62.5 के.वी)	62.5	62.5	
य)	बॉयलर	2	2	
पौड़ी				
अ)	फीड स्टोर (टन में)	30	-	फीड कम है तथा सीधे वितरण हो जाता है
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	0	-	
1.	पाश्चुराइजेशन (ली./प्रति घंटा)	5000	4000	कार्य कम है।
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (टन में) -2	4000	4000	
3.	चिलिंग (ली. में)	5000	5000	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	5000	5000	
स)	मिल्क पैकिंग (ली.प्रतिदिन -किग्रा)	2000	1200	दूध कम होता है
द)	जनरेटर (के.वी.)	18	-	
य)	बॉयलर	1	-	
उधमसिंह नगर				
अ)	फीड स्टोर (टन में)	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध	
ब)	प्लांट मशीनरी (ली./प्रति घंटा)	500	1000	
1.	पाश्चुराइजेशन (ली. प्रतिदिन)	7000	सूचना अनुपलब्ध	
2.	स्टोरेज (मिल्क रूम) (ली. में)	4000	सूचना अनुपलब्ध	
3.	चिलिंग (ली. में)	5000	सूचना अनुपलब्ध	
4.	क्रीमशैपेरेशन (कि.ग्रा.)	5000	सूचना अनुपलब्ध	
स)	मिल्क पैकिंग (ली.प्रतिदिन)	3000	अपूर्ण	बाजार मांग के अनुसार कम
द)	जनरेटर (के.वी.)-2 (160 के.वी. + 250 के.वी.)	410	सूचना अनुपलब्ध	
य)	बॉयलर	1	सूचना अनुपलब्ध	
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे				

- **जनपद हरिद्वार:** इस जनपद में दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण प्लांट का उपयोग तथा स्टोरेज (मिल्क रूम) का उपयोग स्थापित क्षमता से कम हो रहा है।
- **जनपद टिहरी :** इस जनपद में भी दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण प्लांट का उपयोग तथा स्टोरेज (मिल्क रूम) का उपयोग स्थापित क्षमता से कम हो रहा है।

- **जनपद नैनीताल :** इस जनपद में स्थापित समस्त संयंत्र एवं उपकरणों का उपयोग पूर्णतः हो रहा है।
- **जनपद पिथौरागढ़ :** जनपद के प्रभारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त संयंत्र एवं उपकरणों का पूर्णतः उपयोग हो रहा है। यहां तक कि दुग्ध प्लांट पाश्चुराईजेशन एवं चिलिंग प्लांट का उपयोग स्थापित क्षमता से अधिक किया जा रहा है।
- **जनपद पौड़ी :** इस जनपद में प्राप्त सूचना के आधार पर पाश्चुराईजेशन सुविधा तथा मिल्क पैकिंग सुविधा का उपयोग दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण स्थापित क्षमता से कम हो रहा है। साथ ही फीड की उपलब्धता कम बतायी गयी और यह बताया गया कि इसका सीधे ही निस्तारण हो जाता है।
- **जनपद उधमसिंह नगर:** इस जनपद में प्लांट एवं मशीनरी का उपयोग स्थापित क्षमता के सापेक्ष कम हो रहा है एवं मिल्क पैकिंग सुविधा अपूर्ण बतायी गयी तथा बाजार में मांग कमी होने के कारण स्थापित क्षमता से इसका कम उपयोग हो रहा है।

5.3.3 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर न्यादर्श जनपदों (दो-तिहाई) में स्थापित संयंत्रों का उपयोग स्थापित क्षमता के सापेक्ष कम हो रहा है, जिस पर प्रबन्धन को ध्यान देने की आवश्यकता है।

5.4 महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अवशीतन केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करायी गयी अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं उपयोग की वर्तमान स्थिति

5.4.1 जनपदों में अवशीतन केन्द्रों की स्थापना दुग्ध संघ के तत्वाधान में की गयी है तथा महिला डेरी के लिए अलग से कोई अवशीतन केन्द्र स्थापित नहीं है। न्यादर्श जनपदों में अवशीतन केन्द्रों की उपलब्धता का विवरण तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अवशीतन केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करायी गयी अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं उपयोग की वर्तमान स्थिति

जनपद		आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति
हरिद्वार		अवशीतन केन्द्र स्थापित नहीं है।	
टिहरी		अवशीतन केन्द्र स्थापित नहीं है।	
नैनीताल			
1.	भवन	पूर्णतः आवश्यक	आंशिक उपयोगी
2	मशीन	पूर्णतः आवश्यक	आंशिक उपयोगी
पिथौरागढ़		सूचना उपलब्ध नहीं	
पौड़ी		सूचना उपलब्ध नहीं	
उधमसिंह नगर			
1.	भवन	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
2	गोदाम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
3	टेस्टर	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

5.4.2 उपरोक्त तालिका से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं –

- **जनपद हरिद्वार :** इस जनपद में अवशीतन केन्द्र स्थापित नहीं हैं, परन्तु इसकी आवश्यकता जतायी गयी है।
- **जनपद टिहरी:** इस जनपद में अवशीतन केन्द्र स्थापित नहीं हैं। इसकी आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया।
- **जनपद पौड़ी :** इस जनपद से अवशीतन केन्द्र के बारे में सूचना अनुपलब्ध है।
- **जनपद पिथौरागढ़** इस जनपद से अवशीतन केन्द्र के बारे में सूचना अनुपलब्ध है।
- **जनपद नैनीताल :** इस जनपद से अवशीतन केन्द्र हेतु भवन, मशीन उपलब्ध बताये गये तथा वर्तमान में इनका आंशिक रूप से उपयोगी होना बताया गया।
- **जनपद उधमसिंह नगर:** इस जनपद से अवशीतन केन्द्र हेतु भवन, गोदाम, टेस्टर आदि उपलब्ध बताये गये तथा ये सुविधायें पूर्णतः उपयोग में एवं आवश्यक बतायी गयी।

5.5 महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित की गयी निम्न अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति

5.5.1 महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत अलग से दुग्ध समिति स्तर पर अवस्थापनायें अलग से स्थापित नहीं हैं, तथापि महिला डेरी के लाभार्थियों द्वारा दुग्ध संघ के अन्तर्गत समिति स्तर पर स्थापित अवस्थापनाओं का उपयोग किया जाता है। तदनु रूप न्यादर्श जनपदों में दुग्ध संघ के तत्वाधान में दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित अवस्थापनायें, जैसे भूसा गोदाम, मिल्क रूम एवं दुग्ध विकास केन्द्र का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5 : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित की गयी निम्न अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति

क्र.	स्थापित सुविधा	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति
हरिद्वार			
1.	भूसा गोदाम	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
2	मिल्क रूम	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
3	दुग्ध विकास केन्द्र	सूचना अनुपलब्ध	सूचना अनुपलब्ध
टिहरी			
1.	भूसा गोदाम	डी.यू.एस.एस. की ही पूर्ण संरचना है, महिला डेरी की अपनी अवस्थापना नहीं है	
2	मिल्क रूम		
3	दुग्ध विकास केन्द्र		
नैनीताल			
1.	भूसा गोदाम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
2	मिल्क रूम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी

तालिका 5.5 : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित की गयी निम्न अवस्थापनाओं की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति

क्र.	स्थापित सुविधा	आवश्यकता	उपयोग की वर्तमान स्थिति
3	दुग्ध विकास केन्द्र	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
पिथौरागढ़			
1.	भूसा गोदाम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
2	मिल्क रूम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
3	दुग्ध विकास केन्द्र	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
पौड़ी			
1.	भूसा गोदाम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
2	मिल्क रूम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
3	दुग्ध विकास केन्द्र	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
उधमसिंह नगर			
1.	भूसा गोदाम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
2	मिल्क रूम	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
3	दुग्ध विकास केन्द्र	पूर्णतः आवश्यक	पूर्णतः उपयोगी
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

5.5.2 उपरोक्त तालिका 5.5 से स्पष्ट है कि समस्त न्यादर्श जनपदों में जिला स्तरीय अधिकारियों की पुष्टि के आधार पर समिति स्तर पर आवश्यक अवस्थापनायें जैसे भूसा गोदाम, मिल्क रूम, एवं दुग्ध विकास केन्द्र उपलब्ध एवं पूर्णतः उपयोगी हैं।

5.5.3 अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में दुग्ध समितियों का कथन: न्यादर्श के अन्तर्गत आच्छादित समितियों के पास उपलब्ध/अनुपलब्ध सुविधाओं/उपकरणों का समितिवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-12** में दर्शित है तथा सारांश तालिका 5.6 में प्रस्तुत है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण उपकरण जैसे लैक्टोमीटर, दुग्ध जांच संयंत्र, दुग्ध कैन, यातायात कैन अधिसंख्य समितियों के पास उपलब्ध हैं तथापि कुछ समितियों के पास ये उपकरण उपलब्ध नहीं भी हैं। मुख्यतया मिल्क रूम एवं भूसा गोदाम/पशुआहार, भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता की स्थिति अच्छी नहीं बतायी गयी। जब समितियों से केवल भूसा गोदाम की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो मात्र 4 प्रतिशत (केवल दल्लावाला, दुग्ध समिति, हरिद्वार) ने इसकी उपलब्धता की पुष्टि की। वहीं दूसरी ओर जब समितियों से पशु आहार, भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो मात्र 33 प्रतिशत ने इसकी उपलब्धता की पुष्टि की। कुल मिलाकर समितियों के पास मिल्क रूम एवं भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता की स्थिति अच्छी नहीं पायी गयी, जिस पर आवश्यकतानुरूप समितियों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जाय।

तालिका 5.6: समितियों के पास उपलब्ध सुविधायें/उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति (N=24)

क्र. सं.	उपकरण	समितियों की संख्या जिन्होंने उपलब्ध होने की पुष्टि की	प्रतिशत
1	मिल्क रूम (दुग्ध कक्ष)	11	46%
2	भूसा गोदाम	1	4%
3	प्रश्न 24 के अनुसार भूसा/चारा गोदाम	8	33%
4	लैक्टो मीटर (दूध में फैट मापने का यंत्र)	23	96%
5	दुग्ध जांच संयंत्र	21	88%
6	मिल्किंग मशीन	14	58%
7	पशुशाला	7	29%
8	दुग्ध कैन	21	88%
9	यातायात कैन	22	92%
10	विडारो मीटर	18	75%
11	फिनाईल/एल्कोहॉल/तेजाब	21	88%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

- 5.5.4 उपरोक्त संदर्भ में समितियों पर मिल्क रूम तथा भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता के बारे में परीक्षण कर आवश्यकतानुसार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय।

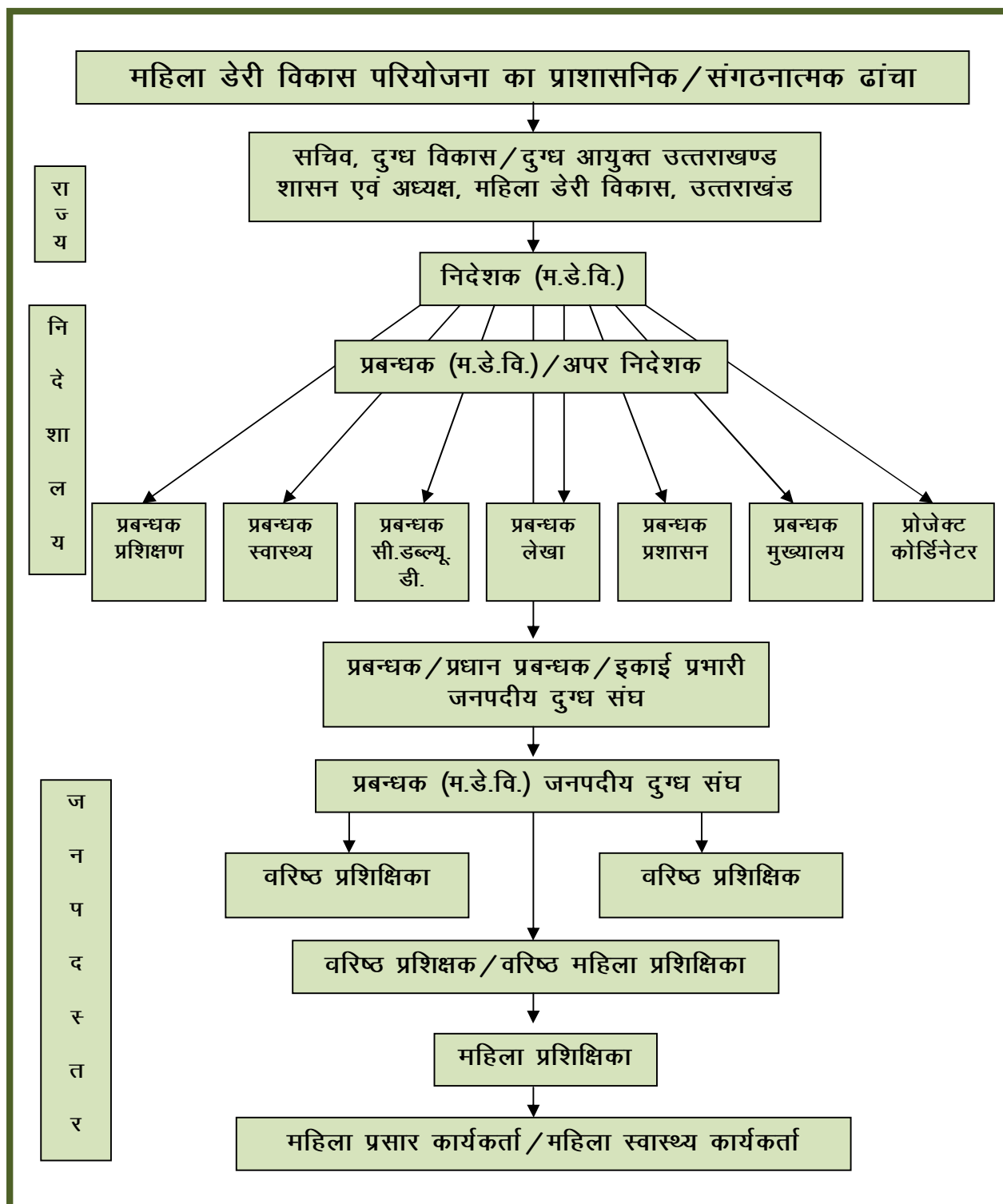
अध्याय — 6

महिला डेरी विकास परियोजना में नियोजित कर्मिकों की स्थिति

किसी भी योजना के सफल संचालन में उपयुक्त संख्या में कर्मचारियों का प्राविधान एक मूलभूत आवश्यकता होती है। इस क्रम में महिला डेरी योजना के मूल्यांकन हेतु अध्ययन परिकल्प में कर्मचारियों की पर्याप्तता/अधिकता का आंकलन करने की अपेक्षा की गयी है। तदनु रूप इस अध्याय में महिला डेरी विकास विभाग तथा न्यादर्श के अन्तर्गत चयनित जनपदों में जनशक्ति के नियोजन का विवरण सन्निहित है।

6.1 महिला डेरी विकास परियोजना का प्राशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा

- 6.1.1 महिला डेरी विकास उत्तराखंड परियोजना को शासनादेश संख्या 833 दिनांक 11 मार्च 1993 के द्वारा कार्यान्वयन हेतु एक स्वशासित स्वतंत्र संगठन घोषित किया गया है। परियोजना के मूल में महिला डेरी विकास परियोजना हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचे, क्रमशः राज्य स्तर, निदेशालय स्तर एवं जनपद स्तर की संकल्पना की गयी है। उक्त ढांचे का स्वरूप अगले पृष्ठ पर दिया गया है। कमोवेश महिला डेरी विकास योजना उक्त ढांचे के अनुरूप ही कार्य कर रही है।
- 6.1.2 परियोजना के सफल संचालन हेतु प्रथम चरण में चार जनपदों में परियोजना के अन्तर्गत कुल 71 पद नियमित वेतनमान में तथा संकलित वेतन पर महिला प्रसार कार्यकर्ताओं के 102 पद, कुल 173 पद स्वीकृत किये गये थे। शासन द्वारा संविदा कर्मियों को वर्तमान में दिये जा रहे नियत वेतनमान में वृद्धि किये जाने विषयक पत्र संख्या 27/XV-2/02 (05)/214 दिनांक 6 जनवरी, 2016 के अनुसार विभाग में कुल 129 कर्मचारी दर्शाये गये हैं। साथ ही महिला डेरी मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के अनुसार परियोजना में मुख्यालय एवं जनपदों पर नियुक्त कर्मचारियों को मिलाकर कुल 125 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, जिसका विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है। उक्त वर्णित शासनादेश में 4 कर्मचारी अधिक दर्शाये गये हैं, जिनमें पशु चिकित्सक का एक पद, महिला प्रसार कार्यकर्ता का एक पद एवं वरिष्ठ प्रशिक्षक/प्रशिक्षिका के दो पद सम्मिलित हैं। साथ ही विभाग में अपर निदेशक, चालक सहित, कुल मिलाकर दो पद वाह्य सेवा से लिये गये हैं। कुल मिलाकर प्रारम्भिक स्वीकृत 173 पदों के सापेक्ष वर्तमान में कुल 125 कर्मचारी संविदा पर नियुक्त हैं।



तालिका 6.1 : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जनपदों को मिलाकर कुल कार्यरत कर्मचारी (संविदा पर) – दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार

क्र.	पदनाम	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	परियोजना समन्वयक	1
2	उप-प्रबन्धक	1
3	सहायक प्रबन्धक	10
4	वरिष्ठ प्रशिक्षिका	9
5	वरिष्ठ प्रशिक्षक	3
6	कार्यालय अधीक्षक	1
7	लेखाकार	2
8	अन्वेषक-कम-संगणक	1
9	महिला प्रशिक्षिका	8
10	स्टोर कीपर	1
11	महिला प्रसार कार्यकर्ता	44
12	लिपिक कम-कम्प्यूटर टंकक-कम लेखा सहायक	13
13	कम्प्यूटर	2
14	चालक	17
15	सहयोगी	12
योग		125
स्रोत : महिला डेरी योजना के मुख्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार।		

6.1.3 उपरोक्त क्रम में महिला डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य के सापेक्ष उपलब्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की पर्याप्तता के बारे में निदेशालय स्तर पर आख्या मांगी गयी। इस संदर्भ में निदेशालय स्तर पर यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में सचिव पशुपालन डेरी विकास की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त (पत्रांक संख्या 420/स.रा.प.डे./पी.एस./2006 दिनांक 11.10.2006) में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना वर्ष 1994-95 से अनवरत रूप से चल रही है। अतः प्रदेश में महिला डेरी विकास परियोजना के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना को मूल ढांचे सहित वर्तमान स्वरूप में ही नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय, हालांकि शासन स्तर से इस सम्बन्ध में कोई विधिवत् स्वीकृति नहीं दी गयी है। निदेशालय स्तर से सह सुझाव दिया गया है कि शासन स्तर/राज्य योजना आयोग स्तर से इस योजना को नॉन-प्लान योजना में परिवर्तित कराने की कार्यवाही करने पर विचार किया जाय। साथ ही निदेशालय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् मानव शक्ति की आवश्यकता जताई गयी है-

क्र.	स्तर	मानव शक्ति की आवश्यकता
1	राज्य स्तर	लाईन मैनेजर
2	जनपद स्तर	क्षेत्र/प्रसार कार्यकर्ता
3	गांव/समिति स्तर	प्रसार कार्यकर्ता
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

6.1.4 उपरोक्त संदर्भ में निदेशालय स्तर पर महिला डेरी विकास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यह सुझाव दिया गया है कि परियोजना का ढांचा तैयार कर वर्तमान में नियुक्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाय।

6.1.5 परियोजनान्तर्गत न्यादर्श जनपदों में कर्मचारियों की पर्याप्ता/अधिकता: अध्ययन के दौरान न्यादर्श के अन्तर्गत चयनित 6 जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों से सम्बन्धित जनपद में कर्मचारियों की पर्याप्तता/अधिकता के बारे में जानकारी ली गयी। सभी जनपदों में कार्यरत कर्मचारी संविदा पर कार्यरत बताये गये, जिनका विवरण तालिका 6.2 में दर्शित है।

तालिका 6.2: न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की पर्याप्ता/अधिकता

क्र.	पदनाम	स्थायी कर्मचारी		संविदा कर्मचारी		रिक्त पद	पर्याप्ता / अधिकता के बारे में जनपद की टिप्पणी
		स्वीकृत पद	कार्यरत	स्वीकृत पद	कार्यरत		
जनपद पिथौरागढ़							
1	उप—प्रबन्धक	.			.	.	
2	सहायक प्रबन्धक				.		पद रिक्त (अपर्याप्त)
3	वरिष्ठ प्रशिक्षिका				.		पद रिक्त (अपर्याप्त)
4	महिला प्रशिक्षिका				.		पद रिक्त (अपर्याप्त)
5	महिला प्रसार कार्यकर्ता				5		पर्याप्त
6	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता				.		पद रिक्त
7	लेखा सहायक				1		पर्याप्त
8	चालक				1		पर्याप्त
9	सहयोगी				1		पर्याप्त
योग					8		
जनपद नैनीताल							
1	सहायक प्रबन्धक				1		पर्याप्त
2	वरिष्ठ प्रशिक्षिका				1		पर्याप्त
3	महिला प्रशिक्षिका				1		पर्याप्त
4	महिला प्रसार कार्यकर्ता				8		पर्याप्त
5	लेखा सहायक				1		पर्याप्त
6	चालक				1		पर्याप्त
7	सहयोगी				1		पर्याप्त
योग					14	0	
जनपद टिहरी							
1	सहायक प्रबन्धक			1	0	1	पद रिक्त
2	वरिष्ठ प्रशिक्षिका			1	1	0	पर्याप्त
3	वरिष्ठ प्रशिक्षक			1	1	0	पर्याप्त

तालिका 6.2: न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की पर्याप्ता/अधिकता

क्र.	पदनाम	स्थायी कर्मचारी		संविदा कर्मचारी		रिक्त पद	पर्याप्ता/अधिकता के बारे में जनपद की टिप्पणी
		स्वीकृत पद	कार्यरत	स्वीकृत पद	कार्यरत		
4	महिला प्रसार कार्यकर्ता			3	3	0	अपर्याप्त (कार्य अधिक होने के कारण)
5	लेखा सहायक			.	1	0	पर्याप्त
योग				6	6	1	
जनपद उधमसिंह नगर							
1	सहायक प्रबन्धक				1		पर्याप्त
2	वरिष्ठ प्रशिक्षिका				2		पर्याप्त
3	महिला प्रसार कार्यकर्ता				6		पर्याप्त
4	लेखा सहायक				1		पर्याप्त
5	चालक				1		पर्याप्त
6	सहायक				1		पर्याप्त
योग					12		
जनपद हरिद्वार							
1	सहायक प्रबन्धक			1	1	0	पर्याप्त
2	वरिष्ठ प्रशिक्षिका			2	1	1	अपर्याप्त
3	महिला प्रशिक्षिका			1	0	1	अपर्याप्त
4	वरिष्ठ प्रशिक्षक			1	0	1	अपर्याप्त
5	महिला प्रसार कार्यकर्ता			5	1	4	अपर्याप्त
6	लेखा कर्मी			1	1	0	पर्याप्त
7	चालक			1	1	0	पर्याप्त
योग				12	5	7	
जनपद पौड़ी							
1	सहायक प्रबन्धक			1	1	.	पर्याप्त
2	वरिष्ठ प्रशिक्षिका			1	1	.	पर्याप्त
3	महिला प्रशिक्षिका			1	1	.	पर्याप्त
4	महिला प्रसार कार्यकर्ता			4	.	4	अपर्याप्त
5	लेखाकर्मी			1	.	1	—
6	चपरासी			1	1	0	पर्याप्त
योग				9	4	5	
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

6.1.6 उपरोक्त तालिका 6.2 से निम्न तथ्य उभर कर आते हैं—

- जनपद हरिद्वार में प्रशिक्षिकों, महिला प्रसार कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर जनपद में 12 पदों के सापेक्ष 5 संविदाकर्मी नियुक्त हैं तथा 7 (लगभग 58 प्रतिशत) पद रिक्त हैं, जबकि उक्त जनपद में दुग्ध उत्पादन की स्थिति

तुलनात्मक रूप से अच्छी है। साथ ही जनपद में महिला डेरी के समस्त कार्मिकों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का अनुरोध किया गया है।

- जनपद पिथौरागढ़ में सहायक प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रशिक्षिका, महिला प्रशिक्षिका जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, जबकि जनपद में दुग्ध उत्पादन तुलनात्मक रूप से अच्छा है तथा महिला डेरी से आच्छादित गांवों की संख्या भी 100 से अधिक है। जनपद द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि महिला डेरी का अलग से ढांचा बनाया जाय तथा कार्मिकों को स्थायी किया जाय।
- जनपद टिहरी में कथित रूप से कार्य की अधिकता के कारण महिला प्रसार कार्यकर्ताओं की स्थिति अपर्याप्त दर्शायी गयी है तथा यह सुझाव दिया गया है कि महिला डेरी की संरचना को मजबूत किया जाय।
- जनपद पौड़ी में 5 पद रिक्त बताये गये जिनमें से 4 पद महिला प्रसार कार्यकर्ता के हैं। कार्य की अधिकता के कारण महिला प्रसार कार्यकर्ताओं की स्थिति अपर्याप्त बतायी गयी।
- जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के प्रभारियों के अनुसार इन जनपदों में पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हैं। प्रसंगवश इन दोनों जनपदों में, आच्छादित गांवों की संख्या, महिला लाभार्थी संख्या, कार्यरत कर्मचारी एवं कुल दुग्ध उत्पादन भी अन्य न्यादर्श जनपदों की तुलना में अधिक है। इन दोनों जनपदों में यह सुझाव दिया गया है कि महिला डेरी का विस्तार किया जाय तथा समितियों का लक्ष्य बढ़ाया जाय।

6.1.7 कर्मचारियों की पर्याप्तता/अधिकता के बारे में अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न न्यादर्श जनपदों में समितियों की कुल संख्या एवं महिला लाभार्थियों की कुल संख्या के सापेक्ष उपलब्ध कर्मचारियों का अध्ययन किया गया, जिसका विवरण तालिका 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका नं. 6.3 : महिला डेरी के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में कुल समितियां वार्षिक दुग्ध उत्पादन, आच्छादित गांव तथा कुल लाभार्थी के सापेक्ष उपलब्ध जनशक्ति (2013-14)

क्र.	जनपद	कुल आच्छादित गांव	कुल महिला लाभार्थी	वार्षिक कुल दुग्ध उत्पादन (ली.)	कुल कार्यरत कर्मचारी	प्रति कर्मचारी गांव की संख्या	प्रति कर्मचारी लाभार्थियों की संख्या
1	हरिद्वार	82	2803	1116000	5	16	561
2	टिहरी	99	3528	30924	6	17	588
3	नैनीताल	119	7076	1549790	14	9	505
4	पिथौरागढ़	102	3397	1373736	8	13	425
5	पौड़ी	81	2405	239075	4	20	601
6	उधमसिंह नगर	100	4003	2049840	12	8	334
योग		583	23212	6359365	49	83	3014
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

6.1.8 उपरोक्त तालिका 6.3 से यह परिलक्षित होता है कि जहाँ एक ओर सभी न्यादर्श जनपदों को मिलाकर एक कर्मचारी पर औसतन लगभग 12 गांव आवंटित हैं, वहीं जनपदवार इस वितरण में बहुत अधिक भिन्नता है। इस संदर्भ में जहाँ एक ओर जनपद पौड़ी में एक कर्मचारी पर औसतन लगभग 20 गांव आवंटित हैं वहीं दूसरी ओर उधमसिंह नगर में एक कर्मचारी पर औसतन लगभग 8 गांव आवंटित हैं। इसी प्रकार सभी न्यादर्श जनपदों को मिलाकर जहाँ एक ओर एक कर्मचारी पर औसतन लगभग 474 लाभार्थी आवंटित हैं, वहीं जनपदवार इस वितरण में भी बहुत अधिक भिन्नता है। इस परिपेक्ष्य में जहाँ जनपद उधमसिंह नगर में एक कर्मचारी के पीछे औसतन लगभग 334 लाभार्थी हैं वहीं दूसरी ओर जनपद पौड़ी में एक कर्मचारी के पीछे 601 लाभार्थी वितरित हैं।

6.1.9 न्यादर्श जनपदों में कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न जनपदों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सम्भवतया कोई ठोस मानक नहीं अपनाये गये हैं और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधिक दुग्ध उत्पादक जनपदों में मानव शक्ति की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला डेरी योजना का कार्य वस्तुतः अधिक से अधिक गांवों को योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए महिलाओं को आय अर्जन हेतु दुग्ध उत्पादन में नियोजित करना है। अतः विभिन्न जनपदों में कर्मचारियों के नियोजन हेतु अधिक दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों को ही आधार बनाने के बजाय विभिन्न जनपदों में कुल गांवों एवं महिलाओं की संख्या को कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार बनाने पर विचार किया जाय, ताकि योजना का विस्तार हो सके तथा अधिक से अधिक महिलायें कार्यक्रम से जुड़कर जी.डी.पी. में अपना योगदान दे सकें।

6.1.10 परियोजना में वर्तमान में सभी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं एवं राज्य स्तर तथा अधिकतर जनपदों से सुझाव दिया गया है कि महिला डेरी की संगठन संरचना अलग से अलग से बनायी जाय तथा इस योजना के कर्मचारियों को नियमित किया जाय। इस विषय में प्रस्तर 6.1.3 में वर्णित तथ्यों के आधार पर परियोजना को मूल ढांचे सहित वर्तमान स्वरूप में नियमितीकरण हेतु विचार करना युक्ति संगत होगा।

न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों पर वेतन एवं भत्ते के मद में व्यय भार

6.1.11 न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों पर वेतन एवं भत्ते के मद में व्यय भार का विवरण पार्श्व में प्रस्तुत तालिका 6.4 में दर्शाया गया है। उपरोक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड सरकार की राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत की जाती है। साथ ही उक्त मद में राज्य स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों का व्यय भार भी राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत वहन किया जाता है।

तालिका 6.4: कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के मद में व्यय व्यय भार का विवरण

क्र.	जनपद	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	हरिद्वार	95925	1237100
2	टिहरी	87201	1246941
3	नैनीताल	175000	2124162
4	पिथौरागढ़	86695	1040340
5	पौड़ी	88583	1062996
6	उधमसिंह नगर	142533	1894377
योग		675937	7542920
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों के रूप में राज्य सरकार का दुग्ध उत्पादन में योगदान (रूपया प्रति लीटर)

- 6.1.12 न्यादर्श जनपदों में वेतन एवं भत्तों के रूप में राज्य सरकार के योगदान का विवरण तालिका 6.5 में दर्शित है। उक्त तालिका के अनुसार औसतन राज्य सरकार द्वारा वेतन एवं भत्तों के रूप में रूपया 0.75 प्रति लीटर का योगदान दिया जा रहा है। परन्तु इसमें जनपद स्तरीय विचलन बहुत अधिक है। जहाँ एक ओर जनपद पौड़ी में यह राशि रु.5.15 प्रति लीटर है वहीं दूसरी ओर जनपद नैनीताल में यह धनराशि रु. 0.41 प्रति लीटर आती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जिन जनपदों में दुग्ध उपार्जन कम है उन जनपदों में वेतन एवं भत्तों के रूप में फिक्सड व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सम्भावनायें तलाशी जायें।

तालिका 6.5 : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत वेतन एवं भत्तों के रूप में राज्य सरकार का दुग्ध उत्पादन में योगदान (रूपया प्रति लीटर)

क्र. सं.	जनपद का नाम	दुग्ध उत्पादन (ली. प्रतिदिन)	वार्षिक दुग्ध उत्पादन (लीटर)	वार्षिक व्यय	प्रति लीटर योगदान (रूपया)
1	पौड़ी	565	206225	1062996	5.15
2	टिहरी	863	314995	1246941	3.96
3	हरिद्वार	4513	1647245	1237100	0.75
4	नैनीताल	14024	5118760	2124162	0.41
5	उधमसिंह नगर	7892	2880580	1894377	0.66
6	पिथौरागढ़	3483	1271295	1040340	0.82
योग		31340	11439100	7542920	0.75
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे					

महिला डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण की स्थिति

महिला डेरी योजना का मिशन उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलाओं को उनकी वर्तमान दयनीय स्थिति से उभारने हेतु आय अर्जक संसाधनों की वृद्धि, सम्पत्ति अर्जन, आत्म शक्ति व नेतृत्व विकास, स्वालम्बन, शिक्षा, जागरूकता, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा तथा महिलाओं के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करते हुए उन्हें क्षेत्र के आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ग्राम स्तर पर महिलाओं का एक मंच तैयार कर ग्रामीण महिलाओं का बहुमुखी/समग्र विकास करना है। किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना से सम्बद्ध पक्षों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित पहलुओं एवं उत्तरदायित्वों की समझ स्पष्ट होनी चाहिए। अतः सभी विकास योजनाओं में प्रशिक्षण को सम्बन्धित कार्यक्रम के मूलभूत घटक के रूप में स्थान दिया जाता है। तदनु रूप निम्न उद्देश्यों से प्रशिक्षण घटक को महिला डेरी योजना में विशेष स्थान दिया गया है—

- समाज के सबसे निचले स्तर की महिलाओं में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा आनन्द पद्धति पर सहकारी दुग्ध समिति गठित करके उन्हें ग्राम, जिले एवं राज्य स्तर पर सीधे सहभागिता करने का अवसर प्रदान करना जो एक सामान्य ग्रामीण महिला के लिए दिन में सपने देखने जैसा होता है।
- ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व्यवस्था एवं चारा विकास आदि के लिए प्रशिक्षित करना।
- महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारी देकर प्रशिक्षित करना।
- गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को जीवनरक्षक टीकाकरण की सुविधायें तथा इनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध कराना।
- दुग्ध उत्पादकों की गरीबी एवं शोषण का उन्मूलन करना तथा उनमें इस तरह की जागरूकता उत्पन्न करना कि वे कठिनाईयों का निराकरण स्वयं कर सकें।
- कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण महिलाओं में ज्ञान एवं कौशल विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला डेरी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकतानुसार मुख्यतया निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं—

- **महिला सचिव प्रशिक्षण:** दुग्ध समितियों की प्रबन्ध समिति को सचिव नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है जिसका मुख्य कार्य लेखा पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं प्रबन्ध समिति के निर्देशानुसार समिति के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबन्धन करना है। सचिव के कार्य की महत्ता को देखते हुए इस प्रशिक्षण की अवधि एक माह की निर्धारित है।

- **मिल्क टेस्टर ट्रेनिंग:** मिल्क टेस्टर को प्रशिक्षण केन्द्र स्थल पर 5 दिन का और तदोपरान्त जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला स्तरीय मिल्क यूनियन के अवशीतन केन्द्र पर।
- **महिला प्रबन्धकारिणी समिति प्रशिक्षण:** महिला डेरी कोऑपरेटिव सोसायटी की प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण केन्द्र पर महिला डेरी कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रबन्धन में उनकी भूमिका के बारे में 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण केन्द्र पर समितियों के महिला सदस्यों को वाह्य भ्रमण के माध्यम से दुधारू पशुओं के प्रबन्धन एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा चारा उगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्हें किसी संगठित डेरी संस्थान में निदर्शन हेतु ले जाया जाता है।
- **परियोजना कर्मियों का प्रशिक्षण:** परियोजना कर्मियों को महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अद्यतन प्रगति से अवगत होना जरूरी होता है। अतः उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं, सेमीनार आदि में प्रतिभाग करने हेतु भेजा जाता है। इससे उन्हें पशुपालन तथा डेरी पशुओं के प्रबन्धन में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- **लिंग संवेदीकरण:** जो महिलायें महिला डेरी कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकित होती हैं उन्हें पुरुष बाहुल्य समितियों के सापेक्ष महिला डेरी कोऑपरेटिव समितियों में महिलाओं की भूमिका के बारे में संवेदित किया जाता है।
- **कम्प्यूटर ट्रेनिंग:** योजना के अन्तर्गत यह परिकल्पना है कि प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर सहायक सामग्री सहित कम्प्यूटर का प्राविधान किया जाय ताकि प्रशिक्षण केन्द्रों पर महिला डेरी कोऑपरेटिव समिति की गतिविधियों से सम्बन्धित आंकड़ों को संकलित कर उनका विश्लेषण किया जा सके। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट स्टॉफ को प्रशिक्षण देना प्रस्तावित है।
- **फार्मर्स इण्डक्शन ट्रेनिंग:** इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत सक्रिय महिला सदस्यों/किसानों को विभिन्न समितियों, यूनियनों, पशुआहार निर्मित करने वाली फैक्ट्रियों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों, आदि पर भ्रमण हेतु ले जाया जाता है ताकि उन्हें समितियों तथा इनमें उनकी भूमिका के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। यदि आवश्यक हो तो उन्हें आनन्द डेरी भ्रमण पर भी ले जाया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण जैसे प्राथमिक पशु चिकित्सा/ए.आई. कार्यकर्ता प्रशिक्षण, महिला शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, विधि साक्षरता प्रशिक्षण, क्रैच सहायिका प्रशिक्षण, जैविक खाद प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण, आदि का भी प्राविधान योजनान्तर्गत किया गया है।

7.1 महिला डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण/गतिविधियां

- 7.1.1 महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत प्रदत्त किये जाने उपरोक्त प्रशिक्षणों के क्रम में अध्ययन के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में विभिन्न वर्षों में आयोजित प्रशिक्षणों/गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 के

बीच सभी न्यादर्श जनपदों में मुख्यतया महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण एवं समिति अध्यक्षता ओरियन्टेशन प्रशिक्षण, पशुपालन एवं चारा विकास, स्टॉफ प्रशिक्षण, समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। साथ ही प्रश्नगत अवधि में सम्बन्धित जनपदों में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच आयोजित प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-1** में एवं उक्त अवधि में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कुल लक्षित प्रशिक्षणार्थी एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी तथा गोष्ठी/सेमिनार का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2** दिया गया है। उक्त अवधि के बीच आयोजित किये गये कुल प्रशिक्षण, प्रशिक्षितों एवं गतिविधियों की संख्या का विवरण तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: चयनित न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक आयोजित प्रशिक्षण, प्रशिक्षितों की संख्या एवं आयोजित गतिविधियों (गोष्ठी/सेमीनार) का विवरण

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि (दिन)	प्रकार/स्वरूप	कुल आयोजित गोष्ठी/सेमीनार	प्रशिक्षणों में कुल प्रशिक्षितों की संख्या
जनपद : पिथौरागढ़					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	15	आवासीय	-	10
2	प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण एवं समिति अध्यक्ष ओरियन्टेशन	3	आवासीय	-	60
3	पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	330
4	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	गैर आवासीय	-	10
5	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1	गैर आवासीय	10	-
6	समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	-
योग				10	410
जनपद : नैनीताल					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	15	आवासीय	-	12
2	प्रबन्ध समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	99
3	पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	-
4	फार्मर्स इण्डक्शन प्रोग्राम	3	आवासीय	-	-
5	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	आवासीय	-	10
6	सचिव समिति रिफ्रेशर कार्यक्रम	3	आवासीय	-	-
7	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	7	आवासीय	9	-
योग				9	121
जनपद : उधमसिंह नगर					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	10
2	प्रबन्ध समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	81
3	फार्मर्स इण्डक्शन प्रोग्राम	.	.	-	-
4	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	गैर आवासीय	-	10
5	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1	आवासीय	6	-
6	समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष सेमीनार	1	गैर आवासीय	6	-
योग				12	101

तालिका 7.1: चयनित न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक आयोजित प्रशिक्षण, प्रशिक्षितों की संख्या एवं आयोजित गतिविधियों (गोष्ठी/सेमीनार) का विवरण

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि (दिन)	प्रकार/स्वरूप	कुल आयोजित गोष्ठी/सेमीनार	प्रशिक्षणों में कुल प्रशिक्षितों की संख्या
जनपद : टिहरी					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	15	आवासीय	-	12
2	प्रबन्ध समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	114
3	समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	-
4	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	गैर आवासीय	-	10
5	सचिव समिति रिफ्रेशर कार्यक्रम	1	गैर आवासीय	-	12
6	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1	गैर आवासीय	9	-
योग				9	148
जनपद : हरिद्वार					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	15	आवासीय	-	10
2	प्रबन्ध समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	60
3	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	आवासीय	-	10
4	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1	आवासीय	6	-
5	समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	-
योग				6	80
जनपद : पौड़ी					
1	महिला सचिव/टैस्टर प्रशिक्षण	15	आवासीय	-	30
2	प्रबन्ध समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	3	आवासीय	-	45
3	स्टॉफ प्रशिक्षण	7	आवासीय	-	-
4	पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	3	गैर आवासीय	-	60
5	समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण	3	आवासीय	-	-
6	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	1	आवासीय		
योग				-	135
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे					

7.2 न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक प्रशिक्षण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति

7.2.1 अध्ययन के दौरान न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक प्रशिक्षण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 7.2 में दर्शित है।

तालिका 7.2 : निम्न पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण हेतु किये गये व्यय का विवरण (रूपये में)

क्र.	जनपद	वर्ष	कुल स्वीकृत धनराशि		कुल स्वीकृत धनराशि		यदि स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जा सकी तो उसका कारण
			राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	
1	हरिद्वार	2009-10	27850		27850		
		2010-11	21500		21500		
		2011-12	21500		21500		
		2012-13	23400		23400		
		2013-14	23400		23400		
		2014-15	-	-	-	-	
2	टिहरी	2009-10	141383		141383		
		2010-11	51000		51000		
		2011-12	45000		45000		
		2012-13	51400		51400		
		2013-14	191000		191000		
		2014-15	-	-	-	-	
3	नैनीताल	2009-10	71646		71646		
		2010-11	48500		48500		
		2011-12	50000		50000		
		2012-13	68800		68800		
		2013-14	259300		241357		लक्ष्य पूर्ण कर लिये हैं
		2014-15	-	-	-	-	
4	पिथौरागढ़	2009-10	1040769		1040769		
		2010-11	1196754		1196754		
		2011-12	1092200		1092200		
		2012-13	1119200	1636000	1119200	15846	देर से धनराशि मिली
		2013-14	1577300		1577300		
		2014-15	1122300	747000	1122300		
5	पौड़ी	2009-10	86038		86038		
		2010-11	26500		26500		
		2011-12	20500		20500		
		2012-13	14200		14200		
		2013-14	21400		21400		
		2014-15	-	-	-	-	
6	उधमसिंह नगर	2009-10	40647		40647		
		2010-11	20500		20500		
		2011-12	21500		21500		
		2012-13	15200		15200		
		2013-14	23400		23400		
		2014-15	-	-	-	-	

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

7.2.2 उपरोक्त तालिका 7.2 से निम्न तथ्य स्पष्ट हैं –

- जनपद पिथौरागढ़ को छोड़कर अन्य सभी न्यादर्श जनपदों में प्रशिक्षण हेतु राज्यांश ही मिला। जनपद पिथौरागढ़ में संदर्भित अवधि के मध्य केवल वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश के रूप में कुल रु.16,36,000/- प्रशिक्षण मद में मिला।
- सभी न्यादर्श जनपदों में प्राप्त धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया। जनपद पिथौरागढ़ में केन्द्रांश देर से मिलने के कारण मात्र रु.15,846/-का उपयोग नहीं किया जा सका।

7.2.3 तालिका 7.1 के क्रम में न्यादर्श जनपदों में विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कुल प्रशिक्षितों की संख्या तथा कुल आयोजित गोष्ठियों/सेमीनारों की संख्या का सरांश तालिका 7.3 में दर्शाया गया है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

तालिका 7.3: चयनित न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक आयोजित प्रशिक्षण, प्रशिक्षितों की संख्या एवं आयोजित गतिविधियों (गोष्ठी/सेमीनार) का विवरण

क्र.	जनपद	कुल आयोजित गोष्ठी/सेमीनार	विभिन्न प्रशिक्षणों कुल प्रशिक्षितों की संख्या
1	पिथौरागढ़	10	410
2	नैनीताल	9	121
3	उधमसिंह नगर	12	101
4	टिहरी	9	148
5	हरिद्वार	6	80
6	पौड़ी	0	135
योग		46	995
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे			

वाहय प्रशिक्षण संस्थानों से कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.2.4 अध्ययन के दौरान यह प्रकाश में आया कि उपरोक्त नैतिक प्रशिक्षणों के साथ-साथ महिला डेरी कार्मिकों, समितियों के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं सक्रिय महिला सदस्यों के लिए वाहय प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत् है—

तालिका 7.4 : वाहय प्रशिक्षण संस्थानों से कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण संस्थान	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण का स्वरूप	प्रशिक्षण की अवधि
1	अनुशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	5	आवासीय	22.08.06 से 25.08.06 तक
2	ई-गवर्नेन्स	उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी	2	आवासीय	30.10.06 से 04.11.06 तक
3	जैण्डर मुद्दे	उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	5	आवासीय	10.01.07 से 12.01.07 तक
4	प्रस्तुतिकरण एवं सम्प्रेषण कौशल	उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	10	आवासीय	18.06.12 से 20.06.12 तक
5	स्टॉफ प्रशिक्षण	सहकारी प्रबन्ध संस्थान, देहरादून	28	आवासीय	26.04.10 से 30.04.10 तक

तालिका 7.4 : वाहय प्रशिक्षण संस्थानों से कराये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण संस्थान	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण का स्वरूप	प्रशिक्षण की अवधि
6	स्टॉफ प्रशिक्षण	राष्ट्रीय डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा	28	आवासीय	28.04.08 से 02.05.08 तक
7	बिजनेस एप्रीशियेशन प्रोग्राम	एन.डी.डी.बी. आनन्द गुजरात	13	आवासीय	20.12.10 से 24.12.10 तक
8	बिजनेस एप्रीशियेशन प्रोग्राम	एन.डी.डी.बी. आनन्द गुजरात	12	आवासीय	03.01.11 से 07.01.11 तक
9	स्टॉफ प्रशिक्षण	एन.आर.डी.टी.सी. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्रशिक्षण केन्द्र जालन्धर	28	आवासीय	16.11.15 से 20.11.15 तक
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे					

7.2.5 उपरोक्त तालिका 7.4 एवं प्रशिक्षणों हेतु मिली धनराशि के उपयोग सम्बन्धी तालिका 7.2 से स्पष्ट है कि सम्बन्धित जनपदों में प्रशिक्षण एवं गोष्ठी/सेमीनारों का नियमित रूप से आयोजन किया गया तथा प्रशिक्षण मद में न्यादर्श जनपदों द्वारा प्राप्त धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया गया। साथ ही जैसा कि तालिका 7.4 में दर्शित है, कुछ विशिष्ट प्रशिक्षणों का आयोजन वाहय संस्थानों में भी किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता

7.2.6 जनपद हरिद्वार, टिहरी एवं पिथौरागढ़ के प्रभारियों का अभिमत है कि वर्तमान प्रशिक्षणों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जनपद नैनीताल, पौड़ी एवं उधमसिंह नगर के प्रभारियों का अभिमत है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। जनपद नैनीताल के प्रभारी का अभिमत है कि 'प्रसूति कार्यकर्ता प्रशिक्षण' लाभदायी नहीं है। जहाँ तक वर्तमान प्रशिक्षणों को संशोधित कर जारी रखने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के प्रभारियों द्वारा नेतृत्व विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, चारा विकास, सचिव प्रशिक्षण, टेस्टर प्रशिक्षण, कमेटी प्रशिक्षण, स्टॉफ प्रशिक्षण का पुनर्वावलोकन कर उन्हें नये स्वरूप में जारी रखने का अभिमत व्यक्त किया। इन जनपदों में प्राथमिक पशु चिकित्सा प्रशिक्षण पर विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी गयी।

प्रशिक्षण हेतु स्थापित व्यवस्था

7.2.7 राज्य में डेरी कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो प्रशिक्षण केन्द्र, एक जनपद अल्मोड़ा तथा दूसरा जनपद देहरादून में स्थापित किया गया है। साथ ही सभी न्यादर्श जनपदों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अल्मोड़ा एवं देहरादून में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। उक्त क्रम में न्यादर्श जनपदों में उपलब्ध प्रशिक्षण स्टॉफ विवरण तालिका 7.5 में दर्शित है।

तालिका 7.5: न्यादर्श जनपदों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्टॉफ का विवरण

क्र.	जनपद	स्टॉफ का विवरण	उपलब्ध स्टॉफ की पर्याप्ता सम्बन्धी टिप्पणी
1	हरिद्वार	महिला प्रसार कार्यकर्ता-1, वरिष्ठ महिला प्रशिक्षिका-1, सहायक प्रबन्धक-1	महिला प्रसार कार्यकर्ता अपर्याप्त हैं।
2	टिहरी	1. वरिष्ठ प्रशिक्षक-1 2. वरिष्ठ प्रशिक्षिका-1	जनपद द्वारा उपलब्ध स्टॉफ अपर्याप्त दर्शाया गया है।
3	नैनीताल	1. वरिष्ठ प्रशिक्षक-1, 2.. महिला प्रशिक्षक-1	प्रशिक्षण हेतु दो कर्मचारी और होने चाहिए ताकि कम बैचों में प्रशिक्षण किया जा सके।
4	पिथौरागढ़	प्रशिक्षण हेतु कोई स्टॉफ नहीं है।	प्रशिक्षण अल्मोड़ा और दुग्ध संघ में दिया जाता है।
5	पौड़ी	वरिष्ठ महिला प्रशिक्षिका-1, महिला प्रशिक्षिका-1	प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर पर है, गढ़वाल मण्डल में देहरादून तथा कुमायुं मण्डल में अल्मोड़ा। इस स्तर पर कोई प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है।
6	उधमसिंह नगर	महिला प्रसार कार्यकर्ता-6, वरिष्ठ महिला प्रशिक्षिका-2, सहायक प्रबन्धक-1	पर्याप्त हैं

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

7.3 प्रशिक्षण के बारे में दुग्ध समिति के सदस्यों की प्रतिपुष्टि

विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण

7.3.1 समिति के पदाधिकारियों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण तालिका 7.6 में दर्शित है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि संदर्भित अवधि में महिला सचिव टेस्टर प्रशिक्षण, ए.आई. कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण का आधिक्य रहा। साथ ही समितियों ने सभी प्रशिक्षण लाभदायी बताये।

तालिका 7.6: विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण (समस्त न्यादर्श समितियों एवं तीनो वर्षों को सम्मिलित कर) (N=24)

प्रशिक्षण	कुल आयोजित प्रशिक्षण	कुल प्रतिभागी	औसत प्रशिक्षण प्रति समिति	औसत लाभार्थी प्रति समिति
महिला सचिव टेस्टर प्रशिक्षण	94	129	3.91	5.37
ए.आई. कार्यकर्ता प्रशिक्षण	10	100	0.41	4.16
पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	95	175	3.95	7.29
प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण एवं समिति अध्यक्ष अभिमुखीकरण	8	9	0.33	0.37
प्राथमिक पशु चिकित्सा	16	16	0.66	0.66
महिला शिक्षा कार्यक्रम/स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण	4	48	0.16	2.00

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

7.4 राज्य स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षणों हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

7.4.1 इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 2009-10 से 2015-16 के बीच विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति **परिशिष्ट-8** में दर्शित है तथा उसका सारांश तालिका 7.7 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.7: ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला डेरी कार्यों का लक्ष्य पूर्ति विवरण वर्ष 2009-10 से 2015-16

क्र.	मद	इकाई	कुल योग	
			लक्ष्य	पूर्ति
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम			
	अ) सचिव प्रशिक्षण	लाभार्थी संख्या	153	153
	ब) प्रबन्ध कमेटी प्रशिक्षण	लाभार्थी संख्या	1239	1236
	स) स्टॉफ प्रशिक्षण	लाभार्थी संख्या	136	133
	द) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी	कार्यक्रम संख्या	153	153
	य) समिति अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष	सेमीनार संख्या	150	150
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में गठित एस.सी.पी. की समितियों के लिए			
	1) पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	संख्या	870	870
	2) प्रबन्ध कमेटी सदस्यों का प्रशिक्षण	संख्या	261	260
	3) सचिवों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण	संख्या	29	27
	4) महिला कृषकों का भ्रमण	संख्या	58	50
	5) स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी (1 दिवसीय)	संख्या	29	29
	6) समिति लाभार्थियों को नांद का वितरण	संख्या	870	870
स्रोत : विभागीय अभिलेख (महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा)				

7.4.2 उपरोक्त तालिका 7.7 से स्पष्ट है कि संदर्भित अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष लगभग शत-प्रतिशत रही। इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-8** में प्रस्तुत है।

7.5 प्रशिक्षण के बारे में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि

7.5.1 अध्ययन के अन्तर्गत आच्छादित महिला डेरी योजना के लाभार्थियों में से एक-तिहाई (33.75%) लाभार्थियों ने योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्ति की पुष्टि की। ऐसे लाभार्थियों ने तालिका 7.8 में उल्लिखित प्रशिक्षणों की प्राप्ति की पुष्टि की।

तालिका 7.8 : सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना (बहुउत्तरीय) (N=240)

प्रशिक्षण का विषय	प्राप्त प्रशिक्षण (संख्या)	प्रतिशत
महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण	12	11.54%
पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	67	64.42%
महिला शिक्षा कार्यक्रम	4	3.85%
स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	6	5.77%

तालिका 7.8 : सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना (बहुउत्तरीय) (N=240)

प्रशिक्षण का विषय	प्राप्त प्रशिक्षण (संख्या)	प्रतिशत
विधि साक्षरता प्रशिक्षण	1	0.96%
जैविक खाद प्रशिक्षण	3	2.88%
गर्भावस्था के लक्षणों से सम्बन्धित प्रशिक्षण	5	4.81%
स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण	6	5.76%
योग	104	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

7.5.2 जिन लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्ति की पुष्टि की उन्होंने तालिका 7.9 में दर्शित प्रशिक्षण अधिक लाभदायी होने की पुष्टि की।

तालिका 7.9 : सदस्यों द्वारा प्राप्त लाभदायी प्रशिक्षण कार्यक्रम (N=104)

प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	प्रतिशत
महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण	18	17.31%
पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण	65	62.50%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

7.5.3 लाभार्थियों से यह भी पूछा गया कि डेरी विकास के क्षेत्र में उन्हें उपरोक्त वर्णित प्रशिक्षणों के अलावा कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मात्र 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता जताई। जब इन लाभार्थियों से यह पूछा गया कि किन-किन बिन्दुओं पर उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो 53 प्रतिशत लाभार्थियों ने सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण पर जोर दिया; 28 प्रतिशत ने प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण; 9 प्रतिशत ने ए.ई. वर्कर/पशु चिकित्सा पर फर्स्ट ऐड प्रशिक्षण तथा लगभग 9 प्रतिशत ने लाईव स्टॉक ब्रीडिंग/चारा विकास पर प्रशिक्षण दिये जाने की इच्छा जताई।

7.5.4 तालिका 7.8 एवं 7.9 से स्पष्ट है कि अधिकतर लाभार्थियों को महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण (11.54%) तथा पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण (64.42%) मिला तथा अधिकतर ने इन्हीं दो प्रशिक्षणों (महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण (17.31%) तथा पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण (62.50%)) का अधिक लाभदायी होने की पुष्टि की। ये दोनों ही प्रशिक्षण महिला डेरी योजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

अध्याय — 8

प्रचार-प्रसार

महिला डेरी परियोजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अनुपम पहल है। परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से महिलाओं को सीधे ही आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक उन्नयन के कारण वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। अतः परियोजना के प्रति महिलाओं को आकर्षित करने हेतु प्रचार-प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः विभाग द्वारा परियोजना को सुदूरवर्ती ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने में प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस अध्याय में प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित की गयी गतिविधियां सन्निहित हैं।

8.1 न्यादर्श जनपदों में प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित गतिविधियां

8.1.1 अध्ययन के दौरान न्यादर्श जनपदों के परियोजना प्रभारियों से पूछने पर कि क्या विगत 5 वर्षों में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु कोई विशेष प्रयास किये गये तो सभी ने इस सम्बन्ध में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। न्यादर्श जनपदों में प्रभारियों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर विभिन्न जनपदों में विगत 5 वर्षों के दौरान आयोजित की गयी गतिविधियों का विवरण तालिका 8.1 में प्रस्तुत है।

तालिका 8.1 : विगत पांच वर्षों में महिला डेरी के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित की गयी गतिविधियां

क्र.	आयोजित गतिविधियां	हरिद्वार	टिहरी	नैनीताल	पिथौरागढ़	पौड़ी	उधमसिंह नगर
1	दीवार लेखन	✓	✓	✓	✓	✓	
2	गांव में बैठक	✓	✓	✓	✓		✓
3	योजना लागू करने हेतु सर्वे कार्य	✓	✓	✓	✓		✓
4	गांव में गोष्ठी का आयोजन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	महिला दिवस के अन्तर्गत गोष्ठी का आयोजन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	पैम्पलेट/पोस्टरों का वितरण			✓		✓	✓
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

8.1.2 जनपद स्तर पर बतायी गयी स्थिति के अनुसार उपरोक्त की प्रतिपुष्टि में न्यादर्श जनपदों में विगत पांच वर्षों के दौरान प्रचार-प्रसार मद में किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका 8.2 में प्रस्तुत है।

तालिका 8.2: 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु किये गये व्यय का विवरण (रूपये में)

क्र.	जनपद	वर्ष	कुल स्वीकृत धनराशि		धनराशि की पर्याप्तता	कुल व्यय की गयी धनराशि		स्वीकृत राशि व्यय नहीं होने के पीछे कारण
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश	
1	हरिद्वार	2009-10	24999		अपर्याप्त	24999		
		2010-11	23500		अपर्याप्त	23500		
		2011-12	23500		अपर्याप्त	23500		
		2012-13	28000		अपर्याप्त	28000		
		2013-14	25000		अपर्याप्त	25000		
2	टिहरी	2009-10	29007			29007		
		2010-11	24500			24500		
		2011-12	24500			24500		
		2012-13	30000			30000		
		2013-14	37000			37000		
3	नैनीताल	2009-10	6000		अपर्याप्त	6000		
		2010-11	2500		अपर्याप्त	2500		
		2011-12	2500		अपर्याप्त	2500		
		2012-13	6000		अपर्याप्त	6000		
		2013-14	3000		अपर्याप्त	3000		
4	पिथौरागढ़	2009-10	2500		अपर्याप्त	2500		
		2010-11	2500		अपर्याप्त	2500		
		2011-12	2500		अपर्याप्त	2500		
		2012-13	7000		अपर्याप्त	7000		
		2013-14	5000		अपर्याप्त	5000		
5	पौड़ी	2009-10	32999		पर्याप्त	32999		
		2010-11	24500		पर्याप्त	24500		
		2011-12	24500		पर्याप्त	24500		
		2012-13	20500		पर्याप्त	20500		
		2013-14	27000		पर्याप्त	27000		
6	उधमसिंह नगर	2009-10	30000			30000		
		2010-11	23500			23500		
		2011-12	23500			23500		
		2012-13	19500			19500		
		2013-14	25000			25000		

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

8.1.3 उपरोक्त तालिका 8.2 से निम्न तथ्य उजागर होते हैं –

- प्रचार-प्रसार हेतु सभी जनपदों में धनराशि राज्यांश से ही उपलब्ध होती है।
- जनपद हरिद्वार, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ के प्रभारियों ने प्रचार-प्रसार के मद में मिली धनराशि को अपर्याप्त बताया तथा इसमें वृद्धि करने का सुझाव दिया है।

- 8.1.4 साथ ही न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों द्वारा प्रचार-प्रसार कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता जताते हुए निम्न सुझाव दिये गये—

तालिका 8.3 : न्यादर्श जनपदों में प्रभारियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु दिये गये सुझाव

क्र.	जनपद	प्रचार-प्रसार हेतु दिये गये सुझाव
1	हरिद्वार	✓ वर्तमान में प्रसार-प्रचार मद में सीमित बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः प्रसार-प्रचार के साधन सीमित हैं। इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ब्लॉक, तहसील, जनपद एवं राज्य स्तर पर समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होगी ताकि ग्रामीण स्तर महिलाओं को इस योजना की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेंगी और ग्रामीण महिलाये इस योजना से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पायेंगी।
2	टिहरी	✓ बजट की राशि बढ़ायी जानी चाहिए।
3	नैनीताल	✓ बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। ✓ महिला शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाय
4	पिथौरागढ़	✓ बजट की राशि बढ़ायी जानी चाहिए।
5	पौड़ी	✓ बजट की राशि बढ़ायी जानी चाहिए।
6	उधमसिंह नगर	✓ वर्तमान में प्रचार-प्रसार के माध्यम सीमित हैं, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु ब्लॉक, तहसील, जनपद एवं राज्य स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण स्तर पर जानकारी होगी, महिलायें ज्यादा जुड़ेगी।
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 8.1.5 उपरोक्त तालिका 8.3 से स्पष्ट है कि लगभग सभी जनपदों के प्रभारियों के अनुसार प्रचार-प्रसार हेतु धनराशि अपर्याप्त है तथा परियोजना सम्बन्धित गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के महत्व तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराने की आवश्यकता के दृष्टिगत बजट की सीमा बढ़ायी जानी चाहिए। यों भी पर्वतीय अंचलों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुँचाये जा रहे नुकसान के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है जिसे पशुपालन से ही सम्भाला जा सकता है। अतः डेरी आधारित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु धनराशि का आवंटन बढ़ाया जाय ताकि कार्यक्रम को सुदूरवर्ती गांव तक पहुँचाकर अधिक से अधिक महिलाओं को कार्यक्रम से जोड़ा जा सके।

8.2 प्रचार-प्रसार के बारे में समितियों की प्रतिपुष्टि

- 8.2.1 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसों का आयोजन: समितियों से वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पुष्टि ली गयी। इस सम्बन्ध में उक्त तीनो वर्षों को मिलाकर अध्ययन से आच्छादित समितियों में कुल 20 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किये गये, जिसमें प्रति आयोजन औसतन 47 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया।
- 8.2.2 आयोजित स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी : समितियों से वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान आयोजित स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी के बारे में पुष्टि ली गयी। इस सम्बन्ध में उक्त तीनो वर्षों को मिलाकर अध्ययन से आच्छादित समितियों में कुल 43 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठियां आयोजित की गयी, जिसमें प्रति गोष्ठी औसतन 15 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया।

8.3 प्रचार-प्रसार के बारे में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि

- 8.3.1 प्रचार-प्रसार की प्रभाविकता देखने हेतु अध्ययन के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों से यह पूछने पर कि उन्हें इस योजना से जुड़ने के लिए किसने उत्प्रेरित किया, तो उन्होंने तालिका 8.4 में दर्शित स्रोतों का उल्लेख किया।

तालिका 8.4 : महिला डेरी योजना की सदस्यता ग्रहण करने हेतु उत्प्रेरित होने का स्रोत

महिला डेरी योजना स्वीकार करने का कारण	संख्या (N)	प्रतिशत
विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से	87	36.25%
समिति के सदस्यों के माध्यम से	130	54.17%
प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से	18	7.49%
गोष्ठी के माध्यम से	5	2.08%
योग	240	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 8.3.2 अध्ययन के अन्तर्गत लाभार्थियों से यह पूछा गया कि उनके द्वारा महिला डेरी योजना अंगीकार करने से पूर्व उनके क्षेत्र में कोई प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस क्रम में 240 में से 205 (85.42%) लाभार्थियों ने यह बताया की कि योजना अंगीकार करने से पूर्व उनके क्षेत्र में अनेक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित हुये। इन 205 लाभार्थियों ने जिन प्रचार प्रसार कार्यक्रमों के

तालिका 8.5: योजना में अंगीकार करने से पूर्व प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित कार्यक्रम (बहुउत्तरीय)

आयोजित कार्यक्रम	संख्या (N=205)	प्रतिशत
दीवार लेखन	61	29.76%
गांव में बैठक	169	82.44%
गोष्ठी का आयोजन	147	71.71%
योजना लागू करने हेतु सर्वे कार्य	9	4.39%
महिला दिवस के अन्तर्गत गोष्ठी का आयोजन	4	1.95%
पैम्पलेट/पोस्टरों का वितरण	7	3.41%
अन्य	2	0.98%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

आयोजन होने की पुष्टि की उनका विवरण तालिका 8.5 में दर्शित है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के प्रति लाभार्थियों को आकर्षित करने हेतु मुख्यतया गांव में बैठक (82.44%), गोष्ठी (71.71%) एवं दीवार लेखन (29.76%) का उल्लेख किया।

- 8.3.3 उपरोक्त तालिका 8.4 से स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना की सदस्यता ग्रहण करने हेतु उत्प्रेरित करने में महिला समिति के सदस्यों (54.17%) तथा विभागीय कर्मचारियों की भूमिका (36.25%) महत्वपूर्ण रही है। पुनः जैसा कि तालिका 8.5 में दर्शित है, योजना में अंगीकार करने से पूर्व प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित कार्यक्रमों के रूप में सर्वाधिक लाभार्थियों ने गांव में बैठक (82.44%) तथा गोष्ठी (71.71%) आयोजित होने की पुष्टि की। इनके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित कार्यक्रमों के रूप में लगभग (29.76%) लाभार्थियों ने दीवार लेखन का भी उल्लेख किया। लाभार्थियों ने यह भी पुष्टि की कि वर्तमान में भी ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं।

अध्याय — 9

पशुआहार

भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के आंकलन के अनुसार वर्ष 2016–17 तक भारत में दूध की मांग 155 मिलियन टन तथा 2021–22 तक 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। इस बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु अगले 15 वर्षों के दौरान औसतन 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। यूनाईटेड नेशनस की फूड एवं एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ.) की संस्था के अनुसार पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत की सहभागिता 16 प्रतिशत है। इसके बावजूद कम उत्पादकता एवं दुग्ध की वृहद घरेलू मांग के कारण भारत मिल्क सरप्लस देशों में स्थान नहीं रखता। दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा एक नई पहल 'नेशनल गोकुल मिशन' लांच किया है। इस मिशन के अन्तर्गत पेशेवर फार्म मैनेजमेंट के माध्यम से स्वदेशी दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने की परिकल्पना की गयी है। इस संदर्भ में मिशन में पशु नस्ल सुधार एवं समुदाय आधारित दुग्ध संग्रहण प्रक्रिया के सुदृढीकरण के साथ-साथ 'पशुओं का पोषण' इस योजना के मुख्य घटकों में से एक है।

अनुमानतः दुग्ध उत्पादन की कुल लागत में 70 प्रतिशत लागत फीड के रूप में मद में आती है। अतः इसके लिए मिशन में निम्न गतिविधियों का प्राविधान है—

- अच्छे किस्म के चारा बीज उपलब्ध कराना।
- राशन बैलेंसिंग हेतु यूजर फ्रेंडली कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास।
- किसानों का यूजर फ्रेंडली कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण।
- मिशन के अन्तर्गत 40,000 लोकर रिसोर्स परसन्सन (एल.आर.पी.) को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, जो किसानों को राशन बैलेंसिंग एवं पशु पोषण के बारे में जानकारी देंगे।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में अच्छे पशु आहार की अहम भूमिका है। पौष्टिक पशु आहार दुधारु पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। हरा चारा एवं अन्य बल्क फीड के अलावा दुधारु पशुओं को संतुलित पशु आहार/यूरिया मोलेसिस ब्रिक (यू.एम.बी.) तथा पूरक पशु आहार (मिनरल मिक्सचर) दिये जाने की नितांत आवश्यकता होती है, ताकि उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा मिनरल्स, आदि की कमी न हो एवं उनकी शारीरिक वृद्धि एवं दूध देने की क्षमता उत्तरोत्तर बनी रहे।

राज्य में पशु आहार को दुग्ध उत्पादन एवं उसकी वृद्धि के लिए मुख्य कारक के रूप में मान्यता दी गयी है। दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवत्ता वाला पशु आहार सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में राज्य के जनपद उधमसिंह नगर में संतुलित आहार तैयार करने हेतु आंचल ब्रांड नाम से निम्नवत दो पशु आहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना की गई है—

- (1) 100 मै0टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की पशु आहार उत्पादन इकाई: इस इकाई में संतुलित पशु आहार का उत्पादन किया जाता है।
- (2) 30 मै0टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की कॉम्पेक्ट फीड ब्लॉक की दो इकाईयां : इस इकाई में कॉम्पेक्ट फीड ब्लॉक्स तथा यू.एम.एम.बी. लिक्स का उत्पादन किया जाता है। साथ ही दो इकाईयां निमार्णाधीन हैं।

राज्य में दुग्ध उत्पादकों को निम्न पशुआहार अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है—

- फीड सप्लीमेंट (मिनरल मिक्सचर) की आपूर्ति
- संतुलित पशु आहार/यूरिया मोलेसिस ब्रिक अनुदान (यू.एम.एम.बी.)

महिला डेरी योजना के लाभार्थियों को अनुदानित दरों पर दुग्ध संघ के माध्यम से पशुआहार उपलब्ध कराया जाता है तथा साथ चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु योजना में चारा बीज मिनी किट/कटिंग/चारा वृक्ष/पौध उपलब्ध कराने का भी प्राविधान है। पशुआहार के बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण आगे दिया गया है।

9.1 पशुआहार पर अनुदान की उपलब्धता के सम्बन्ध में न्यादर्श जनपदों के अधिकारियों की प्रतिपुष्टि

- 9.1.1 इस संदर्भ में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत सीधे तौर पर कोई पशुआहार अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा यह अनुदान संघ के माध्यम से सीधे पशुपालकों को उनकी मांग के आधार पर दिया जा जाता है। इस क्रम में समस्त न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से इस मद में प्राप्त अनुदान की राशि बताने का अनुरोध किया गया परन्तु केवल हरिद्वार एवं पौड़ी जनपदों के प्रभारियों द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत किया जो तालिका 9.1 में प्रस्तुत है। अन्य जनपदों में यह बताया गया कि चूंकि यह अनुदान दुग्ध संघ के माध्यम से दिया जाता है, अतः लाभार्थियों को मिले अनुदान का विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

तालिका 9.1: न्यादर्श जनपदों में विगत पांच वर्षों में पशुआहार हेतु दिया गया अनुदान

क्र.	पशु आहार का नाम	प्राप्त अनुदान (रु. में)									
		2009—10		2010—11		2011—12		2012—13		2013—14	
		मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
1.	हरिद्वार										
अ.	फीडसप्लीमेंट (मिनरल मिक्सचर)	—	—	—	—	3000	9000	405	12150	550	16500
ब.	संतुलित पशु आहार/ यू.एम.बी.	—	—	1560 बैग	117000	2010 बैग	150750	1700 बैक	170000	2375 बैग	237500
2.	टिहरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	नैनीताल										

तालिका 9.1: न्यादर्श जनपदों में विगत पांच वर्षों में पशुआहार हेतु दिया गया अनुदान

क्र.	पशु आहार का नाम	प्राप्त अनुदान (रु. में)									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
अ	फीडसप्लिमेंट (मिनरल मिक्सचर)	—	290000	—	185000	—	54000	—	0	—	0
ब	पशुआहार	—	0	—	790000	—	781000	—	730000	—	0
4	पिथौरागढ़	—	800000	—	600000	—	1200000	—	1100000	—	2160000
5	पौड़ी	—	—	—	391000	—	360000	—	—	—	425000
6.	उधमसिंह नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे											

9.1.2 उपरोक्त संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि यद्यपि पशुआहार पर अनुदान दुग्ध संघ के माध्यम से महिला डेरी के सदस्यों को मिलता है। परन्तु इसके बावजूद यह उचित होगा कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत भी दुग्ध संघ द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण रखा जाना चाहिए ताकि महिला लाभार्थियों को दिये गये पशुआहार अनुदान को महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट किया जा सके।

9.2 पशुआहार के विभिन्न पहलुओं पर न्यादर्श जनपदों में दुग्ध समितियों के पदाधिकारियों की प्रतिपुष्टि

9.2.1 भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता: मात्र एक-तिहाई (33.3%) ने भूसा एवं चारा गोदाम उपलब्ध होने की पुष्टि की। इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी ने गोदाम में भण्डारण हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि। शेष 67 प्रतिशत समितियों के पास वर्तमान में गोदाम उपलब्ध नहीं है उनमें से 69 प्रतिशत समितियों ने यह बताया कि गोदाम की आवश्यकता नहीं है तथा 33 प्रतिशत ने गोदाम की आवश्यकता जताई। इस सम्बन्ध में सविस्तार वर्णन अध्याय-5 के प्रस्तर 5.5.3 में उल्लिखित है।

9.2.2 पशुआहार प्राप्त होने की स्थिति: अध्ययनाधीन समितियों में से 79 प्रतिशत समितियों ने विगत तीन वर्षों के दौरान तालिका 9.2 में दर्शित विवरण के अनुसार मिनरल मिक्सचर एवं यू.एम.बी. मिलने की पुष्टि की।

तालिका 9.2: विगत तीन वर्षों में अध्ययनाधीन समितियों को प्राप्त पशुआहार की स्थिति

पशु आहार का नाम	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		कुल अनुदान प्रति समिति प्रति किग्रा.
	प्राप्त मात्रा (किग्रा.)	वितरित (किग्रा.)	प्राप्त मात्रा (किग्रा.)	वितरित (किग्रा.)	प्राप्त मात्रा (किग्रा.)	वितरित (किग्रा.)	
मिनरल मिक्सचर	3464	3300	5560	4590	5900	6000.5	17.45
यू.एम.बी.	2425	1765	2581	2500	3750	5520	13.16
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

- 9.2.3 उपरोक्त तालिका 9.2 से स्पष्ट है कि रेडीमेड संतुलित आहार की मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यदि पशुपालकों को इसके उपयोग के प्रति और संवेदित किया जायेगा तो इसकी मांग और बढ़ेगी।

9.3 चारा बैंक का उपयोग

- 9.3.1 **चारा बैंक के उपयोग में समितियों की प्रतिपुष्टि:** चारा बैंक से चारा खरीदने के बाबत कुल एक-तिहाई (33.3%) दुग्ध समितियों ने यह पुष्टि की पशुपालक ब्लॉक में स्थापित चारा बैंक से चारा खरीदते हैं। जिन 8 समितियों ने यह पुष्टि की कि पशुपालक चारा बैंक से चारा खरीदते हैं उनमें से 2 ने समिति से चारा बैंक की दूरी 2 से 4 किमी, 2 ने 4 से 6 किमी, 1 ने 8 से 10 किमी तथा 3 ने 10 किमी से ऊपर बतायी।
- 9.3.2 **चारा बैंक के उपयोग में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि:** अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत महिला डेरी योजना के लगभग 27.5 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि उनके द्वारा चारा बैंक से क्रय किया जाता है। जिन लाभार्थियों ने चारा बैंक से चारा खरीदने की पुष्टि की उनमें से 80 प्रतिशत ने चारे की गुणवत्ता अच्छी तथा 18 प्रतिशत ने संतोषप्रद बतायी। साथ ही लगभग 97 प्रतिशत ने चारे का मूल्य बाजार मूल्य की तुलना में कम होना बताया।
- 9.3.3 जिन लाभार्थियों ने चारा बैंक से चारा नहीं खरीदने की पुष्टि की उन्होंने इसके पीछे तालिका 9.3 में दिये गये कारणों का हवाला दिया। तालिका में उल्लिखित कारणों में से चारा बैंक पर चारे की अनुपलब्धता (31.79%), चारा बैंक का दूर होना (16.18%), चारा घर पर ही चारा उगाना (14.45%), मुख्य कारणों के रूप में उभरकर आये।

तालिका 9.3 : चारा क्रय करने हेतु चारा बैंकों उपयोग न करने का कारण

चारा बैंकों उपयोग न करने का कारण	संख्या (N)	प्रतिशत
चारा बैंक का दूर होना	28	16.18%
चारे की गुणवत्ता अच्छी नहीं	10	5.78%
चारा नियमित रूप से नहीं मिलता	16	9.25%
वांछित प्रकार का चारा नहीं मिलता	17	9.82%
उधार नहीं मिलता	7	4.05%
चारा मंहगा है	7	4.05%
चारे की उपलब्धता नहीं है	55	31.79%
चारा घर पर ही चारा उगाना	25	14.45%
चारे की आवश्यकता नहीं है	7	4.05%
कोई उत्तर नहीं	1	0.58%
योग	173	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 9.3.4 चारा बैंक के उपयोग के सम्बन्ध में उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बहुत कम (27.5%) लाभार्थियों द्वारा चारा बैंक से चारा क्रय किया जा रहा है। इन लाभार्थियों ने चारे की गुणवत्ता अच्छी बतायी तथा दाम भी बाजार भाव से कम बताया। जो लाभार्थी

चारा बैंक से चारा नहीं खरीद रहे हैं उन्होंने इसके पीछे मुख्यतया चारा बैंक का दूर होना (16%), चारे की उपलब्धता अच्छी न होना (32%) तथा घर पर ही चारा उगाना (14%) मुख्य कारण के रूप में बताये। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि पशुपालकों के बीच चारा बैंक में उपलब्ध चारे की गुणवत्ता एवं उपादेयता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

9.4 चारे से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर समितियों की प्रतिपुष्टि

- 9.4.1 रेडीमेड पशुआहार खिलाने के प्रति पशुपालकों की अभिरुचि: समितियों से यह पूछने पर कि दुग्ध उत्पादक सदस्य पशुआहार खिलाने में रुचि रखते हैं अथवा नहीं तो 55 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि लोग पशुआहार खिलाने में रुचि रखते हैं। शेष 45 प्रतिशत समितियों ने लोगों में पशुआहार खिलाने के प्रति रुचि की कमी बतायी, जिसके पीछे उन्होंने मुख्यतया दुग्ध उत्पादन में लाभ कम होना (55%), पशुआहार का मंहगा होना (27%) तथा घर पर ही मक्का, बाजरा, आदि उपलब्ध होना (10%) कारण बताये।

9.5 चारे से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर दुग्ध उत्पादकों की प्रतिपुष्टि

- 9.5.1 अध्ययन के दौरान लाभार्थियों से यह पूछने पर कि उनके क्षेत्र में चारा किन-किन स्रोतों से उपलब्ध होता है तो उन्होंने पार्श्व में दर्शित तालिका 9.4 में उल्लिखित स्रोतों का हवाला दिया। तालिका से यह स्पष्ट होता है लगभग 20 प्रतिशत कि लाभार्थियों ने प्रत्येक स्रोत का उल्लेख किया।

तालिका 9.4: विभिन्न स्रोत जिनसे लाभार्थियों को चारा उपलब्ध होता है (बहुउत्तरीय) (N=240)

स्रोत	संख्या	प्रतिशत
पशुपालन विभाग	57	23.75%
दुग्ध संघ	65	27.08%
गैर सरकारी संस्था	58	24.16%
निजी दुग्ध व्यवसायी	57	23.75%
निजी दुकानदार	57	23.75%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 9.5.2 दुग्ध समिति से आवश्यक मात्रा में पशुआहार/चारे की उपलब्धता: इस सम्बन्ध में 60 प्रतिशत महिला लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि उन्हें समिति से आवश्यक मात्रा में पशुआहार/चारा मिल जाता है (तालिका 9.5)। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर लाभार्थियों को समिति से चारा उपलब्ध होता है।

तालिका 9.5: दुग्ध समिति से चारे की उपलब्धता

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
हाँ	144	60.00%
नहीं	93	38.75%
कोई उत्तर नहीं	3	1.25%
योग	240	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 9.5.3 जिन लाभार्थियों ने समिति से चारा न मिलने की बात कही उनसे यह पूछा गया कि उन्हें आवश्यक मात्रा में चारा मिलने में क्या-क्या कठिनाईयां होती हैं। इस सम्बन्ध में मुख्यतया चार बातें उभरकर आयी, जैसे लगभग एक-तिहाई (32.04%) लाभार्थियों ने समिति में चारा न उपलब्ध होने की बात कही; लगभग 11 प्रतिशत ने समिति से उपलब्ध चारे की गुणवत्ता अच्छी न होना बताया; लगभग 22 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें चारा खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तथा लगभग 15 प्रतिशत ने यह बताया कि वे क्राप रैसीड्यू का उपयोग करते हैं (तालिका 9.6)।

तालिका 9.6 : समिति के माध्यम से चारा प्राप्त होने में अनुभूत कठिनाईयां (बहुउत्तरीय)

अनुभूत कठिनाईयां	संख्या (N)	प्रतिशत
अनुपलब्धता	33	32.04%
आवश्यकता महसूस नहीं हुई	23	22.33%
खेतों में चारा उगाते हैं	15	14.56%
पशु आहार मंहगा और उस पर छूट नहीं मिलती	4	3.88%
चारे की गुणवत्ता सही नहीं होना	11	10.68%
सड़क मार्ग से दूरी अधिक होना	2	1.94%
ज्ञान की कमी	3	2.91%
प्राशासनिक समस्याएँ	8	7.77%
कोई उत्तर नहीं	4	3.88%
कुल योग	103	100.00%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

- 9.5.4 अध्ययन के दौरान लाभार्थियों से यह भी पूछा गया कि क्या वे विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चारा बीज का उपयोग करते हैं तो इस सम्बन्ध में जैसा कि तालिका 9.7 में दर्शित है, लगभग 23 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि वे विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चारा बीज का उपयोग करते हैं।

तालिका 9.7: लाभार्थियों द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चारा बीज के उपयोग की स्थिति (N=240)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	55	22.92%
नहीं	152	63.33%
कोई उत्तर नहीं	33	13.75%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

- 9.5.5 चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सुझाव मांगे जाने पर वस्तुतः लाभार्थियों ने कोई व्यवहारिक सुझाव नहीं दिया। मात्र 5 प्रतिशत ने गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया तथा 2 प्रतिशत ने चारा उगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया (तालिका 9.8)।

तालिका 9.8: लाभार्थियों द्वारा चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सुझाव (N=240) (बहुउत्तरीय)

सुझाव	संख्या	प्रतिशत
चारे की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए	81	33.06%
चारा बैंक समिति के नजदीक होना चाहिए	5	2.04%
चारा उगाने हेतु भूमि उपलब्ध करायी जानी चाहिए	5	2.04%
सभी प्रकार का चारा बैंक पर उपलब्ध होना चाहिए	11	4.49%
समिति द्वारा पर्याप्त मात्रा में चारा मिलना चाहिए	3	1.22%

तालिका 9.8: लाभार्थियों द्वारा चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सुझाव (N=240) (बहुउत्तरीय)

सुझाव	संख्या	प्रतिशत
चारा संग्रहण के लिए गोदाम उपलब्ध कराया जाय	12	4.90%
पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होना चाहिए	6	2.45%
चारे हेतु सरकार द्वारा नई योजना चलानी चाहिए	1	0.41%
कोई उत्तर नहीं	121	49.39%

- 9.5.6 **समिति को अपने सदस्यों हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि:** अध्ययन के अन्तर्गत 47 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि उन्हें समिति के सदस्यों हेतु विगत तीन वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। उनसे यह पूछने पर कि उन्हें विभिन्न मदों में कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो ऐसी सभी समितियों ने मात्र पशु आहार अनुदान के मद में सहायता मिलने की पुष्टि की। औसतन प्रति समिति विगत तीन वर्षों में पशुआहार अनुदान के मद में प्राप्त धनराशि का विवरण तालिका 9.9 में दर्शित है, जिससे स्पष्ट है कि समितियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में रु. 2000/- प्रति समिति तथा वर्ष 2014-15 में रु. 30,000/- प्रति समिति पशुआहार अनुदान के रूप में मिला।

तालिका 9.9: समिति द्वारा सदस्यों हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि

विवरण	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
	प्राप्त धनराशि	व्यय	प्राप्त धनराशि	व्यय	प्राप्त धनराशि	व्यय
पशु आहार अनुदान	2000.00	1750.00	2000.00	2000.00	30,000.00	14,880.00
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे						

पशु स्वास्थ्य देखभाल तथा नैसर्गिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के उपयोग की स्थिति

10.1 पृष्ठभूमि

10.1.1 दुग्ध की मात्रा एवं गुणवत्ता का पशु के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य में डेयरी कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दुधारु पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु निम्न मूलभूत सेवाओं की नितांत आवश्यकता होती है—

- प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा
- पशुओं का टीकाकरण
- डिवार्मिंग सेवायें
- उभरती बीमारियों से बचाव
- स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन
- पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकने हेतु आवश्यक कानून बनाना एवं उन्हें लागू करना
- पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं की समुचित व्यवस्था

10.1.2 उपरोक्त पृष्ठभूमि में उत्तराखण्ड में भी पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा राज्य की दो मुख्य योजनाओं, नामतः जिला सेक्टर योजना तथा महिला डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य हेतु निम्न प्राविधान किये गये हैं—

i. **जिला सेक्टर योजना:** राज्य के जिला सेक्टर योजना वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत मार्गनिर्देशिका से यह स्पष्ट होता है कि राज्य द्वारा पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें इस संबंध में निम्न मार्गनिर्देश दिये गये हैं—

प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा, डिवार्मिंग एवं टीकाकरण : ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु ग्राम स्तर पर डिवार्मिंग, टीकाकरण एवं प्राथमिक पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् सहायता प्रदान की जायेगी —

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| (1) डिवार्मिंग | — | 40.00 रु० प्रति पशु |
| (2) टीकाकरण | — | 15.00 रु० प्रति पशु |
| (3) प्राथमिक पशु चिकित्सा | — | 30.00 रु० प्रति पशु |

फीडसप्लीमेन्ट (मिनरल मिक्सचर) की आपूर्ति: दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं दुधारु पशुओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु फीड सप्लीमेन्ट की आपूर्ति की जायेगी। ऐसे दुग्ध उत्पादक जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हों उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान पर फीड सप्लीमेन्ट की आपूर्ति की जायेगी। एक किग्रा 0 फीड सप्लीमेन्ट का मूल्य रु.60/-होगा, जिसके लिए मूल्य रु.30/- राजसहायता एवं मूल्य रु.30/-लाभार्थी अंश के रूप में दिया जायेगा है।

आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा: दुग्ध समिति सदस्यों को अल्पसूचना पर निःशुल्क आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाय। प्रसंगवश इस हेतु एक वाहन (12 महीने के लिए), 100 केस प्रतिमाह दवायें तथा मानदेय के आधार पर पशु चिकित्सक का प्राविधान किया गया है।

पशुचिकित्सा कैम्प एवं पशु प्रदर्शनी: दुग्ध समिति से आच्छादित ग्रामों में पशुचिकित्सा कैम्प एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा, जिसका उद्देश्य योजना का उद्देश्य दुधारु पशुओं की ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं के रखरखाव को बढ़ावा देना होगा। कैम्प, आवश्यक दवा, आदि की व्यवस्था विभागीय संसाधन के अन्तर्गत की जायेगी तथा इन कैम्पों में पशुपालन विभाग का सहयोग लिया जायेगा। प्रसंगवश कैम्पों की व्यवस्था, प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति एवं पशुपालकों को पुरस्कृत करने हेतु मु0 रु.5,000/- (रुपये पांच हजार) मात्र प्रति कैम्प व्यय किया जाता है।

संतुलित पशुआहार/यूरिया मोलेसिस ब्रिक अनुदान (यू.एम.एम.बी.) पर अनुदान: दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारु पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु अलग-अलग दरों पर अनुदानित पशु आहार प्रदान किया जाता है।

स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण: दुग्ध समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट, जिसमें नेलकटर, अडर स्प्रे, डिटॉल, साबुन, तौलिया, मैसटाइटिस स्ट्रिप, फिनायल, आदि सम्मिलित होगा, वितरित की जायेगी। प्रति स्वच्छ उत्पादन किट @रु0 300.00 का प्राविधान किया गया है।

ii. **महिला डेयरी विकास योजना :** राज्य में इस योजना के अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु संक्षेप में निम्न प्राविधान किये गये हैं।

- बछिया/पड़िया के डिवर्मिंग हेतु सहायता
- टीकाकरण हेतु सहायता
- प्राथमिक पशु स्वास्थ्य चिकित्सा/ए.आई. कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक समिति के एक सदस्य पशुओं की सामान्य बीमारी एवं उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, आदि की जानकारी हेतु 3 माह में प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.2 पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता के सम्बन्ध में न्यादर्श जनपदों के अधिकारियों की प्रतिपुष्टि

10.2.1 महिला डेरी योजना के परिकल्प के अनुसार महिला दुग्ध समितियों को फर्स्ट ऐंड बॉक्स, अड़गड़ा आदि हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। साथ ही योजनान्तर्गत पशु टीकाकरण की सुविधा प्रदान करने का प्राविधान है। इस संदर्भ में सभी न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों ने यह प्रतिपुष्टि की कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत सीधे तौर पर पशु चिकित्सा सेवायें नहीं दी जाती परन्तु महिला डेरी योजना के सदस्यों को दुग्ध संघ के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवायें मिलती हैं। जहाँ तक न्यादर्श जनपदों में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों में निम्नानुसार पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध होने की प्रतिपुष्टि की गयी (तालिका 10.1)।

तालिका नं. 10.1: महिला डेरी के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवायें

क्र.	जनपद	प्राथमिक चिकित्सा	आपातकालीन सेवायें	दवाइयां	डिवार्मिंग	टीकाकरण	अन्य
1	हरिद्वार	✓	✓	—	✓	—	—
2	टिहरी	✓	✓	—	✓	✓	—
3	नैनीताल	✓	✓	✓	✓	✓	
4	पिथौरागढ़	✓	✓	✓	✓	✓	
5	पौड़ी	✓	—	✓	✓	—	—
6	उधमसिंह नगर	✓	✓	✓	✓	—	—

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

10.2.2 जहाँ तक पशु चिकित्सा सेवायें नियमित रूप से उपलब्ध होने का प्रश्न है, जनपद टिहरी को छोड़कर अन्य सभी न्यादर्श जनपदों में पशु चिकित्सा सेवायें नियमित रूप से उपलब्ध होने की प्रतिपुष्टि की गयी तथा यह बताया गया कि इन सेवाओं के लिए दुग्ध संघ के चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। जनपद टिहरी में उक्त सेवा ए.आई. के माध्यम से मिलने की पुष्टि की गयी।

10.2.3 न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से पशु चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2009—10 से 2013—14 के बीच मिली विभिन्न सेवाओं, जैसे डिवार्मिंग, टीकाकरण, प्राथमिक पशु चिकित्सा, आपातकालीन पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प, आदि हेतु मिली अनुदान/आर्थिक सहायता के बारे में भी प्रतिपुष्टि ली गयी। जनपद पौड़ी को छोड़कर अन्य सभी न्यादर्श जनपदों में मात्र प्राथमिक पशु चिकित्सा के मद में मिली अनुदान/आर्थिक सहायता की पुष्टि की गयी, जबकि पौड़ी में प्राथमिक पशु चिकित्सा के मद में मिली धनराशि के अतिरिक्त आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट एवं डिवार्मिंग/औषधि/टीकाकरण के मद में भी धनराशि मिलने की पुष्टि की गयी। तदनुसार विभिन्न न्यादर्श जनपदों में चिकित्सा सेवा के मद में विभिन्न वर्षों में मिली धनराशि का विवरण तालिका 10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2: 20019-10 से 2013-14 के दौरान न्यादर्श जनपदों में पशु चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्राप्त धनरशि

क्र.	मद	प्राप्त सहायता/अनुदान (रु. में)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जनपद : नैनीताल						
i)	डिवार्मिंग	500000	498000	260000	398000	200000
ii)	वैक्सीनेशन/टीकाकरण	150000	150000	162000	246000	200000
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	15000	3000	2000	8000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	879000	0	0	0	0
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	—	—	—	—	—
जनपद : पिथौरागढ़						
i)	डिवार्मिंग	157000	70000	140000	195000	600000
ii)	वैक्सीनेशन/टीकाकरण	—	—	—	—	—
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	8000	2000	2000	4000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	468000	450000	360000	465000	504000
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	441000	257000	510000	400000	195000
जनपद : उधमसिंह नगर						
i)	डिवार्मिंग	दुग्ध संघ द्वारा				
ii)	वैक्सीनेशन	दुग्ध संघ द्वारा				
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	15000	3000	2000	2000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	दुग्ध संघ द्वारा				
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	दुग्ध संघ द्वारा				
जनपद : पौड़ी						
i)	डिवार्मिंग/औषधि/टीकाकरण	0	268700	180000	340000	240000
ii)	वैक्सीनेशन	—	—	—	—	—
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	15000	3000	3000	2000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	0	366000	360000	465000	54000
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	—	—	—	—	—
जनपद : हरिद्वार						
i)	डिवार्मिंग	—	—	—	—	—
ii)	वैक्सीनेशन/टीकाकरण	—	—	—	—	—
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	8000	2000	2000	4000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	—	—	—	—	—
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	—	—	—	—	—
जनपद : टिहरी						
i)	डिवार्मिंग	—	—	—	—	—
ii)	वैक्सीनेशन/टीकाकरण	—	—	—	—	—
iii)	प्राथमिक पशु चिकित्सा	12000	3000	2000	4000	4000
v)	आपातकालीन पशु चिकित्सा यूनिट	—	—	—	—	—
vi)	पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प	—	—	—	—	—
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे						

10.2.4 पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन: पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। इन कैम्पों का उपयोग दुग्ध उत्पादन में संलग्न दुग्ध

उत्पादकों द्वारा किया जाता है, चाहे वे किसी दुग्ध समिति से सम्बद्ध हों अथवा नहीं। न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2014-15 के मध्य आयोजित पशु चिकित्सा कैम्पों का विवरण तालिका 10.3 में प्रस्तुत है। प्रश्नगत अवधि में सबसे अधिक कैम्पों का आयोजन जनपद नैनीताल में (2380) किया गया तथा प्रति न्यादर्श जनपद औसतन 874 कैम्पों का आयोजन किया गया।

तालिका 10.3: न्यादर्श जनपदों में पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन

क. सं.	जनपद	वर्ष 2009-10 से 2014 के बीच आयोजित कैम्पों का विवरण						कुल
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	यू.एस. नगर	42	163	349	21	527	234	1336
2	हरिद्वार	61	47	146	72	106	133	565
3	नैनीताल	685	724	409	198	-	364	2380
4	पिथौरागढ़	-	-	-	35	44	268	347
5	टिहरी	38	5	2	45	166	263	519
6	पौड़ी	-	-	-	52	23	22	97
योग		826	939	906	423	866	1284	5244

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे - सम्बन्धित जनपदों के पशुपालन विभाग द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर।

10.2.5 न्यादर्श जनपदों के सभी प्रभारियों के अभिमत में आयोजित कैम्प पूर्णतः लाभकारी थे तथा उनके द्वारा यह भी पुष्टि की गयी कि दुग्ध उत्पादक सदस्य तत्परता से पशु चिकित्सा कैम्पों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन कैम्पों के द्वारा उन्हें पशुपालन से सम्बन्धित विभिन्न सूचनायें एवं पशुचिकित्सा सेवायें उपलब्ध होती हैं।

10.2.6 पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु जिन न्यादर्श जनपदों में सुझाव दिये गये हैं, वे तालिका 10.4 में प्रदर्शित हैं -

तालिका 10.4: पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार

क.सं.	जनपद	चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव
1	उधमसिंह नगर	समितियों के बीच पर्याप्त संख्या में ए.आई. कार्यकर्ता नियुक्त हों।
2.	नैनीताल	ए.आई. की सुविधा दी जानी चाहिए।
3.	हरिद्वार	दुग्ध समितियों में निशुल्क पशु औषधि वितरण, टीकाकरण, आकस्मिक पशु चिकित्सा व पशु चिकित्सा कैम्पों की निशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
4.	पौड़ी	पशु टीकाकरण एवं ए.आई. की सुविधा निरन्तर होनी चाहिए।
5.	टिहरी	विभाग द्वारा रोटेशन के हिसाब से क्षेत्रवार कैम्पों का आयोजन कर पशुपालकों को जानकारी दी जाय।
6.	पिथौरागढ़	समय से टीकाकरण किया जाय। पशुपालकों को पशु सेवा की जानकारी दी जाय।

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

10.2.7 उपरोक्त तालिका 10.4 में वर्णित सुझावों से यह परिलक्षित होता है कि अधिकतर जनपदों में ए.आई. की मांग है। ज्ञात्वय हो कि ए.आई. कार्यकर्ता कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं। अतः

यह उपयुक्त होगा कि जनपदों में लाईवस्टॉक की संख्या के अनुपात में ए.आई. कार्यकर्ताओं का प्रावधान किया जाय। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को ए.आई. कार्यकर्ता का प्रशिक्षण दिया जाय ताकि पशुस्वास्थ्य सेवाओं के लिये राज्य में पर्याप्त कर्मी उपलब्ध हो सकें। साथ ही पशु चिकित्सा कैंम्पों के आयोजन हेतु मानक तैयार कर इनके आयोजन हेतु सभी जनपदों को यह सेवा समान रूप से दी जाय।

10.3 पशु चिकित्सा के बारे में दुग्ध समितियों की प्रतिपुष्टि

10.3.1 जैसा कि तालिका 10.4.1 में दर्शित है अध्ययन के दौरान न्यादर्श के अन्तर्गत आच्छादित समितियों में से लगभग 88 प्रतिशत समितियों ने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की।

तालिका 10.4.1: समितियां जिन्होंने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की (N=24)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	21	87.5%
नहीं	3	12.5%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

10.3.2 उपरोक्त तालिका 10.4.1 के क्रम में जिन 88 प्रतिशत लाभार्थियों ने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की उनमें से अधिकतर ने दवाइयां (95%), डिवार्मिंग (67%) तथा पशु टीकाकरण (76%) की सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.4.2)।

तालिका 10.4.2: पशु चिकित्सा सेवा जिनकी उपलब्ध होने की पुष्टि की गयी (N=21)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
दवाइयां	20	95.2%
डिवार्मिंग	14	66.7%
पशु टीकाकरण	16	76.2%
अन्य	1	4.8%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

10.3.3 साथ ही जिन समितियों ने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें पशु चिकित्सक नियमित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। इस क्रम में उनमें से 37.5 प्रतिशत ने नियमित रूप से पशु चिकित्सक उपलब्ध होने की भी पुष्टि की (तालिका 10.4.3)।

तालिका 10.4.3: समितियां जिन्होंने पशुचिकित्सक की नियमित उपलब्धता की पुष्टि की (N=21)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	8	37.5%
नहीं	13	62.5%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

10.3.4 जिन समितियों ने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की उनसे यह भी पूछा गया कि पशु चिकित्सक किस पशु चिकित्सा केन्द्र से आते हैं। इस सम्बन्ध में 53 प्रतिशत समितियों ने सरकारी पशु चिकित्सा केन्द्र से तथा 48 प्रतिशत ने योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सक उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.4.4)।

तालिका 10.4.4: समितियों के अनुसार पशु चिकित्सक उपलब्ध होने के स्रोत (N=21)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
सरकारी पशु चिकित्सा केन्द्र	11	52.4%
योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सा	10	47.6%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.3.5 जिन 12% समितियों ने पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता अपर्याप्त बतायी उनमें से लगभग 42 प्रतिशत समितियों ने अपने क्षेत्र में पशु चिकित्सा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने की पुष्टि की, यथा निजी चिकित्सक एवं न्याय पंचायत स्तरीय पशु चिकित्सालय।

10.4 पशु चिकित्सा के बारे में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि

- 10.4.1 समिति के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता: तीन-चौथाई से थोड़ा कम (73.8%) लाभार्थियों ने समिति के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.5.1)। साथ ही यह पूछने पर कि पशु चिकित्सा की कौन-कौन सी सेवायें उपलब्ध हैं तो इसके बारे में लाभार्थियों ने मुख्य सेवायें जैसे दवाइयां, टीकाकरण तथा डिवार्मिंग के संदर्भ में 98 प्रतिशत लाभार्थियों ने दवाइयां, 75 प्रतिशत ने टीकाकरण सेवायें, 67 प्रतिशत ने डिवार्मिंग की उपलब्ध होने की पुष्टि की। इससे स्पष्ट है कि समिति के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता की स्थिति अच्छी है (तालिका 10.5.2)।

तालिका 10.5.1: लाभार्थी जिन्होंने समिति द्वारा पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्ध होने की पुष्टि की (N=240)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	177	73.8%
नहीं	62	25.8%
कोई उत्तर नहीं	1	0.4%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

तालिका 10.5.2 : उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवायें (बहुउत्तरीय)

सेवायें	संख्या (N)	प्रतिशत
प्राथमिक चिकित्सा	56	31.6%
आपतकालीन चिकित्सा	36	20.3%
दवाइयां	174	98.3%
डिवार्मिंग	119	67.2%
टीकाकरण	133	75.1%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.4.2 समितियों के लाभार्थियों को दवाओं की उपलब्धता: जिन लाभार्थियों ने दवाइयां उपलब्ध होने की पुष्टि की उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सभी दवाइयां मिल जाती हैं या कुछ दवाइयां बाहर से भी लेनी पड़ती हैं। इस संदर्भ में लगभग 25 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि सभी दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। लगभग 65 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि कुछ दवाइयां बाहर से भी खरीदनी पड़ती हैं। मात्र 17 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सारी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। जिन लाभार्थियों ने बाहर से दवा खरीदने की पुष्टि की उनमें से लगभग 30 प्रतिशत ने यह बताया कि बाहर से खरीदी गयी दवाओं की व्यय प्रति पूर्ति की जाती है।

10.4.3 पशु चिकित्सक की उपलब्धता :

जैसा कि प्रस्तर 10.3.3 के पार्श्व में प्रस्तुत तालिका 10.4.3 में दर्शित है, 37.5% समितियों ने पशु चिकित्सक की नियमित उपलब्धता के बारे में पुष्टि की। वहीं दूसरी 50.4%

लाभार्थियों ने पशु चिकित्सक की सेवायें नियमित रूप से उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.5.3)। जहाँ तक पशु चिकित्सक के स्रोत का प्रश्न है, 52.4% समितियों ने सरकारी अस्पताल तथा 47.6 प्रतिशत समितियों ने योजना से सम्बद्ध चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.4.4)। दूसरी ओर लाभार्थियों में से अधिकतर ने सरकारी अस्पताल (36.7%) या योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सक (29.6%) की उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.6)। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सकों की सेवा उपलब्धता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 10.5.3 : लाभार्थियों के अनुसार पशु चिकित्सक की नियमित उपलब्धता (N=240)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	121	50.4
नहीं	88	36.7
कोई उत्तर नहीं	31	12.9
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

तालिका 10.6: पशुचिकित्सक की उपलब्धता का स्रोत

स्रोत	संख्या (N)	प्रतिशत
सरकारी पशु चिकित्सा केन्द्र	88	36.7
निजी पशु चिकित्सा केन्द्र	33	13.8
योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सक	71	29.6
कोई उत्तर नहीं	48	20.0
योग	240	100.0
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

10.4.4 पशु चिकित्सा सेवाओं से संतुष्टि के संदर्भ में लगभग 62 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपने क्षेत्र में उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाओं से संतुष्टि जताई।

10.5 पशु नस्ल सुधार

10.5.1 भारत वर्ष में दुधारु पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, परन्तु प्रति दुधारु पशु दुग्ध उत्पादन के मामले में हम विकासशील देशों से काफी पीछे हैं। श्वेत क्रांति के अन्तर्गत इस बात को बखूबी संज्ञान में लिया गया और वर्तमान में सरकार की डेयरी विकास सम्बन्धी नीतियों में पशु नस्ल सुधार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यूनाइटेड नेशन्स की फूड एवं एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफ.ए.ओ.) की संस्था के अनुसार पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत की सहभागिता 16 प्रतिशत है। इसके बावजूद कम उत्पादकता एवं दुग्ध की वृहद घरेलू मांग के कारण भारत मिल्क सरप्लस देशों में स्थान नहीं रखता। दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता के मद्देनजर भारत सरकार ने 'नेशनल गोकुल मिशन' लांच किया है। इस मिशन के अन्तर्गत पेशेवर फार्म मैनेजमेंट के माध्यम से स्वदेशी दुधारु पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मिशन में पशु नस्ल सुधार को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थान दिया गया है, जिसका प्रयोजन प्रोजेनी टेस्टिंग एवं पैडीगरी सलेक्शन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित विधियों का उपयोग कर हाई जैनेटिक (एच.जी.एम.) एवं रोगमुक्त पशु एवं भैंसा-सांडों का उत्पादन करना है ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

10.6 उत्तराखण्ड में पशुधन प्रजनन नीति एवं परिकल्पना:

इसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं—

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना।
2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना।
3. पशु नस्ल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओं (कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन/भ्रूण प्रत्यारोपण) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से वर्तमान में 24 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2018 के अन्त तक शत-प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम से आच्छादित करके पशुधन प्रजनन की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध करना।
4. दूध के उत्पादन में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी करना।
5. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना।

नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य :

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना।
2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलभ कराना।
3. पशुओं के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित/सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
4. दूध के उत्पादन में वृद्धि करना
5. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य/भार वाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ बैलों की नियमित आपूर्ति का सृजन सुनिश्चित करना।
6. मैदानी क्षेत्र को डेयरी उद्यम से आच्छादित करने हेतु उच्च दुग्ध उत्पादन, शीघ्र परिपक्वता, कम इंटर काविंग अवधि और उच्च जनन क्षमता से युक्त इंटर-सि-मेटिंग हाफब्रेड दुधारु पशुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना।
7. ज्ञात कुल की गोवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाण, आदि) जिनकी संख्या राज्य में अत्यंत कम है, के लिये उसी नस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध करवाकर इन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करना।
8. विद्यमान अवस्थापना यथा—पशु चिकित्सालयों, टीका एवं नैदानिक उत्पादन की इकाईयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, गौशालाओं तथा पशुधन के प्रभावी उपयोग हेतु उनका पुनः सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण करना।
9. प्राइवेट सेक्टर, सहकारिताओं तथा गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना।

10. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागेदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के संसाधन उत्पन्न/सृजित करना।
11. पशुओं के भरण-पोषण एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशु आहार विकसित करना।

10.7 पशुधन प्रजनन नीति (गौ एवं महिषवंशीय पशु)

1. पर्वतीय जनपदों के दुधारू पशुओं के लिए यह नीति अपनायी जाये कि स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन/उन्नयन हेतु जरसी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग तत्पश्चात एक हॉफ ब्रेड का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) जरसी X साहीवाल अथवा जरसी X रेड सिन्धी के साथ कराया जाये जिससे Exotic Blood Level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
2. मैदानी क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के लिए एक नीति होनी चाहिए कि अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन हेतु एच.एफ. से क्रॉस ब्रीडिंग और इसके बाद हाफ ब्रेड (HF X साहीवाल/HF X रेड सिन्धी/HF X थार पार्कर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) कराया जाये, जिससे Exotic Blood Level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
3. भैंसों के लिए सम्पूर्ण राज्य में शुद्ध मुरा नस्ल के साथ उन्नयन (Upgrading) किये जाने की सार्वभौमिक नीति अपनायी जानी चाहिए।
4. परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी सांड क्रॉस-ब्रेड (50:50) हों तथा भैंस के प्रजनन हेतु अनुवांछित आधार पर मूल्यांकित भैंसा सांड हो।
5. ज्ञात कुल की गौवक्षीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा) के लिए उसी नस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध करा कर इन प्रजातियों का संरक्षण तथा समवर्धन सुनिश्चित किया जाना है।
6. राष्ट्रीय महत्व की विलुप्त प्राय रेड सिन्धी नस्ल को संरक्षित एवं समवर्धित करने के लिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी को रेड सिन्धी नस्ल के न्यूकलियस ब्रीडिंग फार्म के रूप में विकसित करके इस नस्ल को बढ़ावा दिया जाये।
7. उत्तराखण्ड में पशुधन की स्थानीय प्रजातियों यथा तराई नस्ल की भैंस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने हैं।

10.7.1 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पशु नस्ल सुधार को पशु प्रजनन नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा यह अपने आप में एक व्यापक नीति है। इस नीति को व्यवहार में अवतरित करने हेतु इसे डेयरी विकास योजना का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है तथा पशु नस्ल के सुधार हेतु अनेकानेक उपाय किये गये हैं।

- 10.7.2 वर्तमान में यू.एल.डी.पी. तथा पशु पालन विभाग द्वारा विभिन्न लाभार्थीपरक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसमें कृत्रिम गर्भाधान, नैसर्गिक अभिजनन तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं ग्रामीण स्तर पर फील्ड फर्टिलिटी कैम्पस का आयोजन शामिल है।
- 10.7.3 कृत्रिम गर्भाधान हेतु राज्य में यू.एल.डी.बी. द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त पैरावेट्स द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा समुचित नहीं है, सेवा प्रदान की जाती है।
- 10.7.4 राज्य में एक केन्द्रीय सीमेन बैंक (श्यामपुर, ऋषिकेश) तथा दो क्षेत्रीय सीमेन बैंक (श्यामपुर, ऋषिकेश एवं लालकुआं, नैनीताल) कार्यरत हैं, जो कि राज्य के दुग्ध उत्पादकों को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।
- 10.7.5 उत्तराखण्ड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा चयनित पशुपालकों को नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांडों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। अन्य समस्त क्षेत्रों के लिए पशुलोक, ऋषिकेश स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्तम नस्ल एवं गुणवत्ता के गाय एवं भैंसा सांडों का वीर्य उत्पादित कर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/प्राईवेट ए.आई. कार्यकर्ताओं को वितरित किया जाता है, जिससे पशुपालकों को उनके द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- 10.7.6 उपरोक्त क्रम में अध्ययन के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धता के बारे में अध्ययन किया गया, जिसका विवरण आगे दिया गया है।
- 10.8 कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान की पर्याप्तता के बारे में न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों की प्रतिक्रिया**
- 10.8.1 न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से यह पूछा गया कि क्या उनके जनपद में पशुओं हेतु प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था पर्याप्त है अथवा नहीं। इस संदर्भ में जनपद उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं टिहरी के प्रभारियों द्वारा यह बताया गया कि उनके जनपद में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था पर्याप्त है। जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी में उक्त व्यवस्था अपर्याप्त बतायी गयी। हरिद्वार जनपद में यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण जनपद में प्राकृतिक /कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जनपद पौड़ी में उक्त सुविधा समय पर उपलब्ध न होने की बात कही गयी।
- 10.8.2 विभिन्न जनपदों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पन्न उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं का विवरण तालिका 10.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका 10.7 : न्यादर्श जनपदों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं का विवरण

क्र. सं.	जनपद	वर्ष	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति		प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति	
			गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति	गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति
1	टिहरी	2009-10	98	40	5	196
		2010-11	466	220	3	119
		2011-12	747	538	0	559
		2012-13	971	730	144	322
		2013-14	1166	797	133	748
		2014-15	1114	865	20	600
योग			5735	4143	383	3298
2	पिथौरागढ़	2009-10	-	-	-	-
		2010-11	613	1115	4576	2415
		2011-12	353	1438	5454	330
		2012-13	512	1015	6007	453
		2013-14	568	1122	6303	432
		2014-15	603	1735	6991	588
योग			2649	6425	29331	4218
3	हरिद्वार	2009-10	सहायक प्रबन्धक द्वारा दी गयी टिप्पणी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण जनपद में पशुओं हेतु प्राकृतिक/कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। (उक्त के सम्बन्ध में अध्याय-10 के प्रस्तर 10.8.1 में उल्लेख किया गया है तथा सर्वे प्रपत्र में क्रम संख्या 9 में भी दिया गया है)			
		2010-11				
		2011-12				
		2012-13				
		2013-14				
		2014-15				
योग			0	0	0	0
4	उधमसिंह नगर	2009-10	14520	8285	-	-
		2010-11	16730	8875	-	-
		2011-12	18028	9351	-	-
		2012-13	19078	9735	-	-
		2013-14	35933	6051	-	-
		2014-15	20939	8419	-	-
योग			125228	50716	0	0
5	नैनीताल	2009-10	8585	3266	280	947
		2010-11	8832	3610	390	989
		2011-12	8739	4192	402	1033
		2012-13	10173	4748	278	810
		2013-14	-	-	-	-
		2014-15	11947	5266	326	983

तालिका 10.7 : न्यादर्श जनपदों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं का विवरण

क्र. सं.	जनपद	वर्ष	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति		प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति	
			गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति	गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति
योग			48276	21082	1676	4762
6	पौड़ी	2009-10	—	—	—	—
		2010-11	—	—	—	—
		2011-12	—	—	—	—
		2012-13	4209	3795	240	160
		2013-14	4111	800	31	13
		2014-15	4605	844	24	7
योग			12925	5439	295	180
कुल योग			194813	87805	31685	12458
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे						

10.8.3 उपरोक्त संदर्भ में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं इस हेतु लाभार्थियों में रुझान बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिये गये—

- **टिहरी** : अच्छी नस्ल के सांड उपलब्ध कराये जायें।
- **पिथौरागढ़** : गहन प्रचार—प्रसार हेतु कैम्पों का उपयोग किया जाय।
- **हरिद्वार** : बजट उपलब्ध न होने के कारण जनपद में पशुओं हेतु प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है (उक्त के सम्बन्ध में सर्वे प्रपत्र में क्रम संख्या 9 में दिया गया है)
- **उधमसिंह नगर**: ए.आई. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाय।
- **नैनीताल**: दुग्ध उत्पादकों में प्रचार—प्रसार बढ़ाया जाय।
- **पौड़ी** : ए.आई. कार्यकर्ताओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

10.9 पशु नस्ल सुधार के बारे में समितियों की प्रतिपुष्टि

10.9.1 प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा: जैसा कि तालिका 10.7.1 में दर्शित है, लगभग 42 प्रतिशत समितियों ने अपने आच्छादन क्षेत्र/दुग्ध मार्ग के समीप/अन्तर्गत पशु नस्ल सुधार हेतु प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की। जिन समितियों ने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की उनसे यह पूछा गया कि यह सेवा उन्हें किस स्रोत से प्राप्त हुई। इनमें से लगभग 20 प्रतिशत ने पशुपालन विभाग तथा 80 प्रतिशत ने निजी व्यक्ति के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की (तालिका 10.7.2)।

तालिका 10.7.1 : समितियां जिन्होंने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की (N=24)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	10	41.7%
नहीं	14	58.3%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

तालिका 10.7.2: प्राकृतिक गर्भाधान सेवा मिलने का स्रोत (N=10)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
पशुपालन विभाग	2	20%
निजी व्यक्ति के माध्यम	8	80%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.9.2 कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा: जैसा कि तालिका 10.7.3 में दर्शित है, लगभग 83 प्रतिशत समितियों ने अपने आच्छादन क्षेत्र/दुग्ध मार्ग के समीप/अन्तर्गत पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की।

तालिका 10.7.3: समितियां जिन्होंने पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की (N=24)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	83.3%
नहीं	4	16.7%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.9.3 जिन लाभार्थियों ने कृत्रिम गर्भाधान सेवा मिलने की पुष्टि की उनमें से 85 प्रतिशत समितियों ने इस सुविधा का लाभ अधिकतर दुग्ध उत्पादकों द्वारा उठाये जाने तथा 15 प्रतिशत

तालिका 10.7.4: कृत्रिम गर्भाधान सेवा मिलने का स्रोत (N=20)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
अधिकतर सदस्यों द्वारा	17	85%
कुछ सदस्यों द्वारा	3	15%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

ने कुछ ही सदस्यों द्वारा इसका लाभ उठाने जाने की पुष्टि की। इस संदर्भ में अध्ययन के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि कुछ दुग्ध उत्पादक केवल प्राकृतिक गर्भाधान में ही रुचि रखते हैं। समितियों से मिली पुष्टि के आधार पर विगत एक वर्ष के अन्तर्गत प्रति समिति लगभग 20 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया (तालिका 10.7.4)।

- 10.9.4 जहाँ तक कृत्रिम गर्भाधान हेतु ए.आई. कार्यकर्ता की उपलब्धता का प्रश्न है लगभग 70 प्रतिशत समितियों ने आवश्यकतानुसार ए.आई. कार्यकर्ता की सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की। ए.आई. कार्यकर्ता द्वारा औसतन रु. 308/- प्रति गर्भाधान शुल्क लेने की भी पुष्टि की गयी। शेष समितियों ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक समिति हेतु एक ए.आई. कार्यकर्ता दिया जाय। ए.आई. कार्यकर्ताओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में यह उचित होगा कि इनके प्रावधान हेतु मानक तैयार किये जाये और तदनुसार उनकी सेवा समितियों को उपलब्ध करायी जाय।

- 10.9.5 दुग्ध समितियों द्वारा उन्नत प्रजाति के पशु खरीदने हेतु समिति के सदस्यों को सहायता प्रदान करवाना: 58 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि समितियों के सदस्यों को उन्नत प्रजाति के पशु खरीदने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में मिनी डेरी योजना, गंगा गाय योजना एवं बैंकों का नाम प्रमुखता से लिया गया।

10.10 पशु नस्ल सुधार के बारे में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि

- 10.10.1 अध्ययन के दौरान लाभार्थियों से उनके गांव अथवा दुग्ध मार्ग के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की उपलब्धता तथा उनके उपयोग के बारे में पूछा गया। इस संदर्भ में विस्तृत विवरण तालिका 10.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.8 : प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं का उपयोग

जिन्होंने सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की		पुष्टिकर्ताओं में से जिन्होंने लाभ लिया		उन्नत प्रजाति के जन्में पशु		औसत शुल्क प्रति गर्भाधान (रु. में)	
संख्या	%	संख्या	%	गाय	भैंस	गाय	भैंस
प्राकृतिक गर्भाधान							
109	45.40%	57	52.29%	69	62	Rs.495.12	Rs 567.15
कृत्रिम गर्भाधान							
189	78.80%	144	76.19%	659	64	Rs 300.43	Rs.452.90
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

- 10.10.2 उपरोक्त तालिका 10.8 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 45 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा की तथा 79 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृत्रिम गर्भाधान सेवा की उपलब्धता की पुष्टि की। जहाँ तक इन सेवाओं के उपयोग का प्रश्न है, जिन लाभार्थियों ने इन सेवाओं के उपलब्ध होने की पुष्टि की उनमें से 52 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा का उपयोग करने की पुष्टि तथा 76 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृत्रिम गर्भाधान सेवा का लाभ लेने की पुष्टि की। इससे स्पष्ट है कि कृत्रिम गर्भाधान की सेवा की उपलब्धता तथा उसके उपयोग की स्थिति प्राकृतिक गर्भाधान के सापेक्ष काफी अच्छी है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संततियों की संख्या, विशेष रूप से गाय प्रजाति की, काफी अच्छी है।

- 10.10.3 उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि लोगों का रुझान कृत्रिम गर्भाधान की तरफ उत्साहवर्धक है। साथ ही प्रति गर्भाधान औसत शुल्क भी कृत्रिम गर्भाधान में प्राकृतिक गर्भाधान के सापेक्ष कम है।

- 10.10.4 जैसा कि तालिका 10.8 में दर्शित है, 189 (79%) लाभार्थियों द्वारा अपने क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की गयी। इन लाभार्थियों से यह पूछा गया कि ये केन्द्र/सेवायें किसके द्वारा संचालित हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध कराने में निजी सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति काफी अच्छी (44 प्रतिशत) है (तालिका 10.8.1)।

तालिका 10.8.1: कृत्रिम गर्भाधान की सेवा प्रदाताओं का विवरण (N=189)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
पशुपालन विभाग द्वारा	100	52.91%
निजी संस्था द्वारा	4	2.11%
निजी व्यक्ति द्वारा	84	44.44%
कोई उत्तर नहीं	1	0.52%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

साथ ही उपरोक्त संदर्भित लाभार्थियों से यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें ए.आई. कार्यकर्ताओं की सेवायें आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो जाती हैं, इस सम्बन्ध में लगभग 79 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि उन्हें ए.आई. कार्यकर्ताओं की सेवायें उपलब्ध हो जाती हैं। तदनुरूप कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उन्नत प्रजाति के दुधारु पशुओं की संख्या में वृद्धि कर उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और पशुपालकों की आय में इजाफा हो सके (तालिका 10.8.2)।

तालिका 10.8.2: लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने कृत्रिम गर्भाधान हेतु ए.आई. कार्यकर्ता उपलब्ध होने की पुष्टि की (N=189)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	150	79.36%
नहीं	10	5.29%
कोई उत्तर नहीं	29	15.34%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.10.5 **उन्नत प्रजाति के पशुओं का क्रय:** अध्ययन से आच्छादित क्षेत्र में मात्र 9 प्रतिशत लाभार्थियों ने उन्नत प्रजाति के पशु बाजार से क्रय करने की पुष्टि की तथा इनमें से अधिकतर (78%) ने विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मिली सहायता के अन्तर्गत पशु क्रय करने की पुष्टि की (तालिका 10.8.3)।

तालिका 10.8.3: लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने उन्नत प्रजाति के पशुओं का क्रय करने हेतु किसी प्रकार की सहायता प्राप्त की पुष्टि की (N=240)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	22	9.2
नहीं	215	89.6
कोई उत्तर नहीं	3	1.3
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 10.10.6 **अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों के पास दूध देने वाली प्रजाति के पशुओं की उपलब्धता:** अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों के पास उपलब्ध दूध देने वाली प्रजाति के पशुओं की उपलब्धता तालिका 10.9 में दर्शित है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उन्नत एवं संकर प्रजाति की गाय पालने वाले लाभार्थियों की संख्या का बाहुल्य (55%) है। साथ ही 22 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे पाये गये जिनके पास उन्नत एवं संकर प्रजाति की भैस हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उन्नत/ संकर प्रजाति के दुधारु पशुओं की संख्या का आधिक्य है।

तालिका 10.9: अध्ययन क्षेत्र में दूध देने वाली श्रेणी के पशुओं की उपलब्धता (N=240) (बहुउत्तरीय)

विवरण	लाभार्थी संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी जिनके पास केवल देसी गाय हैं	2	0.83%
लाभार्थी जिनके पास कोई गाय नहीं हैं	66	27.50%
लाभार्थी जिनके पास देसी गाय या पड़िया हैं	38	15.83%
लाभार्थी जिनके पास केवल उन्नत प्रजाति की गाय हैं	120	50.00%
लाभार्थी जिनके पास संकर प्रजाति की गाय हैं	12	5.00%

तालिका 10.9: अध्ययन क्षेत्र में दूध देने वाली श्रेणी के पशुओं की उपलब्धता (N=240) (बहुउत्तरीय)

विवरण	लाभार्थी संख्या	प्रतिशत
लाभार्थी जिनके पास केवल देसी भैंस हैं	11	4.58%
लाभार्थी जिनके पास कोई भैंस नहीं हैं	132	55.00%
लाभार्थी जिनके पास देसी भैंस और पड़िया हैं	42	17.50%
लाभार्थी जिनके पास उन्नत प्रजाति की भैंस हैं	34	14.17%
लाभार्थी जिनके पास संकर प्रजाति की भैंस हैं	19	7.92%
कोई उत्तर नहीं	4	1.67%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

10.10.7 पशु नस्ल सुधार के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इसके लिए व्यवस्था व्यापक हो। यद्यपि राज्य में ए.आई. कार्यकर्ताओं को यू.एल.डी.बी. के तत्वाधान में प्रशिक्षित कर अपने क्षेत्र में ए.आई. एवं सामान्य पशु स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु व्यवस्था है, परन्तु यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं प्रतीत होती। इस संदर्भ में गुजरात राज्य में घरों तक कृत्रिम गर्भाधान सेवायें उपलब्ध कराने हेतु गोपा मित्र कार्यक्रम चलाया गया है। ये कर्मि निजी ए.आई. सेवा प्रदाता होते हैं जिन्हें प्रशिक्षणोपरान्त घर-घर में जाकर ए.आई. सेवायें प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही उत्तराखण्ड में ए.आई. सेवायें प्रदान करने हेतु हिमोत्थान संस्था द्वारा यू.एल.डी.बी. एवं ए.एल.आर. आई. संस्था के सहयोग से ए.आई. मॉडल तैयार किया गया है। अतः यह उचित होगा कि डेरी विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों की टीम गठित कर इन दोनों मॉडलों का अध्ययन कर ए.आई. सेवाओं को सुदृढ करने हेतु राज्य स्तरीय प्लान बनाया जाय। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की 'कौशल विकास' योजना के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में ए.आई. कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाय तथा उन्हें अपना कार्य प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम उपकरण/साज-सज्जा उपलब्ध करायी जाय एवं उनके द्वारा दुग्ध उत्पादकों से ली जाने वाली फीस का भी निर्धारण किया जाय, ताकि राज्य सरकार पर उनके मानदेय में कोई व्यय भार न आये।

महिला डेरी का दुग्ध उत्पादन में योगदान

11.1 दुग्ध उपार्जन में राज्य में प्रति समिति दैनिक योगदान

11.1.1 राज्य स्तर पर समस्त जनपदों को मिलाकर महिला डेरी के अन्तर्गत कुल 1183 समितिया गठित हैं, जिनसे औसतन 39,616 लीटर दूध प्रतिदिन उपार्जित किया जाता है। महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रति समिति दैनिक दुग्ध उपार्जन का जनपदवार विवरण तालिका 11.1 में किया गया है (संदर्भ : परिशिष्ट-11)।

तालिका 11.1: राज्य स्तर पर महिला डेयरी योजना के अन्तर्गत प्रति समिति दैनिक दुग्ध उपार्जन

क्र. सं.	जनपद	कुल गठित समितियां	कुल गठित समितियों का प्रति दिवस लीटर में	प्रति समिति औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन
1	अल्मोड़ा	89	881	9.9
2	बागेश्वर	96	403	4.2
3	पिथौरागढ़	102	3483	34.1
4	चम्पावत	63	4757	75.5
5	नैनीताल	119	14024	117.8
6	उधमसिंह नगर	100	7892	78.9
7	पौड़ी गढ़वाल	81	565	7.0
8	टिहरी गढ़वाल	99	863	8.7
9	चमोली	107	480	4.5
10	रूद्रप्रयाग	59	238	4.0
11	उत्तरकाशी	98	145	1.5
12	देहरादून	88	1372	15.6
13	हरिद्वार	82	4513	55.0
योग		1183	39616	33.5

स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर

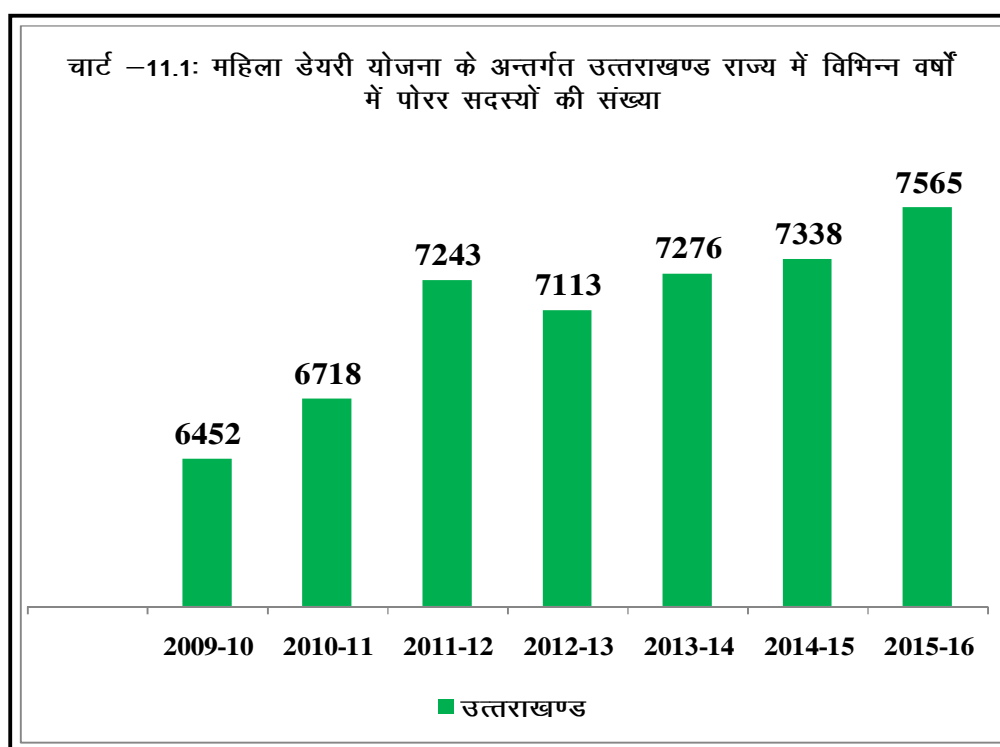
11.1.2 उपरोक्त तालिका 11.1 से निम्न तथ्य प्रत्यक्ष हैं—

- जहाँ एक ओर जनपद नैनीताल में दैनिक दुग्ध उपार्जन 117.8 लीटर प्रति समिति प्रतिदिन है वहीं यह जनपद उत्तरकाशी में 1.5 लीटर प्रति समिति प्रतिदिन है, अर्थात् दुग्ध उपार्जन में अन्तर जनपदीय विचलन बहुत अधिक है।
- प्रति समिति दैनिक दुग्ध उपार्जन में मैदानी और पर्वतीय जनपदों के बीच भारी अन्तर है। जनपद नैनीताल एवं चम्पावत में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों ही हैं तथा जनपद उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार पूर्णतः मैदानी क्षेत्र हैं और इन सभी जनपदों में औसतन प्रति समिति दैनिक दुग्ध उपार्जन क्रमशः 117.8, 75.5, 78.9 तथा 55.0 लीटर प्रति समिति प्रतिदिन है।

- पर्वतीय जनपदों में सीमान्त एवं दुर्गम होने के बावजूद जनपद पिथौरागढ़ की स्थिति काफी अच्छी हैं जहाँ प्रति समिति औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन 34 लीटर है। अन्य सभी जनपदों में दुग्ध उपार्जन की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती है।
- कुल मिलाकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिला समितियों से दुग्ध उपार्जन की स्थिति मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अच्छी नहीं है, जिसमें 1.5 लीटर (उत्तरकाशी में) प्रति समिति प्रतिदिन से 10 लीटर (अल्मोड़ा) प्रति समिति प्रतिदिन का विचलन है।

11.2 महिला डेरी के अन्तर्गत पोरर सदस्यों की स्थिति एवं प्रति पोरर सदस्य दैनिक दुग्ध उपार्जन

- 11.2.1 राज्य में महिला डेरी के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2015-16 के बीच पोरर सदस्यों की संख्या में हुई वृद्धि एवं कमी का विवरण चार्ट-11.1 (स्रोत: महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर) में दर्शाया गया है। पोरर सदस्यों की संख्या में वर्ष 2009-10 पर्यन्त वर्ष दर वर्ष पोरर सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, सिर्फ वर्ष 2012-13 को छोड़कर जब इन सदस्यों की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कमी आई है। (जनपदवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-7** पर)



- 11.2.2 यदि पोरर सदस्यों की संख्या में हुई वृद्धि को 2009-10 की तुलना में देखा जाय तो यह वर्ष 2015-16 में 6452 से बढ़कर 7665 हो गयी है अर्थात् इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- 11.2.3 दुग्ध उपार्जन में पोरर सदस्यों की संख्या एवं प्रति पोरर सदस्य योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के विभिन्न जनपदों में प्रति पोरर सदस्य दैनिक दुग्ध उपार्जन का विवरण तालिका 11.2 में दर्शित है।

तालिका 11.2 : महिला डेयरी योजना के अन्तर्गत औसतन प्रति समिति पोरर सदस्यों दुग्ध उपार्जन

क्र. सं.	जनपद	कुल गठित समितियां	पोरर सदस्यों की वर्तमान संख्या*	कुल गठित समितियों से प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन	औसतन प्रति पोरर सदस्य दुग्ध उपार्जन
1	अल्मोड़ा	89	674	881	1.3
2	बागेश्वर	96	258	403	1.6
3	पिथौरागढ़	102	871	3483	4.0
4	चम्पावत	63	559	4757	8.5
5	नैनीताल	119	2327	14024	6.0
6	उधमसिंह नगर	100	902	7892	8.7
7	पौड़ी गढ़वाल	81	268	565	2.1
8	टिहरी गढ़वाल	99	270	863	3.2
9	चमोली	107	206	480	2.3
10	रूद्रप्रयाग	59	95	238	2.5
11	उत्तरकाशी	98	120	145	1.2
12	देहरादून	88	320	1372	4.3
13	हरिद्वार	82	695	4513	6.5
योग		1183	7565	39616	5.2
* : वर्ष 2015-16 की स्थिति के अनुसार					
स्रोत: महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर					

- 11.2.4 तालिका 11.2 से भी यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि —

- महिला डेरी के अन्तर्गत सभी जनपदों को मिलाकर प्रति पोरर सदस्य औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन 5.2 लीटर है।
- अपवाद स्वरूप जनपद चम्पावत को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रति पोरर सदस्य औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन काफी अधिक है।
- विशेष रूप से जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में तुलनात्मक रूप से प्रति पोरर सदस्य दुग्ध उपार्जन की स्थिति काफी खराब है, जहाँ पर इसमें 1.2 लीटर से 3.2 लीटर प्रति पोरर सदस्य प्रतिदिन के बीच विचलन है।

- 11.2.5 प्रस्तर 11.1 एवं 11.2 में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि महिला डेरी के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, विशेषतौर पर जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी एवं देहरादून। पर्वतीय क्षेत्रों की कठिनाईयों को आधार बनाकर इस मामले की अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि डेरी उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में फलरिश् कर सकता है। यों भी जब फसलों को जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान के कारण पर्वतीय जनपदों में लोग कृषि के प्रति उदासीन

हो रहे हैं तथा पलायन कर रहे हैं ऐसे में डेरी उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जिसको जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों में डेरी उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो एवं पलायन को रोका जा सके। सम्भवतः गंगा गाय महिला डेरी योजना इस दिशा में एक उत्कृष्ट पहल होगी, बशर्ते इसका सफल क्रियान्वयन हो।

11.3 महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित दुग्ध की मात्रा एवं उसके क्रय एवं विक्रय में सम्मिलित धनराशि की स्थिति

11.3.1 जनपद स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित दुग्ध की मात्रा तथा उसके क्रय एवं विक्रय में सन्निहित धनराशि का विवरण अगले पृष्ठ में तालिका 11.3 में दर्शित है। इस तालिका में दिये गये विवरण से जनपदवार निम्न स्थिति उभरकर आती है—

- **उधमसिंह नगर:** जनपद उधमसिंह नगर में महिला दुग्ध समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच कमी एवं वृद्धि होती रही। यदि क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वृद्धि एवं कमी को वर्ष दर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाय तो जहाँ एक ओर वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 की तुलना में महिला समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा 19 प्रतिशत की वृद्धि वहीं 2012-13 में वर्ष 2010-11 की तुलना में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूसरी ओर वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 की तुलना में महिला समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में 2 प्रतिशत की कमी आयी तथा वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी आयी।
- **नैनीताल:** जनपद नैनीताल में महिला दुग्ध समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वृद्धि होती रही, हालांकि वृद्धि की दर एक सार नहीं रही। जहाँ ओर वर्ष 2010-11 में 2009-10 की तुलना में महिला समितियों से दुग्ध क्रय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई दूसरी ओर 2011-12 में वर्ष 2010-11 की तुलना में मात्र 3 प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **हरिद्वार:** जनपद हरिद्वार में भी महिला दुग्ध समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच वृद्धि होती रही है। परन्तु वृद्धि की दर एक सार नहीं रही। जहाँ एक ओर वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 की तुलना में क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर अन्य वर्षों में उनके पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर 7 से 9 प्रतिशत के बीच रही।
- **पिथौरागढ़ :** जनपद पिथौरागढ़ में भी महिला दुग्ध समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच निरन्तर वृद्धि होती रही। यदि जनपद में महिला समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में वृद्धि को वर्ष दर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाय तो वर्ष 2009-10 एवं 2010-11

में महिला समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा समान रही। वहीं दूसरी ओर 2011-12 में वर्ष 2010-11 की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई; वर्ष 2012-13 में वर्ष 2010-11 की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2013-14 में वर्ष 2012-13 की तुलना में महिला समितियों से क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **पौड़ी :** जनपद पौड़ी में महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित किये गये दुग्ध की मात्रा में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच वृद्धि होती रही, परन्तु उपार्जन में वृद्धि की दर एक सार नहीं रही। जहाँ एक ओर वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 की तुलना में उपार्जन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में यह वृद्धि इनके पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- **टिहरी :** जनपद टिहरी में महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित किये गये दुग्ध की मात्रा में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच निरन्तर वृद्धि होती रही, परन्तु उपार्जन में वृद्धि की दर एक सार नहीं रही। जहाँ एक ओर वर्ष 2010-11 में वर्ष 2009-10 की तुलना में उपार्जन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में यह वृद्धि इनके पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत हुई।

तालिका 11.3 : महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित दुग्ध की मात्रा एवं उसके क्रय एवं विक्रय में सन्निहित धनराशि की स्थिति

क्र.	जनपद	वर्ष	कुल क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा (ली.)	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी (ली.)	% वृद्धि/कमी	दुग्ध क्रय हेतु दिया गया मूल्य (रुपयों में)	कुल विक्रय राशि (रुपयों में)
1	उधमसिंह नगर	2009-10	1849090	-		33838347	38553855
		2010-11	2193650	344560	19%	42337445	46922173
		2011-12	2225770	32120	1%	50079825	55688765
		2012-13	2181970	-43800	-2%	55203841	58367697
		2013-14	2049840	-132130	-6%	54525744	57866983
2	नैनीताल	2009-10	1094270	-		18547877	21885400
		2010-11	1324950	230680	21%	25280046	30473850
		2011-12	1362275	37325	3%	29555802	35419150
		2012-13	1533365	171090	13%	34316708	41500855
		2013-14	1549790	16425	1%	35009756	42394120
3	हरिद्वार	2009-10	792000	-		11584000	16476600
		2010-11	864000	72000	9%	17496000	18283320
		2011-12	936000	72000	8%	19656000	20540520
		2012-13	1044000	108000	12%	21924000	23020200
		2013-14	1116000	72000	7%	24552000	25779600
4	पौड़ी	2009-10	182865	0	0	3108705	0
		2010-11	206225	23360	13%	4536950	0
		2011-12	218270	12045	6%	5238480	0
		2012-13	224475	6205	3%	5836350	0

तालिका 11.3 : महिला दुग्ध समितियों से उपार्जित दुग्ध की मात्रा एवं उसके क्रय एवं विक्रय में सन्निहित धनराशि की स्थिति

क्र.	जनपद	वर्ष	कुल क्रय किये गये दुग्ध की मात्रा (ली.)	पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी (ली.)	% वृद्धि/कमी	दुग्ध क्रय हेतु दिया गया मूल्य (रूपयों में)	कुल विक्रय राशि (रूपयों में)
		2013-14	239075	14600	7%	6933175	0
5	पिथौरागढ़	2009-10	314132	-		3757594	7225036
		2010-11	315224	1092	0%	4718903	7880600
		2011-12	365456	50232	16%	5792477	10506860
		2012-13	418236	52780	14%	7837242	12693462
		2013-14	505232	86996	21%	9761082	16293732
6	टिहरी	2009-10	168142	-		3699115	0
		2010-11	176128	7986	5%	4227062	0
		2011-12	185203	9075.2	5%	4630070	0
		2012-13	187090	1887.4	1%	4864345	0
		2013-14	196710	9619.5	5%	5114452	0
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे							

11.3.2 जहाँ तक महिला डेरी के सदस्यों से प्राप्त दुग्ध के विक्रय मूल्य एवं कुल विक्रय धनराशि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि हालांकि अधिकतर न्यादर्श जनपदों से इस धनराशि के बारे में सूचना दी गयी है परन्तु दी गयी सूचना को संज्ञान में लेना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि महिला डेरी से प्राप्त दुग्ध का सीधे विक्रय न कर उसे प्रसंस्कृत किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद बनाये जाते हैं। उपरोक्त तालिका 11.3 में कुल विक्रय राशि में विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों की कीमत लेकर गणना नहीं की गयी है तथा अधिकतर जनपदों ने कुल विक्रय धनराशि देने में असमर्थता जताई।

11.3.3 यदि दुग्ध उपार्जन में पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में हुई कमी को नजर अंदाज कर दिया जाय तो लगभग सभी जनपदों में प्रायः वर्ष दर वर्ष उपार्जित दुग्ध की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके पीछे विभिन्न न्यादर्श जनपदों में अलग-अलग कारण बताये गये जैसे अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना (जनपद पिथौरागढ़); नियमित पर्यवेक्षण, दुग्ध संघ से उत्पादको को समय से दुग्ध मूल्य का भुगतान करवाना (जनपद हरिद्वार); गंगा गाय योजना का लागू होना एवं प्रचार-प्रसार में वृद्धि (जनपद नैनीताल); समितियों से समय-समय पर वार्तालाप, समय पर भुगतान, चारे की उपलब्धता में वृद्धि (जनपद पौड़ी)। उल्लेखनीय है कि लगभग सभी जनपदों में 'दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि' को दुग्ध उपार्जन में वृद्धि हेतु सबसे अधिक श्रेय दिया गया।

11.3.4 जहाँ तक प्रस्तर 11.3.3 में उल्लिखित दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का सम्बन्ध है, ज्ञातव्य हो कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा दुग्ध मूल्य का भुगतान दुग्ध की गुणवत्ता के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त डेरी विभाग द्वारा दुग्ध में

वसा/फैट के हिसाब से रु.4/- प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है।

11.4 कुल दुग्ध उपार्जन में महिला डेरी का योगदान

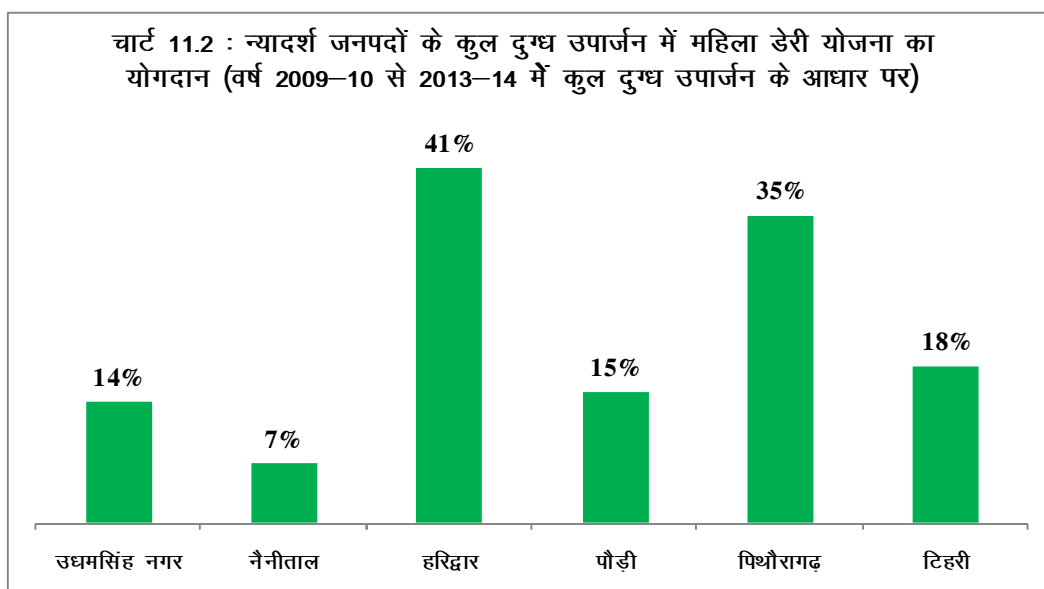
11.4.1 राज्य स्तर पर: उत्तराखण्ड कोऑपरेटिव डेरी फ़ेडरेशन (यू.सी.डी.एफ.) की वेबसाईट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में संघ का औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन 1,51,772 लीटर रहा। वहीं दूसरी ओर लगभग इसी अवधि में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत औसतन दैनिक दुग्ध उपार्जन 39,616 लीटर रहा। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में वर्तमान में यू.सी.डी.एफ. के कुल दैनिक दुग्ध उपार्जन में महिला डेरी का योगदान 26 प्रतिशत है।

11.4.2 न्यादर्श जनपदों में कुल दुग्ध उपार्जन में महिला डेरी का योगदान: न्यादर्श जनपदों के समस्त डेरी परियोजनाओं को मिलाकर सकल दुग्ध उत्पादन में महिला डेरी योजना के योगदान का विवरण तालिका 11.4 एवं चार्ट 11.2 में दर्शित है।

तालिका 11.4: न्यादर्श जनपदों के कुल दुग्ध उपार्जन में महिला डेरी योजना का योगदान (वर्ष 2009-10 से 2013-14 में कुल दुग्ध उपार्जन के आधार पर)

क्र.	जनपद	जनपद में महिला डेरी के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन	समस्त डेरी योजनाओं को मिलाकर जनपद में सकल दुग्ध उपार्जन	जनपद के सकल उपार्जन में महिला डेरी का योगदान (प्रतिशत में)
1	उधमसिंह नगर	28768 (Daily)	205570 (Daily)	14%
2	नैनीताल	6865650	100100823	7%
3	हरिद्वार	4752000	11675920	41%
4	पौड़ी	2934 (Daily)	19497 (Daily)	15%
5	पिथौरागढ़	1918280	5445440	35%
6	टिहरी	1952.77 (Daily)	10637.85 (Daily)	18%
* : जनपद उधमसिंह नगर, पौड़ी एवं टिहरी में दैनिक दुग्ध उपार्जन के आधार पर एवं जनपद नैनीताल, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में वार्षिक दुग्ध उपार्जन के आधार पर महिला डेरी के योगदान की गणना की गयी है।				
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे				

चार्ट 11.2 : न्यादर्श जनपदों के कुल दुग्ध उपार्जन में महिला डेरी योजना का योगदान (वर्ष 2009-10 से 2013-14 में कुल दुग्ध उपार्जन के आधार पर)



- 11.4.3 उपरोक्त तालिका 11.4 एवं चार्ट 11.2 से स्पष्ट है कि न्यादर्श जनपदों में जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में कुल दुग्ध उर्पाजन में महिला डेरी का योगदान तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा है जो क्रमशः 41 एवं 35 प्रतिशत है। अतः अन्य जनपदों में भी महिला डेरी की समितियों को प्रोत्साहित करके अधिक दुग्ध उर्पाजन में सहयोग देने के उपाय किये जायें। न्यादर्श जनपदों के कुल दुग्ध उत्पादन में महिला डेरी योजना का योगदान का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है।

11.5 दुग्ध उत्पादन एवं उर्पाजन के बारे में समितियों एवं लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि

- 11.5.1 दुग्ध समितियों पर नामांकित दुग्ध उत्पादकों की संख्या: वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान समितियों में औसतन 28 से 30 सदस्य नामांकित बताये गये, जिससे स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में नामांकित सदस्यों की संख्या वस्तुतः स्थिर रही (तालिका 11.5)।

तालिका 11.5: समितियों पर नामांकित दुग्ध उत्पादक (औसतन प्रति समिति)

वित्तीय वर्ष	औसत सदस्य
2012-13	28.00
2013-14	29.70
2014-15	29.63
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे	

- 11.5.2 अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में समितियों पर पोरर सदस्यों की संख्या: तीन समितियों से पोरर सदस्यों की संख्या नहीं मिली शेष समितियों के पोरर सदस्यों का विवरण तालिका 11.6 में प्रदर्शित है। जिन समितियों ने पोरर सदस्यों की पुष्टि की उन्होंने कुल मिलाकर 384 पोरर सदस्य बताये। इस प्रकार वर्तमान में प्रति समिति औसतन 19 सदस्य हैं। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान पोरर सदस्यों की संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ तथा यह लगभग 19 सदस्यों के ईर्द-गिर्द स्थिर रही।

तालिका 11.6: वर्तमान में समितियों के पास पोरर सदस्यों की संख्या

समितियों की संख्या	पोरर सदस्यों की संख्या (प्रति समिति)
7	< 10
6	10-20
5	20-30
1	30-40
2	> 40
3	कोई उत्तर नहीं
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे	

11.6 अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों द्वारा दैनिक दुग्ध उत्पादन

- 11.6.1 अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों द्वारा दैनिक दुग्ध उत्पादन का विवरण तालिका 11.7 में दर्शित है। कुल 89 प्रतिशत ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने दुग्ध उत्पादित करने की पुष्टि की, जिनमें से अधिकतर लाभार्थी (23.8%) 3-4 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन करते हैं। 5-6 लीटर तथा 9 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत भी लगभग 20 से 22 प्रतिशत के बीच बताया गया। लाभार्थियों द्वारा औसतन 7.69 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है।

तालिका 11.7 : दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रति लाभार्थी

उत्पादित दूध की मात्रा (लीटर में)	संख्या	प्रतिशत
< = 2	27	11.3
3 - 4	57	23.8
5 - 6	53	22.1
7 - 7	12	5.0
8 - 8	16	6.7
9+	48	20.0
योग	213	88.9
कोई उत्तर नहीं	27	11.1
कुल योग	240	100.0
औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रति लाभार्थी		7.69Lts.
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

- 11.6.2 दुग्ध विक्रय में संलग्न लाभार्थियों की स्थिति: जैसा कि तालिका 11.7 में दर्शित है, कुल 240 लाभार्थियों में से 27 सदस्यों ने दैनिक दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। तदनुसार जिन लाभार्थियों (213) ने दुग्ध उत्पादन करने की पुष्टि की उनका विवरण तालिका 11.8 में प्रस्तुत है जिससे स्पष्ट है कि इनमें से 88.26 प्रतिशत लाभार्थी दुग्ध विक्रय में संलग्न है।

तालिका 11.8 : दुग्ध विक्रय में संलग्न लाभार्थी

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
हाँ	188	88.26%
नहीं	24	11.26%
कोई उत्तर नहीं	1	0.48%
योग	213	100%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

- 11.6.3 समिति के सदस्यों द्वारा समितियों एवं वाहय संस्थाओं को दुग्ध विक्रय करने की स्थिति: अध्ययन के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि लाभार्थियों द्वारा मुख्यतया अपनी समिति को दूध विक्रय किया जाता है, परन्तु कुछ मामले ऐसे भी मिले जो समिति तथा निजी संस्थाओं अथवा केवल निजी संस्थाओं को भी बेचते हैं, जिसका विवरण तालिका 11.9 में प्रस्तुत है।

तालिका 11.9 : लाभार्थियों द्वारा समिति एवं निजी संस्थाओं को दूध बेचने की स्थिति

लाभार्थियों द्वारा समिति एवं निजी संस्थाओं को दूध बेचने की स्थिति						
मात्रा	केवल समिति (N)	प्रतिशत	केवल निजी संस्थाएँ (N)	प्रतिशत	दोनों को (N)	प्रतिशत
<2	17	9.04%	1	0.53%	0	0.00%
2-4	65	34.57%	5	2.66%	3	1.60%
4-6	37	19.68%	4	2.13%	4	2.13%
6-8	13	6.91%	1	0.53%	2	1.06%
8-10	11	5.85%	1	0.53%		0.00%
> 10	19	10.11%	2	1.06%	2	1.06%
योग	162	86.17%	14	7.45%	12	6.38%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे						

- 11.6.4 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 86.17 प्रतिशत लाभार्थी केवल समिति को, 6.38 प्रतिशत लाभार्थी बाहरी पार्टियों को तथा 7.45 प्रतिशत लाभार्थी दोनों को (समिति एवं बाहरी

पाटियों) को दुग्ध विक्रय करते हैं। जो लाभार्थी समिति के अलावा अन्य खरीदारों को दूध बेचते हैं उन्होंने इसके पीछे मूलतः अधिक मूल्य मिलने तथा ग्राहक द्वारा घर से ही दूध ले जाने को कारण बताया।

- 11.6.5 जहाँ दुग्ध विक्रय की दरों का प्रश्न है लाभार्थियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समिति को औसतन रु.26/- प्रति लीटर तथा वाह्य संस्थाओं को रु.30/- प्रति लीटर की दर से दुग्ध विक्रय किया जा रहा है।
- 11.6.6 जहाँ तक अध्ययन के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों द्वारा समिति को दैनिक दुग्ध विक्रय की मात्रा का प्रश्न है, समिति को औसतन 5.62 लीटर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन दुग्ध विक्रय किया जा रहा है। इस दृष्टि से रु.26/- प्रति लीटर के हिसाब से योजना से जुड़ी महिलाओं को औसतन रु.4,384/- प्रतिमाह की आय होती है।
- 11.6.7 जहाँ तक लाभार्थियों द्वारा समिति एवं वाह्य संस्थाओं को मिलाकर प्रतिदिन विक्रीत दुग्ध की मात्रा का प्रश्न है, औसतन हर महिला सदस्य प्रतिदिन 4.8 लीटर दुग्ध विक्रय करती है। इस दृष्टि से रु.26/- प्रति लीटर के हिसाब से योजना से जुड़ी महिलाओं को औसतन रु.3,744/- प्रतिमाह की आय होती है।
- 11.6.8 समितियों एवं वाह्य संस्थाओं को लाभार्थियों द्वारा दुग्ध विक्रय के सम्बन्ध में समितियों की प्रतिपुष्टि: अध्ययनाधीन कुल समितियों में से लगभग 46 प्रतिशत ने यह बताया कि समिति के उत्पादक सदस्य समिति के अलावा वाह्य संस्थाओं को भी दुग्ध विक्रय करते हैं। इसके पीछे मुख्यतया बाहरी ग्राहकों द्वारा अधिक दुग्ध मूल्य दिया जाना; जो दुग्ध उत्पादक दूध पहुँचाने में असमर्थ हैं वाह्य संस्था द्वारा उनके द्वार से दुग्ध का उठान; उत्पादक सदस्यों का निजी दुग्ध व्यवसाय में रुचि, पुराने एवं पड़ोसी ग्राहकों से जुड़ा रहना, आदि मुख्य कारण बताये गये। निजी व्यवसायियों/व्यक्तियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से रु. 25/- से रु. 35/- प्रति लीटर के बीच दुग्ध क्रय किये जाने की पुष्टि की।

11.7 दुग्ध परिवहन की व्यवस्था

- 11.7.1 दुग्ध वाहनों की उपलब्धता: राज्य में दुग्ध संग्रहण दुग्ध केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। ये केन्द्र दुग्ध उत्पादकों की आसान पहुँच पर स्थापित किये गये हैं। समितियों द्वारा एकत्रित दूध को दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों तक ले जाने के लिए डेरी विकास योजना के अन्तर्गत दुग्ध वाहनो की व्यवस्था की गयी है। न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अध्ययनाधीन जनपदों में

तालिका 11.10: न्यादर्श जनपदों में दुग्ध वाहनों की उपलब्धता

क्र.	जनपद	संख्या
1	हरिद्वार	10
2	टिहरी	8
3	नैनीताल	33
4	पिथौरागढ़	16
5	पौड़ी	10
6	उधमसिंह नगर	26

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

दुग्ध वाहनों की उपलब्धता का विवरण पार्श्व में दी गयी तालिका 11.10 में प्रस्तुत है। सभी न्यादर्श जनपदों में दुग्ध वाहनों का पूर्णतः उपयोग हो रहा है।

11.7.2 **हेडलोड अनुदान:** पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अधिकतर गांव दूर-दूर व सड़क मार्ग से दूर स्थित हैं, अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध को प्रतिदिन रोड हैड तक पहुंचाने में व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। बाजार में दुग्ध की प्रचलित दरों के परिपेक्ष्य में अधिकतर दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं होती हैं कि वे हेडलोड अनुदान का भुगतान कर दुग्ध क्रय कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में डेयरी विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुंचाने में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए समितियों को सड़क तक दूध पहुंचाने हेतु हेडलोड अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है जो निम्नवत् है तथा महिला डेरी योजना के लाभार्थी भी नियमानुसार इसके लिए पात्र हैं –

1. पर्वतीय क्षेत्र – 50 पैसा प्रतिलीटर प्रति किमी.
2. मैदानी क्षेत्र – 25 पैसा प्रतिलीटर प्रति किमी.

11.7.3 उपरोक्त क्रम में न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान विभिन्न वर्षों में हेडलोड अनुदान के मद में दी गयी धनराशि का विवरण देने का अनुरोध किया गया जिसके संदर्भ में विवरण तालिका 11.11 में प्रदर्शित किया गया है। जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर के प्रभारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि हेडलोड अनुदान का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है न कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत। अतः इन जनपदों में हेडलोड के मद में कोई धनराशि प्रदर्शित नहीं की गयी है। अन्य जनपदों में यह धनराशि प्रदर्शित की गयी है तथापि इन जनपदों में भी हेडलोड अनुदान भुगतान दुग्ध संघ के द्वारा किया जाता है।

तालिका 11.11: महिला योजना के लाभार्थियों को विगत पांच वर्षों में दिया गया हेडलोड

क्र. सं.	जनपद	हेडलोड अनुदान धनराशि (रु. लाख में)				
		2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	पौड़ी	0	3.25	5.17	6.57	6.47
2	नैनीताल	7.25	9.82	8.84	0	0
3	उधमसिंह नगर	दुग्ध संघ द्वारा दिया जाता है				
4	पिथौरागढ़	8.00	6.00	12.00	11.00	21.60
5	टिहरी	0	0	10.00	14.25	11.17
6	हरिद्वार	0	0	0	0	0

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

11.7.4 **हेडलोड अनुदान प्राप्ति के बारे में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि:** दुग्ध विक्रय करने वाले लाभार्थियों से यह पूछने पर कि वे बिक्री हेतु दूध समिति तक कैसे पहुंचाते हैं तो उनमें से लगभग 98 प्रतिशत ने यह बताया कि वे समिति तक स्वयं दूध पहुंचाते हैं। उन लाभार्थियों से यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें हेडलोड अनुदान मिलता है तो

लगभग 98 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह अनुदान नहीं मिलने की पुष्टि की तथा मात्र 2 प्रतिशत ने हेडलोड अनुदान मिलने की पुष्टि की।

तालिका 11.12 : हेडलोड अनुदान न मिलने के पीछे कारण (बहुउत्तरीय)

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
हेडलोड हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत नहीं आने के कारण	96	55%
प्राशासनिक अड़चनों के कारण	40	23%
जानकारी नहीं है	27	16%
कोई उत्तर नहीं	11	6%
योग	174	100%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

- 11.7.5 दुग्ध परिवहन व्यवस्था में समितियों की प्रतिपुष्टि: अध्ययन से आच्छादित समितियों में से किसी ने भी हेडलोड दिये जाने की पुष्टि नहीं की। हेडलोड नहीं दिये जाने के पीछे कारणों के बारे में पूछने पर समितियों की प्रतिक्रिया तालिका 11.13 में दर्शित है। 24 समितियों में से 16

तालिका 11.13: हेडलोड अनुदान न मिलने के कारण

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
सभी सदस्य पास हैं	7	29.2%
गाड़ी लेकर घर पर आते हैं	1	4.2%
अनुदान मिलता है हेडलोड नहीं	7	29.2%
उच्च स्तर के अधिकारी ध्यान नहीं देते	2	8.3%
रोड़ व साधन की व्यवस्था अच्छी है	1	4.2%
कोई उत्तर नहीं	6	25.0%
योग	24	100.0%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

समितियों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पात्रता न होने के कारण हेडलोड अनुदान न मिलने की बात कही। 6 समितियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया। मात्र 2 समितियां ऐसी पायी गयी जिन्होंने हेडलोड अनुदान की तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान न होना इसके पीछे मुख्य कारण बताया।

- 11.7.6 लाभार्थियों एवं समितियों द्वारा दी गयी प्रतिपुष्टि के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि अधिकतर लाभार्थी दुग्ध संग्रहण केन्द्र के समीप होने के कारण हेडलोड अनुदान हेतु पात्रता नहीं रखते परन्तु जैसा कि कुछ लाभार्थियों (23%) ने प्राशासनिक अड़चनों के कारण हेडलोड अनुदान नहीं मिलने की बात कही है, अतः इस मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

11.8 दुग्ध उत्पादकों को भुगतान का अन्तराल

- 11.8.1 अधिकतर (62.5%) दुग्ध समितियों ने यह पुष्टि की कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों को मासिक रूप से भुगतान किया जाता है। साथ ही 25 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत समितियों ने भुगतान क्रमशः साप्ताहिक एवं पाक्षिक करने की भी पुष्टि की (तालिका 11.14)।

तालिका 11.14: भुगतान का अन्तराल

अन्तराल	संख्या (N)	प्रतिशत
साप्ताहिक	6	25.0%
पाक्षिक	3	12.5%
मासिक	15	62.5%
योग	24	100%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

11.8.2 जहाँ तक भुगतान के माध्यम का प्रश्न है अधिसंख्य (83%) ने भुगतान नकद के रूप में किये जाने की पुष्टि की (तालिका 11.15)।

तालिका 11.15: भुगतान का माध्यम

माध्यम	संख्या (N)	प्रतिशत
सीधे बैंक खाते में	1	4.2 %
चैक द्वारा	3	12.5 %
नकद	20	83.3 %
योग	24	100 %

11.8.3 साथ ही अधिसंख्य (87.5%) समितियों ने यह पुष्टि भी की कि सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को समय से भुगतान हो जाता है, परन्तु कभी-कभार संघ से समिति को भुगतान देर से मिलने पर भुगतान में देरी भी हो जाती है।

11.8.4 जहाँ तक दुग्ध समितियों को दुग्ध संघ से भुगतान मिलने में कठिनाईयों का प्रश्न है, लगभग 71 प्रतिशत समितियों ने इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होने की पुष्टि की। शेष ने यह बताया कि कभी-कभी पैसा आने में समय लग जाता है (तालिका 11.15.1)।

तालिका 11.15.1: प्रतिशत समितियों जिन्होंने समय से भुगतान होने की पुष्टि की

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	7	29.17
नहीं	17	70.83
योग	24	100

11.8.5 उपरोक्त संदर्भ में लाभार्थियों में से अधिकतर ने यह पुष्टि की कि भुगतान मासिक रूप से होता है और साधारणतया अगले माह की 10 तारीख के बाद मिलता है। लगभग 5 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि भुगतान की कोई अवधि नहीं है, जिसके पीछे उन्होंने दुग्ध संघ से समय से धनराशि ट्रांसफर करने में देरी होना बताया।

11.9 न्यादर्श जनपदों में दुग्ध मार्गों की उपादेयता

11.9.1 **दुग्ध मार्गों का विवरण:** दुग्ध मार्गों की उपादेयता के संदर्भ में न्यादर्श जनपदों में जिन दुग्ध मार्गों पर महिला डेरी एवं दुग्ध संघ के सदस्यों से दुग्ध उपार्जन किया जाता है उसका दुग्धमार्ग-वार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3** में दिया गया है। उक्त परिशिष्ट से निम्न तथ्य उजागर होते हैं—

- **पिथौरागढ़ :** इस जनपद में कनालीछीना ब्लॉक में पिपली मार्ग एवं थल मार्ग, बेरीनाग ब्लॉक में बेरीनाग-थल मार्ग, डीडिहाट ब्लॉक में डीडिहाट-थल मार्ग में तथा मुनस्यारी ब्लॉक में मुनस्यारी थल मार्ग में महिला डेरी के अन्तर्गत कोई समिति गठित नहीं है।
- **पौड़ी :** इस जनपद में दुग्ड्डा ब्लॉक में पौखाल मार्ग, गुमखाल मार्ग, रथुवाढाब, कोटद्वार-हरिद्वार मार्ग; द्वारीखाल ब्लॉक में पौखाल मार्ग एवं गुमखाल मार्ग; रिखणीखाल ब्लॉक में थनुवाढांग मार्ग; खिर्सू ब्लॉक में रुद्रप्रयाग मार्ग में महिला डेरी के अन्तर्गत कोई समिति गठित नहीं है।
- **नैनीताल :** इस जनपद में रामगढ़ ब्लॉक के 5 दुग्ध मार्गों में से सिर्फ 2 मार्गों में एक-एक महिला समिति गठित है। साथ ही धारी और बेतालघाट में कोई भी

महिला समिति गठित नहीं है। यहाँ तक कि ओखलकांडा ब्लॉक में 6 दुग्ध मार्गों में से मात्र हेडाखान दुग्ध मार्ग में 2 समितियां गठित हैं। ये चारों ब्लॉक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित दुग्ध मार्गों में और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- **टिहरी** : इस जनपद में देवप्रयाग एवं थौलधार ब्लॉकों में कोई महिला समिति गठित नहीं है। चम्बा ब्लॉक में भी 6 दुग्ध मार्गों में से सिर्फ 2 मार्गों में महिला समितियां गठित है।

11.9.2 उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में यह उचित होगा कि जिन ब्लॉकों के विभिन्न दुग्ध मार्गों में महिला समितियां गठित नहीं हैं उनमें महिला समितियों के गठन पर जोर दिया जाय ताकि अधिक से अधिक महिलायें महिला डेरी योजना से जुड़ें।

11.9.3 **न्यादर्श जनपदों में विकासखण्डवार दुग्ध मार्गों का विवरण** : सम्बन्धित जनपदों में जनपदवार कुल दुग्ध मार्गों की संख्या; कुल विकासखण्डों की संख्या जिनमें दुग्ध मार्ग स्थित है; महिला डेरी एवं दुग्ध संघ के अन्तर्गत इन दुग्ध मार्गों में कुल दुग्ध मार्ग, कुल समितियां एवं उनके कुल सदस्यों की संख्या का विवरण तालिका 11.16 में दर्शित किया गया है।

तालिका 11.16: न्यादर्श जनपदों में विकासखण्डवार दुग्ध मार्गों का विवरण

क्र	जनपद	कुल दुग्ध मार्गों की संख्या	कुल विकासखण्डों की संख्या जिनमें दुग्ध मार्ग स्थित हैं (संख्या)	कुल दुग्ध मार्ग जिनमें महिला डेरी के सदस्यों से दुग्ध उपार्जन होता है (संख्या)			कुल दुग्ध मार्ग जिनमें दुग्ध संघ के सदस्यों से दुग्ध उपार्जन होता है (संख्या)			अभ्युक्ति
				कुल दुग्ध मार्ग	समिति	सदस्य	कुल दुग्ध मार्ग	समिति	सदस्य	
1	हरिद्वार	11	6	11	82	2665	6	213	8896	#
2	पिथौरागढ़	20	8	11	102	3661	15	185	5565	#
3	उधमसिंह नगर	18	7	18	96	3913	18	469	22878	#
4	पौड़ी	17	7	5	46	1391	16	158	4137	\$
5	नैनीताल	37	8	20	117	6388	34	384	20704	#
6	टिहरी	20	7	5	50	1578	18	182	8952	*
#: सभी ब्लॉकों में दुग्ध मार्ग स्थापित हैं										
\$: बीरोखाल, एकेश्वर, जयहरीखाल, कल्जीखाल, नैनीडांडा, पाबौं, पोखड़ा, थलीसैण और यमकेश्वर ब्लॉकों दुग्ध मार्ग स्थापित नहीं हैं										
*: जौनपुर तथा कीर्तिनगर में दुग्ध मार्ग स्थापित नहीं हैं										
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे										

11.9.4 **अलाभकारी दुग्ध मार्गों की स्थिति**: महिला डेरी के जनपद स्तरीय प्रभारियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर न्यादर्श जनपदों में अलाभकारी दुग्ध मार्गों का विवरण तालिका 11.17 में दर्शित है तथा इनकी सूची **परिशिष्ट-14** में दर्शित है।

तालिका 11.17 : चयनित जनपदों में अलाभकारी दुग्ध मार्ग

क्र.	जनपद	जनपद में कुल दुग्ध मार्ग	अलाभकारी दुग्ध मार्गों के नाम	लाभदायक न होने का कारण	दुग्ध मार्ग को लाभदायक बनाने हेतु सुझाव
1	नैनीताल	37	पाटकोट	कम दुग्ध उपार्जन होता है।	समितियों को सक्रिय करने की आवश्यकता है।
2	यू.एस.नगर	18	जसपुर-1		
3	हरिद्वार	11	सभी दुग्ध मार्ग लाभकारी हैं		
4	पिथौरागढ़	20	जाखमार्ग	कम मात्रा में दूध होता है।	ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।
			शिलिंग	कम मात्रा में दूध होता है।	नई समितियां खोली जायें।
			बड़ावे	पशु नस्ल सुधार हेतु सुदृढीकरण की कमी।	पशुनस्ल सुधार पर विशेष बल दिया जाय।
			अडकिनी	कम मात्रा में दूध होता है।	पशुनस्ल सुधार पर जोर देने की जरूरत है।
			झूलाघाट	कम मात्रा में दूध होता है।	पशुनस्ल सुधार पर जोर देने की जरूरत है।
5	टिहरी	20	कोई दुग्ध मार्ग अलाभकारी नहीं हैं		
6	पौड़ी गढ़वाल	17	खंडाह खिर्सू	दूध मौसम के अनुसार मिलता है न कि वर्ष भर तथा दुग्ध संग्रहण मूल्य अधिक आता है	लोनिंग हो (जिन स्कीमों में लोन मिलता है उनका वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय)
			डांग झिरकोटी		
			टिहरी-जखंड		
			देहलचौरी मार्ग		
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे					

11.9.5 उपरोक्त तालिका 11.17 से स्पष्ट है कि जनपद हरिद्वार में कोई भी दुग्ध मार्ग अलाभकारी नहीं है तथा जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में मात्र एक दुग्ध मार्ग अलाभकारी है। जनपद पिथौरागढ़ और पौड़ी में क्रमशः 5 और 4 दुग्ध मार्ग अलाभकारी हैं। इस प्रकार न्यादर्श जनपदों में (जनपद टिहरी को छोड़कर) अलाभकारी दुग्ध मार्गों के आधार पर 9 प्रतिशत दुग्ध मार्ग अलाभकारी (कुल मिलाकर 123 दुग्ध मार्गों में से 11 दुग्ध मार्ग) हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अलाभकारी दुग्ध मार्गों की संख्या काफी अधिक है। इससे यह भी स्पष्ट है कि इस संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

11.9.6 जहाँ तक विशेषतः जनपद पौड़ी के 4 अलाभकारी दुग्ध मार्गों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तथा यह पाया गया कि उक्त दुग्ध मार्गों में दुग्ध उपार्जन प्रक्रिया में परिवहन पर अत्यधिक व्यय आता है क्योंकि इन मार्गों पर प्रायः कम दुग्ध उपार्जन हो पाता। साथ ही इन दुग्ध मार्गों पर मौसम के अनुसार मिलता है न कि वर्ष भर। इस सम्बन्ध में सहायक प्रबन्धक, महिला डेरी, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा प्रस्तुत सूचनायें संलग्नक **परिशिष्ट-15** पर प्रस्तुत है।

11.10 दुग्ध मार्गों की उपादेयता के सम्बन्ध में दुग्ध समितियों की प्रतिपुष्टि

- 11.10.1 अध्ययन के अन्तर्गत कुल आच्छादित 24 समितियों में से 29 प्रतिशत ने यह पुष्टि की कि उन्हें अपने दुग्ध मार्ग में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ये दुग्ध मार्ग जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉक मूनाकोट एवं बिण, टिहरी के नरेन्द्र नगर, नैनीताल के कोटाबाग, उधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में स्थित हैं। इन दुग्ध मार्गों में अनुभूत कठिनाईयों का विवरण पार्श्व में अंकित तालिका 11.18 में प्रस्तुत है। ऐसी समितियों में से अधिकतर (42.9%) समितियों ने दुग्ध मार्ग पर पशु चिकित्सा सेवाओं की अपर्याप्तता बताया। लगभग 29 प्रतिशत समितियों ने दुग्ध मार्ग पर दुग्ध संग्रहण केन्द्र दूर स्थित होना, सड़क खराब होना, एवं दुग्ध संग्रहण की सुविधा का अपर्याप्त होना प्रमुख समस्यायें बतायीं। साथ ही 7 ऐसी समितियों में से मात्र 4 ने कहा कि हम किसी अन्य दुग्ध मार्ग से जुड़ना चाहेंगे।

तालिका 11.18: वर्तमान दुग्ध मार्ग पर अनुभूत समस्यायें (बहुउत्तरीय) (N=7)

समस्यायें	संख्या	प्रतिशत
दुग्ध संग्रहण की सुविधा का अपर्याप्त होना	2	28.6%
चारा/भूसा/पशु आहार, आदि की सुविधा का अपर्याप्त होना	1	14.3%
पशु नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध सुविधाओं का अपर्याप्त होना	1	14.3%
दुग्ध मार्ग पर पशु चिकित्सा सेवाओं की आपर्याप्तता	3	42.9%
दुग्ध संग्रहण केन्द्र दूर स्थित होना	2	28.6%
सड़क खराब होना	2	28.6%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

11.11 दुग्ध मार्गों की उपादेयता के सम्बन्ध में लाभार्थियों की प्रतिपुष्टि

- 11.11.1 अध्ययन के अन्तर्गत लाभार्थियों से यह पूछने पर कि क्या उन्हें वर्तमान दुग्ध मार्ग से कोई समस्या है अथवा नहीं तो कुल लाभार्थियों में से लगभग

तालिका 11.19.1: लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने अपने दुग्ध मार्ग से समस्या होने अथवा न होने की पुष्टि की

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	16	6.7%
नहीं	222	92.5%
कोई उत्तर नहीं	2	0.8%
योग	240	100.0%

93 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की उन्हें अपने वर्तमान दुग्ध मार्ग से कोई समस्या नहीं है (तालिका 11.19.1)। साथ ही जिन लाभार्थियों ने अपने वर्तमान दुग्ध मार्ग से समस्या होने की पुष्टि की उन्होंने अनेकानेक समस्याओं का उल्लेख किया जिनका विवरण तालिका 11.19.2 में प्रस्तुत है। अधिकतर लाभार्थियों ने समस्याओं के रूप में दुग्ध संग्रहण सुविधा का अभाव, पशु चिकित्सा सेवाओं में कमी, तथा पशु चारे की कमी का उल्लेख किया।

तालिका 11.19.2: वर्तमान दुग्ध मार्ग पर लाभार्थियों द्वारा अनुभूत समस्याएँ (बहुउत्तरीय) (N=16)

समस्याएँ	संख्या	प्रतिशत
दुग्ध संग्रहण (स्टोरेज) सुविधा का अभाव	9	60.0%
पशु चारे की कमी	8	53.3%
पशु नस्ल सुधार की सुविधा में कमी	6	40.0%
पशु चिकित्सकों की सेवाओं में कमी	9	60.0%
दुग्ध संग्रहण केन्द्र का दूरी पर स्थित होना	2	13.3%
सड़क मार्ग का न होना	1	6.7%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

11.11.2 इस प्रकार जनपद स्तरीय अधिकारियों की पुष्टि के अनुसार न्यादर्श जनपदों में 9 प्रतिशत दुग्ध मार्ग अलाभकारी (123 दुग्ध मार्गों में से 11 दुग्ध मार्ग) हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अलाभकारी दुग्ध मार्गों की संख्या काफी अधिक है (तालिका 11.17)। समितियों की प्रतिपुष्टि के आधार पर कुल आच्छादित समितियों में से 29 प्रतिशत ने दुग्ध मार्गों पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है (प्रस्तर 11.10.1)। वहीं दूसरी ओर मात्र 7 प्रतिशत लाभार्थियों ने ही अपने वर्तमान दुग्ध मार्ग से समस्या होने की पुष्टि की (प्रस्तर 11.11.1)।

11.12 विपणन व्यवस्था

11.12.1 राज्य में महिला डेरी योजना की अपनी अलग से कोई विपणन व्यवस्था नहीं है तथा इसकी व्यवस्था दुग्ध संघ द्वारा की जाती है। समितियों से उपार्जित दूध जनपद स्तरीय दुग्धशालाओं को भेजा जाता है जहाँ पर उसका प्रसंस्करण किया जाता है। सभी न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की व्यवस्था उपलब्ध बतायी गयी जिसका विवरण तालिका 11.20 में दिया गया है। समस्त जनपदों में दुग्ध उत्पादों में मुख्यतया पाश्चुराईज्ड मिल्क, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन, आदि तैयार कर बाजार में बिक्री हेतु उतारा जाता है।

तालिका नं. 11.20 : न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग की व्यवस्था

क्र.	जनपद	उपलब्ध सुविधायें	
		दुग्ध प्रसंस्करण	पैकेजिंग (आधा ली. पैक)
1	हरिद्वार	पाश्चुराईजेशन 500 ली. प्रति घंटा	360 पैकेट प्रति मिनट
2	टिहरी	दूध, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन	दूध, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन
3	नैनीताल	दूध, पनीर, दही, छेना, घी	दूध, पनीर, दही, छेना, घी
4	पिथौरागढ़	दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा	उत्पादों की पैकेजिंग कर बिक्री की जाती है
5	पौड़ी	दुग्ध संघ के खुद के प्लांट हैं	दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है
6	उधमसिंह नगर	पनीर, खोया, घी, मट्ठा	पनीर, खोया, घी, मट्ठा
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे			

11.13 संघों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद

11.13.1 राज्य में वर्तमान में यू.सी.डी.एफ. का आंचल ब्रांड राज्य के समस्त जनपदों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यू.सी.डी.एफ. द्वारा अपने मिल्क बूथों एवं एजेन्टों के माध्यम से विपणन किये जा रहे आंचल ब्रांड के विभिन्न दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद निम्नवत् हैं—

- स्टैन्डर्ड मिल्क — 4.5 प्रतिशत फैट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ.
- टोन्ड मिल्क — 3 प्रतिशत फैट एवं 8.5 प्रतिशत एस.एन.एफ.
- डबल टोन्ड मिल्क — 1.5 प्रतिशत फैट एवं 9 प्रतिशत एस.एन.एफ.
- स्किम्ड मिल्क — 0.05 प्रतिशत फैट एवं 8.7 प्रतिशत एस.एन.एफ.
- अन्य दुग्ध उत्पाद—घी, मक्खन, पनीर, दही सादा, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क तथा योगर्ट

11.14 राज्य में एजेन्ट्स के माध्यम से विपणन व्यवस्था

11.14.1 राज्य में आंचल ब्रांड के समस्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन चयनित एजेन्टों के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध उत्पाद दुग्ध संघ द्वारा संचालित किराये के विपणन वाहनों द्वारा समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के एजेन्टों को पहुंचाये जाते हैं तथा वे अपने-अपने विक्रय केन्द्र से इन उत्पादों का विक्रय करते हैं। ये वाहन दुग्धशाला से पृथक-पृथक मार्गों में दैनिक रूप से चलते हैं तथा विभिन्न एजेन्टों की मांग के अनुसार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराते हैं।

11.15 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का मूल्य निर्धारण

11.15.1 मूल्य निर्धारण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है—

- स्थानीय बाजारों में अन्य ब्रांडों के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय मूल्य।
- दुग्ध में वसा एवं एस.एन.एफ. की मात्रा
- दुग्ध संघ में होने वाले समस्त व्यय, जैसे दुग्ध ढुलान, प्रसंस्करण, मार्केटिंग, प्रशासनिक व्यय, आदि।
- प्रोफिट मार्जिन।
- अन्य ओवरहेड (यदि कोई हो)।

11.16 स्थानीय बाजार में निजी दुग्ध व्यवसायियों की भागीदारी

11.16.1 न्यादर्श जनपदों में स्थानीय बाजार में निजी संस्थाओं की उपस्थिति का विवरण तालिका 11.21 में दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि 4 जनपदों नामतः हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर में गोपाल जी ब्रांड की उपस्थिति है। जनपद पौड़ी में कोई निजी दुग्ध व्यवसायी उपस्थित नहीं है। अन्य जनपदों में इक्का-दुक्का किसी न किसी वाह्य दुग्ध व्यवसायियों की उपस्थिति बतायी गयी। पौड़ी को छोड़कर सभी जनपदों में यह बताया गया कि निजी व्यवसायियों की उपस्थिति के कारण दुग्ध उपार्जन में कमी हो रही है।

तलिका नं. 11.21 प्रश्न: दुग्ध व्यवसाय में न्यादर्श जनपदों में निजी संस्थाओं की उपस्थिति

क्र.	जनपद	उपस्थित निजी संस्थायें
1	हरिद्वार	पारस, मधुसूदन, गोपाल जी
2	टिहरी	हिमोत्थान, स्थानीय स्वयं सहायता समूह
3	नैनीताल	स्थानीय दुकानदार, अमूल, गोपाल जी
4	पिथौरागढ़	स्थानीय दुग्ध विक्रेता, गोपाल जी
5	पौड़ी	कोई नहीं
6	उधमसिंह नगर	गोपाल जी, गौधारा
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

11.16.2 जैसा कि अध्याय-1 में प्रस्तर 1.1.9 में उल्लेख किया जा चुका है, पिछले दशक में भारतीय जनसांख्यिकी की प्रकृति में परिवर्तन के फलस्वरूप बदलाव आया, जिससे वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में काफी वृद्धि हुई। जबकि तरल दूध में लाभदेयता औसतन 4-5 प्रतिशत है वहीं वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में लाभदेयता 12-20 प्रतिशत होती है तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सेगमेंट लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि डेयरी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है। इसे देखते हुए यह उचित होगा कि दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में विविधता लायी जाय तथा आंचल ब्रांड की बिक्री को बढ़ाने हेतु एग्रेसिव ब्रांड बिल्डिंग की जाय।

अध्याय – 12

दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण

12.1 न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग व्यवस्था की उपलब्धता

- 12.1.1 जहाँ तक महिला डेरी योजना का प्रश्न है, इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण हेतु कोई अलग व्यवस्था नहीं है। समितियों से उपार्जित दुग्ध जनपद स्तरीय दुग्धशालाओं को भेजा जाता है जहाँ पर उसका प्रसंस्करण किया जाता है। सभी न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की व्यवस्था उपलब्ध बतायी गयी, जिसका विवरण तालिका 12.1 में दर्शाया गया है। समस्त जनपदों में उत्पादों में मुख्यतया पाश्चुराईज्ड मिल्क, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन, आदि तैयार कर बजार में बिक्री हेतु उतारा जाता है।

तालिका 12.1: महिला डेरी के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग की व्यवस्था

क्र.	जनपद	उपलब्ध सुविधायें	
		दुग्ध प्रसंस्करण	पैकेजिंग
1	हरिद्वार	पाश्चुराईजेशन 500 ली. प्रति घंटा	360 पैकेट प्रति मिनट (आधा ली. पैक)
2	टिहरी	दूध, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन	दूध, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन
3	नैनीताल	दूध, पनीर, दही, छेना, घी	दूध, पनीर, दही, छेना, घी
4	पिथौरागढ़	दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा	उत्पादों की पैकेजिंग कर बिक्री की जाती है
5	पौड़ी	दुग्ध संघ के खुद के प्लांट हैं	दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है
6	उधमसिंह नगर	पनीर, खोया, घी, मट्ठा	पनीर, खोया, घी, मट्ठा

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

12.1.2 स्थानीय बाजार में निजी दुग्ध व्यवसायियों की भागीदारी:

मूल्यांकन अध्ययन के दौरान चयनित न्यादर्श जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों से स्थानीय बाजार में उपलब्ध विभिन्न दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अन्य ब्रांड तथा असंगठित दुग्ध व्यवसायियों द्वारा विक्रय किये जा रहे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की भागीदारी के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। न्यादर्श जनपदों में मुख्यतया जो निजी दुग्ध व्यवसायी उपस्थित हैं उनका विवरण पार्श्व में दी गयी तालिका 12.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 12.2 : दुग्ध व्यवसाय में न्यादर्श जनपदों में निजी संस्थाओं की उपस्थिति

क्र.	जनपद	उपस्थित निजी संस्थायें
1	हरिद्वार	पारस, मधुसूदन, गोपाल जी
2	टिहरी	हिमोत्थान, स्थानीय स्वयं सहायता समूह
3	नैनीताल	स्थानीय दुकानदार, अमूल, गोपाल जी
4	पिथौरागढ़	स्थानीय दुग्ध विक्रेता, गोपाल जी
5	पौड़ी	जनपद में दुग्ध व्यवसाय में निजी संस्थायें संलग्न नहीं हैं।
6	उधमसिंह नगर	गोपाल जी, गौधारा

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

12.1.3 अध्ययन के दौरान लगभग सभी जनपदों के प्रभारियों द्वारा बताया गया कि जनपदों में निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपस्थिति के कारण दुग्ध उपार्जन में कमी हो रही है। यहाँ पर जनपद हरिद्वार के प्रभारी द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया का उल्लेख करना समीचीन होगा जिसमें उन्होंने यह वर्णित किया है कि निजी दुग्ध व्यवसायी महिला दुग्ध समितियों/गांव में अधिक दुग्ध मूल्य भुगतान कर प्राइवेट समिति खोलते हैं जिस कारण कतिपय महिला दुग्ध समितियां बंद हो जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपस्थिति से कोऑपरेटिव डेरी को दुग्ध उपार्जन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

12.1.4 रोबो बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय डेरी उद्योग एक मजबूत उपभोक्ता उद्योग के रूप में उभर रहा है जिसकी वृद्धि की गति बहुत तेज चल रही है। यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट्स की खपत एवं मांग में वृद्धि एवं वैल्यू चेन के फार्मूलाइजेशन के साथ इसमें और तेजी आयेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं में उच्च प्रोटीन डाइट के प्रति रुझान, व्यय करने की शक्ति में वृद्धि, विभिन्न चैनलों जैसे संगठित रिटेल एवं फूड सेगमेंट की जानकारी एवं उपलब्धता के कारण उद्योग को गति मिल रही है। उत्तराखण्ड में भी इस स्थिति का लाभ उठाकर प्राइवेट उद्यमियों को डेरी उद्योग में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता। आर्गेनिक दूध उनको प्रोत्साहित करने हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। परम्परागत रूप से दुग्ध क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की कम भूमिका थी क्योंकि तरल दुग्ध की कीमत का 80 प्रतिशत भाग किसानों को चला जाता था। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम ऑपरेटिंग मार्जिन (4–5 प्रतिशत) मिलता था। इस कारण आधुनिक टैक्नोलॉजी तथा दुग्ध उत्पादकों के विकास में धन विनियोग करने हेतु उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं बचती थी। पिछले दशक में भारतीय जनसांख्यिकी की प्रकृति में परिवर्तन के फलस्वरूप बदलाव आया, जिससे वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में काफी वृद्धि हुई। इससे प्राइवेट कंपनियों को आकर्षण मिला क्योंकि तरल दूध की तुलना में वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की लाभदेयता में लगभग दो गुने का अन्तर है। जबकि तरल दूध में लाभदेयता औसतन 4–5 प्रतिशत है वहीं वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में लाभदेयता 12–20 प्रतिशत होती है तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सेगमेंट लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है कि डेयरी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है तथा इस उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता में वृद्धि भी अवश्यम्भावी है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न दो बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये –

- **ऑनल की ब्रांड बिल्डिंग** : ऑनल की ब्रांड बिल्डिंग की जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग अन्य ब्रांडों की तुलना में इसकी मांग करें तथा असंगठित क्षेत्र के निजी व्यवसायी भी इसके साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। ब्रांड बिल्डिंग हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया का भी प्रशस्त उपयोग किया जाये, जैसा कि अमूल और मदर डेयरी, आदि द्वारा किया जाता है।

- **दुग्ध उत्पादों का प्रचार—प्रसार:** विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार कर जनमानस में इस बात का प्रचार किया जाये कि अन्य ब्रांडों की तुलना में आँचल ब्रांड बेहतर है। यदि इस कार्य में सफलता मिलती है तो विक्रय बाजार में मूल्य थोड़ा बहुत कम—ज्यादा होने पर भी दुग्ध आहरण एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12.1.5 **दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रोत्साहन:** यद्यपि भारत कुल दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च स्थान रखता है परन्तु देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 80 प्रतिशत भाग छोटे एवं लघु किसानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। देश में पशुधन सेक्टर का कुल जी.डी.पी. में 4 प्रतिशत योगदान है जिसमें डेरी सेक्टर का योगदान मुख्य है। योजना आयोग, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2016–17 तक देश में दूध की मांग 155 मिलियन टन तथा 2011–22 तक 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने का अनुमान है, जिसके लिए अगले 15 वर्षों में औसतन 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। चूंकि लघु एवं मध्य स्तरीय किसानों पर दुग्ध उत्पादन हेतु निर्भरता जारी रहेगी। अतः इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा जागृत करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को रु. 22,000/— नकद पुरस्कार एवं एक शील्ड तथा शॉल भेंट की जाती है। अतः उत्तराखण्ड में भी (दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि – रु.4/— प्रति लीटर के अतिरिक्त) यह प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर विचार किया जाय।

अध्याय – 13

समितियों की लाभदेयता

13.1 न्यादर्श जनपदों में जनपद स्तरीय समिति की लाभदेयता

13.1.1 जनपद स्तरीय समिति की लाभदेयता के सम्बन्ध में न्यादर्श जनपदों में यह प्रतिपुष्टि ली गयी कि समितियों के तुलनपत्र बने हैं अथवा नहीं और यदि तुलनपत्र बने हैं तो उनका ऑडिट हुआ है अथवा नहीं एवं समितियों को लाभांश दिया गया अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण तालिका 13.1 में दर्शित है।

तालिका 13.1: महिला डेरी योजना के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 का जनपद स्तरीय समिति का तुलनपत्र तैयार होने तथा लाभ-हानि की स्थिति

क्र.	जनपद	तुलनपत्र तैयार होने की स्थिति	तुलनपत्र का ऑडिट होने की स्थिति	लाभ-हानि की स्थिति	ग्राम स्तरीय समितियों को लाभांश वितरण की स्थिति
1	हरिद्वार	बना है	ऑडिट नहीं हुआ है	ऑडिट न होने से स्थिति अस्पष्ट	लाभांश नहीं दिया गया
2	टिहरी	बना है	ऑडिट हुआ है	लाभ हुआ	संदर्भित 5 वर्षों के दौरान 4 बार लाभांश दिया गया
3	नैनीताल	बना है	ऑडिट हुआ है	लाभ हुआ	संदर्भित 5 वर्षों के दौरान 5 बार उपार्जित दूध के हिसाब से लाभांश दिया गया है।
4	पिथौरागढ़	बना है	ऑडिट नहीं हुआ है	ऑडिट न होने से स्थिति अस्पष्ट	लाभांश दिया गया
5	पौड़ी	बना है	ऑडिट हुआ है	लाभ हुआ	लाभांश नहीं दिया गया
6	उधमसिंह नगर	बना है	ऑडिट हुआ है	लाभ हुआ	विगत 5 वर्षों में 5 बार लाभांश दिया गया एवं अधिकतम धनराशि किसी एक ग्राम स्तरीय समिति को रु. 90,000/- दी गयी।

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

13.1.2 उपरोक्त तालिका 13.1 के क्रम में विभिन्न न्यादर्श जनपदों में जनपद स्तरीय समिति की लाभदेयता के बारे में निम्न तथ्य उजागर होते हैं –

- सभी न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक के जनपद स्तरीय तुलनपत्र बने हुये हैं।
- जहाँ तक तुलनपत्र का ऑडिट होने का सम्बन्ध है, जनपद हरिद्वार और पिथौरागढ़ में उपरोक्त संदर्भित अवधि का तुलनपत्रों का ऑडिट नहीं हुआ है तथा शेष न्यादर्श जनपदों में तुलनपत्रों का ऑडिट होने की पुष्टि की गयी।

- जहाँ तक जनपद स्तरीय समिति की लाभ-हानि की स्थिति का प्रश्न है, जनपद नैनीताल, पौड़ी, टिहरी एवं उधमसिंह नगर में संदर्भित वर्षों में लाभ होने की पुष्टि की गयी परन्तु जनपद हरिद्वार और पिथौरागढ़ में संदर्भित अवधि में तुलनपत्रों का ऑडिट नहीं होने से लाभ-हानि की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- जहाँ तक जनपद स्तरीय संघों द्वारा ग्राम स्तरीय समितियों को लाभांश वितरण का प्रश्न है, जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में विगत 5 वर्षों में 5 बार, जनपद टिहरी में 4 बार लाभांश दिये जाने की पुष्टि की गयी। साथ ही जनपद उधमसिंह नगर में कतिपय ग्राम स्तरीय समिति को अधिकतम धनराशि रु. 90,000/- तथा जनपद टिहरी में रु. 10,000/- लाभांश के रूप में दिये जाने की पुष्टि की गयी। जनपद पिथौरागढ़ में लाभांश दिये जाने की पुष्टि की गयी परन्तु लाभांश कितने बार दिया गया और कितनी धनराशि दी गयी यह स्पष्ट नहीं किया गया।

13.2 ग्राम स्तरीय समितियों की लाभदेयता

13.2.1 समितियों में वार्षिक तुलनपत्र की स्थिति: विगत तालिका 13.2: समितियों में तुलनपत्र तैयार होने की स्थिति

तीन वर्षों में तुलनपत्र तैयार करने एवं उनका ऑडिट कराने वाली समितियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ऐसी समितियों की संख्या वर्ष 2012-13 में 75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 92 प्रतिशत हो गयी। जिन समितियों के तुलनपत्र बनने एवं उसका ऑडिट होने की पुष्टि की उन्होंने प्रत्येक वर्ष लाभ होने की पुष्टि की (तालिका 13.2)।

वर्ष	बैलेंस शीट बनी है		क्या ऑडिट हुआ है? (प्रतिशत)	लाभ-हानि की स्थिति
	समितियों की संख्या	प्रतिशत		
2012-13	18	75%	75%	लाभ
2013-14	19	79%	79%	लाभ
2014-15	22	92%	92%	लाभ

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

13.2.2 ग्राम स्तरीय समितियों से मानदेय में व्यय की स्थिति: 13 प्रतिशत समितियों ने मानदेय के मद में रु. 2000/- से रु. 2500/- के बीच व्यय होने की पुष्टि की।

13.2.3 ग्राम स्तरीय समितियों में खर्चों के वहन हेतु व्यय तालिका 13.3: ग्राम स्तरीय समितियों में खर्चों के वहन हेतु व्यय व्यवस्था (बहुउत्तरीय)

व्यवस्था: 37.5 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि संघ से प्राप्त लाभ से समिति का खर्च चलता है। 25 प्रतिशत समितियों ने इस सम्बन्ध में मौन रहे (तालिका 13.3)।

विवरण	संख्या	प्रतिशत
बैलेंस शीट बनाकर	16	66.7%
संघ से प्राप्त लाभ से समिति का खर्चा चलता है	9	37.5%
कोई उत्तर नहीं	6	25.0%
योग	31	129.2%

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

13.3 ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लाभांश वितरण

- 13.3.1 समिति के सदस्यों में समिति की लाभदेयता की जानकारी का स्तर: अध्ययन के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों से यह पूछने पर कि क्या उनकी समिति ने पिछले 5 वर्षों में कोई लाभ अर्जित किया तो 20 प्रतिशत लाभार्थियों ने समिति को लाभ होने की पुष्टि की तथा 45 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की (तालिका 13.4)।

तालिका 13.4: विगत 5 वर्षों में हुये लाभ की स्थिति

लाभ	संख्या (N)	प्रतिशत
हाँ	49	20.42%
नहीं	83	34.58%
अनभिज्ञ	108	45.00%
योग	240	100.00%

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

- 13.3.2 सदस्यों का प्रतिशत जिन्होंने समिति की लाभ होने की पुष्टि की: जिन लाभार्थियों ने अपनी समिति को लाभ होने की पुष्टि की उनसे यह पूछने पर कि क्या उन्हें कभी कोई लाभांश मिला, तो लगभग एक-तिहाई (34%) लाभार्थियों ने लाभांश मिलने की पुष्टि की (तालिका 13.5)।

तालिका 13.5: लाभार्थियों द्वारा लाभांश प्राप्ति की स्थिति

लाभ प्राप्ति की स्थिति	संख्या (N)	प्रतिशत
हाँ	82	34.17%
नहीं	151	62.92%
कोई उत्तर नहीं	7	2.92%
योग	240	100.00%

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

- 13.3.3 लाभांश प्राप्ति की पुष्टि करने वाले सदस्यों का प्रतिशत: जिन लाभार्थियों ने लाभांश मिलने की पुष्टि की उनसे यह पूछने पर कि उन्हें विगत 5 वर्षों में कितनी बार लाभांश मिला तो अधिकतर (70%) ने दो (26%) या तीन (44%) बार लाभांश मिलने की पुष्टि की। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण पार्श्व में प्रस्तुत तालिका 13.6 में दिया गया है।

तालिका 13.6: विगत 5 वर्षों में लाभांश मिलने की आवृत्ति (N=82)

आवृत्ति	संख्या	प्रतिशत
एक बार	9	11%
दो बार	21	26%
तीन बार	36	44%
चार बार	1	1%
पांच बार	9	11%
कोई उत्तर नहीं	6	7%
योग	82	100%

अध्याय — 14

समन्वय एवं सहभागिता

महिला डेरी योजना के अन्तर्गत मुख्यतया तीन स्टेक होल्डर्स नामतः दुग्ध संघ, दुग्ध समितियां तथा समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्य, की प्रमुख भूमिका है। दुग्ध समितियां उत्पादकों एवं संघों के बीच कड़ी के रूप में काम करती हैं। इस अध्याय में समितियों का गठन, उनकी कार्यप्रणाली तथा दुग्ध उत्पादक सदस्यों एवं समितियों के समन्वय एवं सहभागिता के बारे में विवरण उल्लिखित है।

14.1 समितियों का संगठन एवं कार्यक्षेत्र

- 75 प्रतिशत समितियां वर्ष 2009–10 के बाद गठित हुईं तथा 25 प्रतिशत 2010 से पहले गठित हुईं।
- औसतन एक समिति का दायरा 3.5 किमी. के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- प्रति समिति 1.54 गांव आच्छादित हैं।
- प्रति समिति 39.6 परिवार आच्छादित हैं।

14.2 समितियों की बैठकों का आयोजन

14.2.1 आमसभा का गठन एवं बैठकों आयोजन: अध्ययन के अन्तर्गत आच्छादित कुल समितियों (24) में से 83 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि उनके द्वारा आमसभा की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है; 9 प्रतिशत समितियों ने बताया कि आमसभा की बैठक वार्षिक रूप से होती है तथा 8 प्रतिशत समितियों ने इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की। लगभग 97 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि आमसभा की बैठकों में अधिकतर सदस्य प्रतिभाग करते हैं। लगभग 98 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि आमसभा की बैठकों में समिति के वार्षिक लेखे-जोखे प्रस्तुत किये जाते हैं तथा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है।

14.2.2 प्रबन्धकारिणी समितियों का गठन एवं बैठकों आयोजन: कुल आच्छादित समितियों में से 98 प्रतिशत ने यह पुष्टि की कि समिति के अन्तर्गत प्रबन्धकारिणी समिति का गठन हुआ है। जिन समितियों ने प्रबन्धकारिणी समिति गठित होने की पुष्टि उनमें औसतन 9 बैठक प्रतिवर्ष आयोजित हुईं। लगभग 98 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि उनके द्वारा बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखा जाता है। इन बैठकों में विभिन्न समितियों ने साधारणतया निम्न बिन्दुओं पर चर्चा होने की पुष्टि की।

तालिका 14.1: प्रबन्धकारिणी समितियों की बैठकों में सामान्यतया चर्चित बिन्दु (बहुउत्तरीय)

चर्चित मुद्दे	संख्या (N)	प्रतिशत
दुग्ध मूल्य एवं उसके भुगतान से सम्बन्धित	7	31.8%
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना	2	9.1%
पशुपालन में आयी समस्याएँ	2	9.1%
दूध की स्वच्छता, गुणवत्ता एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि	5	22.7%
चारे की गुणवत्ता के बारे में	5	22.7%
ऋण उपलब्ध कराने के बारे में	2	9.1%
पशुओं की संख्या बढ़ाने के विषय में ताकि दुग्ध उत्पादन अधिक हो	3	13.6%
हेडलोड अनुदान	1	4.5%
गंगा गाय योजना	1	4.5%
दवाइयों के बारे में	2	9.1%
योग	30	136.4%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

14.2.3 उपरोक्त तालिका 14.1 से स्पष्ट है कि दुग्ध समितियों की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में अधिकतर दुग्ध मूल्य एवं उसका भुगतान; दूध की स्वच्छता, गुणवत्ता एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि; चारे की गुणवत्ता एवं पशुओं की संख्या बढ़ाने के विषय में चर्चा होती है।

14.2.4 दुग्ध समिति के सदस्यों के बीच समन्वय: जहाँ तक समिति के सदस्यों के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, सभी समितियों ने यह पुष्टि की कि विभिन्न गतिविधियों के लिए सदस्यों में समुचित सांमजस्य है।

14.3 लाभार्थियों तथा दुग्ध समिति के बीच समन्वय एवं सहभागिता

14.3.1 लाभार्थियों द्वारा अपनी दुग्ध समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने की स्थिति: जैसा कि तालिका 14.2.1 में दर्शित है लगभग 73 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि करते हैं। पुनः इन लाभार्थियों से यह भी पूछा गया कि उन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकों में प्रतिभाग किया तो अधिकांश (88%) प्रतिशत लाभार्थियों ने 2 से 11 बैठकों में प्रतिभाग किया (तालिका 14.2.2)।

तालिका 14.2.1 : दुग्ध समितियों की बैठकों में लाभार्थियों के प्रतिभाग की स्थिति (N=240)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
प्रतिभाग किया	176	73.3%
प्रतिभाग नहीं किया	63	26.3%
कोई उत्तर नहीं	1	0.4%

तालिका 14.2.2: विगत तीन वर्षों में लाभार्थियों द्वारा बैठकों में प्रतिभाग की स्थिति

बैठकों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या (N)	प्रतिशत
2-11	154	87.50%
12-21	4	2.27%
22-31	3	1.70%
कोई उत्तर नहीं	15	8.52%
योग	176	100%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

14.3.2 साथ ही जिन 176 (73%) प्रतिशत लाभार्थियों ने बैठकों में प्रतिभाग करने की पुष्टि की (तालिका 14.2.1) उनसे यह भी पूछा गया कि क्या समिति द्वारा इन बैठकों में वार्षिक लेखे-जोखे/लाभ-हानि का विवरण भी दिया जाता है। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74%) लाभार्थियों ने समिति द्वारा वार्षिक लेखे-जोखे आदि का विवरण दिये जाने की भी पुष्टि की।

14.3.3 दुग्ध समितियों द्वारा अपने सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित व्यवस्था : इस संदर्भ में जैसा कि पार्श्व में दी गयी तालिका 14.3 में दर्शित है, मात्र 5.4 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की कि सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु उनकी समिति द्वारा व्यवस्था स्थापित की गयी है। लगभग 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनायी गयी। इस स्थिति से स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों की समस्याओं के निवारण के लिए औपचारिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।

तालिका 14.3 : प्रतिशत लाभार्थी जिन्होंने समस्याओं के निदान हेतु व्यवस्था स्थापित किये गये होने की पुष्टि की

व्यवस्था	संख्या (N)	प्रतिशत
स्थापित है	13	5.4%
स्थापित नहीं है	225	93.8%
कोई उत्तर नहीं	2	0.8%
योग	240	100.0%

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

14.3.4 जैसा कि तालिका 14.3 में दर्शित है, मात्र 5.4 प्रतिशत लाभार्थियों ने शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था स्थापित होने की पुष्टि की। इन लाभार्थियों से यह पूछने पर कि सामान्यतया किस प्रकार की समस्याएँ/शिकायतें उठायी/की जाती हैं तो इन्होंने निम्न प्रकार की समस्याएँ/शिकायतें होने की पुष्टि की—

- ✓ पशुओं में बीमारी
- ✓ हेडलोड अनुदान न मिलना
- ✓ चारा काटने की मशीन न मिलना
- ✓ दूध के दाम सही न मिलना
- ✓ पशु क्रय हेतु ऋण मिलने की समस्या

14.3.5 दुग्ध समिति के सदस्यों में अपनी समिति के कार्य से संतुष्टि का स्तर: जैसा कि तालिका 14.4 में दर्शित है, अधिकतर (82%) लाभार्थियों ने समिति के कार्य से संतुष्टि जतायी। परन्तु 18 प्रतिशत लाभार्थियों ने समिति के कार्य से असंतुष्टि जतायी। जिन लाभार्थियों ने असंतुष्टि जतायी उन्होंने इसके पीछे निम्न कारणों का उल्लेख किया —

तालिका 14.4: लाभार्थियों का समिति के कार्य से संतुष्टि का स्तर

संतुष्टि का स्तर	संख्या (N)	प्रतिशत
बहुत संतुष्ट	59	24.6%
संतुष्ट	138	57.5%
थोड़ा बहुत संतुष्ट	28	11.7%
असंतुष्ट	15	6.3%
योग	240	100.0

स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे

- ✓ दुग्ध मूल्य बजार की तुलना में कम होना (32%)
- ✓ पशु चारा समय से उपलब्ध न होना (12%)
- ✓ पशुपालकों की शिकायतों का निवारण न होना (14%)
- ✓ पशु चिकित्सक की नियमित रूप से उपलब्धता न होना (16%)
- ✓ शिकायत निवारण पेटिका का न होना (7%)
- ✓ समिति से ऋण न मिलना (7%)

14.4 दुग्ध उत्पादक सदस्यों की शिकायतें एवं समस्याओं के निवारण हेतु स्थापित व्यवस्था

14.4.1 कुल आच्छादित समितियों में से केवल 50 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि दुग्ध उत्पादक सदस्यों की शिकायतें एवं समस्याओं के निवारण हेतु व्यवस्था स्थापित है। इन समितियों से यह पूछने पर कि विगत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तो ऐसी सभी समितियों द्वारा शिकायतों को मिलाकर कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा कुल मिलाकर 10 शिकायतों का निवारण हुआ।

14.4.2 दुग्ध समितियों को दुग्ध उत्पादकों से मिलने वाली शिकायतें: समितियों से यह पूछने पर कि सामान्यतया दुग्ध उत्पादक सदस्यों से किस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, तो उन्होंने पार्श्व में दर्शित तालिका 14.5 में उल्लिखित शिकायतों का उल्लेख किया। उक्त तालिका 14.5 से स्पष्ट है कि मुख्यतया दुग्ध मूल्य, समय से चारा न मिलना एवं समय से भुगतान न होने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

तालिका 14.5: दुग्ध उत्पादक सदस्यों से सामान्यतया मिलने वाली शिकायतें

शिकायतों की प्रकार	संख्या (N)	प्रतिशत
दुग्ध मूल्य सम्बन्धी	14	48.3%
चारे का समय से न मिलना	3	10.3%
पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी	2	6.9%
समय से भुगतान न होने सम्बन्धी	3	10.3%
हेडलोड नहीं मिलने सम्बन्धी	1	3.4%
ऋण सम्बन्धी	2	6.9%
समिति से दूरी से सम्बन्धित	1	3.4%
अनुदान सम्बन्धी	1	3.4%
कोई उत्तर नहीं	2	6.9%
योग	29	100.0%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

14.4.3 महिला डेरी योजना में सुधार हेतु दुग्ध उत्पादक सदस्यों से सुझाव लिये जाने की स्थिति: तीन-चौथाई (75%) समितियों ने यह पुष्टि की कि समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु महिला डेरी योजना के दुग्ध उत्पादक सदस्यों से सुझाव

तालिका 14.6.1: % समितियां जिन्होंने सुधार हेतु सदस्यों से सुझाव मिलने की पुष्टि की (N=24)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	18	75%
नहीं	6	25%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

आमंत्रित किये जाते हैं (तालिका 14.6.1)। जिन समितियों ने यह बताया कि लाभार्थियों से योजना में सुधार हेतु सुझाव लिये जाते हैं उनसे यह भी पूछा गया कि विगत एक वर्ष के दौरान कौन-कौन से महत्वपूर्ण सुझाव मिले। तदनुरूप समितियों को मिलने वाले सुझावों का विवरण तालिका 14.6 में प्रस्तुत है।

तालिका 14.6: महिला डेरी योजना में सुधार हेतु दुग्ध उत्पादक सदस्यों से सुझाव (बहुउत्तरीय)

सुझाव	संख्या (N)	प्रतिशत
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुओं को कैल्शियम/मिलैट खिलाया जाना	4	23.5%
पशुओं को साफ-सुथरा चारा दिये जाने सम्बन्धी	1	5.9%
दुग्ध मूल्य में वृद्धि	6	35.3%
दुग्ध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना	1	5.9%
पशु क्रय हेतु आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाना	2	11.8%
उन्नत प्रजाति के पशुओं की व्यवस्था	1	5.9%
पशुआहार अनुदान	1	5.9%
दवाइयां समय पर उपलब्ध कराया जाना	2	11.8%
योग	18	105.9%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

14.4.4 उपरोक्त तालिका 14.6 से स्पष्ट है कि पशुपालको से समितियों को विगत एक वर्ष के दौरान मुख्यतया दुग्ध मूल्य में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुओं को कैल्शियम/मिलैट खिलाया जाना, पशु क्रय हेतु आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाना एवं दवाइयां समय पर उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सुझाव मिले।

14.4.5 समितियों को जिला स्तरीय अधिकारियों से आपेक्षित सहयोग की स्थिति:

लगभग एक-तिहाई (33.3%) समितियों ने जनपद स्तरीय अधिकारियों से हमेशा सहयोग मिलने की पुष्टि की। 21 प्रतिशत समितियों ने साधारणतया तथा 25 प्रतिशत समितियों ने कभी-कभी सहयोग मिलने की पुष्टि की। 21 प्रतिशत

तालिका 14.7 : समितियों को जनपद स्तरीय अधिकारियों से आपेक्षित सहयोग की स्थिति

प्राप्त सहयोग	संख्या (N)	प्रतिशत
हमेशा	8	33.3%
साधारणतया	5	20.8%
कभी-कभी	6	25.0%
साधारणतया नहीं	5	20.8%
योग	24	100.0%
स्रोत: ए.एम.एस. सर्वे		

समितियों ने यह बताया कि साधारणतया जनपद स्तरीय अधिकारियों से आपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है (तालिका 14.7)। जिन मुद्दों पर आपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता उनमें प्रायः दुग्ध मूल्य में वृद्धि, पशु चिकित्सक की अनुपलब्धता एवं गर्भाधान की सुविधा, आदि सम्मिलित हैं।

महिला डेरी योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन, आदि तथा योजना के संचालन में व्यय की स्थिति

15.1 योजना के संचालन में व्यय की स्थिति

15.1.1 योजना का संचालन वर्ष एवं प्रारम्भ से योजना के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि एवं उपयोगिता की स्थिति: राज्य में महिला डेरी योजना वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ हुई। उस समय राज्य उत्तर प्रदेश का भाग था। योजना के संचालन हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार से स्टेप फेज तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में धनराशि प्राप्त हुई जिसका पूर्ण विवरण उपयोगिता सहित **परिशिष्ट-9 (अ)** तथा **परिशिष्ट-9 (ब)** में प्रस्तुत है, तथा संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है—

अ) स्टेप फेज अन्तर्गत प्राप्त एवं उपयोग की गयी धनराशि : इस फेज के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से लेकर वर्ष 2014-15 तक भारत सरकार से रु. 1449.60 लाख, राज्य सरकार द्वारा रु. 229.78 लाख तथा दोनों का अंशदान मिलाकर कुल रु.1679.38 लाख प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग राज्य के दुग्ध संघों में अवस्थापना सम्बन्धी संसाधनों को जुटाने हेतु किया गया, जिससे दुग्ध संघों की आर्थिकता बढ़ी। इस राशि में से रु.1564.97 लाख (93%) का उपयोग किया गया तथा मात्र रु.114.41 लाख (7%) वापस किया गया (तालिका 15.1)।

तालिका 15.1: महिला डेरी विकास परियोजना को स्टेप फेज अन्तर्गत प्राप्त उपयोगिता/वापस धनराशि का वर्षवार विवरण (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	प्राप्त धनराशि (लाख रु. में)			उपयोगित / वापस की गयी धनराशि	
	भारत सरकार	राज्य सरकार	कुल योग	उपयोगित	वापस
प्रथम चरण (फेज-08)					
1994-95 to 1997-98	275.967	42.560	318.527	204.117	114.410
फेज-09 : (उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा तथा नैनीताल)					
1997-98 to 1999-00	152.091	32.300	184.391	184.391	0.000
फेज-10 : (बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून तथा पौड़ी)					
1997-98 to 2000-01	335.783	56.305	392.088	392.088	0.000
फेज-12 : (पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी)					
1998-99 to 1999-00	244.08	46.500	290.580	290.580	0.000
फेज-16 : (उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा तथा नैनीताल)					
1999-00 to 2003-04	175.500	19.500	195.000	195.000	0.000
फेज-यू.ए.-01 (हरिद्वार)					
2001-02 to 2004-05	121.123	14.710	135.833	135.833	0.000
फेज-12/1 (जनपद बागेश्वर, चम्पावत, चमोली एवं पिथौरागढ़)					
2012 to 2013	145.06	17.9	162.96	162.960	0
सकल योग	1449.60	229.78	1679.38	1564.97	114.41
स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार					

ब) पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में प्राप्त धनराशि : पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 2015-16 तक भारत सरकार (यूनिसेफ के सहयोग से) से मात्र रु. 21.29 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 3,398.124 लाख तथा दोनों का अंशदान मिलाकर कुल रु.3419.418 लाख प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार से आठवीं से दसवीं पंचवर्षीय योजना के बीच मिली धनराशि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के गठन में किया गया तथा राज्य सरकार से मिली धनराशि का उपयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से दुग्ध समितियों के गठन एवं वेतन मद में किया जा रहा है। कुल प्राप्त धनराशि में रु.3,209.841 लाख (94%) का उपयोग हुआ तथा मात्र रु.209.564 लाख (6%) वापस किया गया। (तालिका 15.2)

तालिका 15.2: पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में प्राप्त धनराशि का विवरण

वर्ष	प्राप्त धनराशि (लाख रु. में)			(धनराशि लाख रु. में)	
	यूनिसेफ	राज्य सरकार	कुल योग	उपयोगित	वापस
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)					
1992-93 to 1996-97	21.294	382.769	404.063	366.963	37.100
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)					
1997-98 to 2001-02	0	673.760	673.760	626.933	46.827
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)					
2001-02 to 2006-07	0	484.700	484.700	484.700	
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)					
2006-07 to 2011-12	0	846.660	846.660		
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)					
2012-13 to 2015-16	0.000	1010.235	1010.235	1001.025	9.210
सकल योग	21.294	3398.124	3419.418	2479.621	93.127
स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार					

15.1.2 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच जनपदवार दी गयी धनराशि: केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण, जिसका पूर्ण उपयोग हुआ, का विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित धनराशि प्रस्तर 15.1.1 (अ एवं ब) में सम्मिलित है।

15.1.3 वर्तमान में महिला डेरी योजना हेतु सहायता का स्रोत : वर्तमान में महिला डेरी परियोजना हेतु राज्य सरकार से ही सहायता मिल रही है तथा केन्द्र सरकार से वर्ष 2014-15 से कोई सहायता नहीं मिल रही है, तदनु रूप वर्तमान में महिला डेरी योजना पूर्णतः राज्य सरकार सहायतित योजना है।

15.2 राज्य में दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन आदि में व्यय की स्थिति

15.2.1 राज्य में दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन एवं कुल व्यय का आंकलन करने हेतु वर्ष 2015-16 में हुए व्यय एवं उपार्जित दुग्ध को आधार लिया गया। वर्ष 2015-16 में महिला डेरी विकास परियोजना के कार्यक्रमों के संचालनार्थ रु.307.045 लाख की धनराशि का व्यय हुआ जिसका विवरण तालिका 15.3 में दर्शित है।

तालिका 15.3: वर्ष 2015-16 में महिला डेरी विकास परियोजना के कार्यक्रमों के संचालनार्थ राज्य स्तर पर किया गया कुल व्यय

क्र.सं.	मदों का विवरण	योग रु. में
1	महिला दुग्ध समितियों का गठन एवं वर्ष 2013-14,	1,404,000.00
2	एस0सी0पी0 सदस्यों को चैफकटर वितरण अनुदान	1,421,000.00
3	सुपरवीजन मॉनिटरिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन	25,159,500.00
4	प्रोप्लसन चार्ज वाहन व्यय	921,000.00
5	प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालनार्थ	878,000.00
6	ओवरराईडिंग कास्ट कार्यालय व्यवस्था	921,000.00
	कुल योग	30,704,500.00

स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार

15.2.2 उपरोक्त तालिका 15.3 में दर्शित धनराशि में राज्य के 13 जनपदों में कार्यरत स्टॉफ का वेतन कुल रु.251.595 लाख सम्मिलित है। तदनुरूप कुल व्यय के सापेक्ष प्रति लीटर दुग्ध उपार्जन में लागत तथा कुल वेतन के सापेक्ष प्रति लीटर दुग्ध उपार्जन की लागत निम्नवत् परिलक्षित होती है -

अ) कुल वेतन के सापेक्ष प्रति लीटर दुग्ध उपार्जन में लागत: इस संदर्भ में विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है, जिससे स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर वेतन आदि के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में रु.1.74 प्रति लीटर व्यय होता है।

क्र. सं.	दुग्ध उपार्जन लीटर में प्रति दिवस	वार्षिक दुग्ध उपार्जन लीटर में	वेतन मद में व्यय	प्रति लीटर उपार्जन लागत रु. में
1	39616	14459840	25,159,500.00	1.74

स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार

उपरोक्त संदर्भ में यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जैसा कि अध्याय-6 के प्रस्तर 6.1.12 के अन्तर्गत तालिका 6.5 में दर्शित है, न्यादर्श जनपदों में वेतन एवं भत्तों के मद में राज्य सरकार द्वारा औसतन रु. 0.76 प्रति लीटर का योगदान दिया जा रहा है। यह इसलिए कि न्यादर्श जनपदों में अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले जनपद शामिल हैं तथा राज्य स्तर पर अनेक व्यय ऐसे होते हैं जो जनपद स्तर पर नहीं किये जाते हैं।

ब) कुल व्यय के सापेक्ष प्रति लीटर दुग्ध उपार्जन में लागत: वेतन मद में स्वीकृत बजट की दृष्टि से प्रति लीटर लागत रु 1.74 प्रति लीटर बैठती है।

क्र. सं.	दुग्ध उत्पादन लीटर में प्रति दिवस	वार्षिक दुग्ध उत्पादन लीटर में	कुल बजट व्यय	प्रति लीटर उत्पादन लागत रु. में
1	39616	14459840	30,704,500.00	2.13
स्रोत : महिला डेरी मुख्यालय, अल्मोड़ा के विभागीय अभिलेखों के विश्लेषण के आधार				

- 15.2.3 कुल स्वीकृत बजट की दृष्टि से प्रति लीटर लागत रु.2.13 प्रति लीटर बैठती है। यदि दुग्ध व्यवसाय से न्यूनतम लाभ (Minimum profit from milk trading) की दृष्टि से देखा जाए तो इस सम्बन्ध में आर्थिकता से सम्बन्धित विवरण, जो **परिशिष्ट-11** पर प्रस्तुत है, के अनुसार अधिकतम दुग्ध खरीद दर रु.32.00/लीटर एवं न्यूनतम विक्रय दर रु.38.00/लीटर की दर से रु.6.00 प्रति लीटर लाभ अर्जित होता है (लाभ के आंकलन हेतु **परिशिष्ट-11** के फुटनोट में विस्तृत व्याख्या दी गयी है। इस लाभ से राज्य के दुग्ध संघ अपने कार्मिकों को वेतन का भुगतान करते हैं, जबकि महिला डेरी परियोजना कार्मिकों का सम्पूर्ण वेतन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस प्रकार से महिला डेरी योजना एक लाभदायी उपक्रम होने के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तीकरण एवं महिलाओं के समग्र विकास में योगदान दे रही है।
- 15.2.4 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महिला डेरी योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन, आदि तथा योजना के संचालन में व्यय की स्थिति काफी संतोषप्रद है।

महिला डेरी योजना की गतिविधियों का अनुश्रवण

किसी भी योजना के सफल संचालन में परियोजना के संचालन एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना परियोजना की सफलता के लिए एक आवश्यक गतिविधि है, जिससे समय-समय पर यह आंकलन किया जाता है कि परियोजना वांछित दिशा में चल रही है अथवा नहीं। महिला डेरी योजना का विस्तार गांव-गांव तक होने के कारण इसके क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर अवस्थापना की व्यवस्था की गयी है। अतः न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों से योजना के अनुश्रवण के बारे में जानकारी ली गयी, जिसका विवरण इस अध्याय में आगे उल्लिखित है।

16.1.1 **विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन:** सभी न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों ने यह पुष्टि की कि जनपद स्तर पर महिला डेरी विकास की विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजन किया जाता है।

तालिका 16.1: महिला डेरी के अन्तर्गत न्यादर्श जनपदों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोजित समीक्षा बैठकों की स्थिति

क्र.	जनपद	बैठकों का अन्तराल	ऐजेण्डा के मुख्य बिन्दु
1	हरिद्वार	पाक्षिक	✓ महिला समितियों की संख्या में वृद्धि करना, ✓ दुग्ध उपार्जन में वृद्धि करना, ✓ समिति के अभिलेखों को अद्यतित करना, ✓ दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार पर विचार करना, ✓ दुग्ध समिति की शिकायतों/समस्याओं का निराकरण
2	टिहरी	मासिक	✓ पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन, ✓ लक्ष्य के सापेक्ष दुग्ध उपार्जन की स्थिति पर विचार, ✓ समितियों के कार्यों पर चर्चा
3	नैनीताल	मासिक	✓ दुग्ध उपार्जन हेतु लक्ष्य निर्धारण, ✓ समिति गठन हेतु लक्ष्य निर्धारण, ✓ उपार्जित दुग्ध की गुणवत्ता का विश्लेषण
4	पिथौरागढ़	पाक्षिक	✓ दुग्ध उपार्जन में वृद्धि, ✓ दुग्ध मूल्य में वृद्धि, ✓ लाभांश वितरण
5	पौड़ी	मासिक	✓ पशु आहार ✓ बीज मूल्य ✓ दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन ✓ लाभांश
6	उधमसिंह नगर	मासिक	✓ समितियों में दुग्ध उपार्जन की स्थिति, ✓ योजना का लाभ एवं लाभ की स्थिति

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

16.1.2 उपरोक्त तालिका 16.1 में उल्लिखित विवरण से स्पष्ट है कि कुछ जनपदों में समीक्षा बैठकें पाक्षिक रूप से आयोजित की जाती हैं तथा अन्य में मासिक रूप से। साथ ही

बैठकों के ऐजेण्डा हेतु कोई निर्धारित प्रारूप तय नहीं है। चूंकि महिला डेरी योजना एक महत्वपूर्ण एवं लक्षोन्मुख योजना है। अतः इसके अन्तर्गत समस्त जनपदों में निर्धारित अन्तराल पर बैठकों का आयोजन हो तथा बैठकों में जिन बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से विचार होना आवश्यक है उनकी सूची समस्त जनपदों में उपलब्ध हो ताकि परियोजना की प्रगति की समीक्षा समान रूप से हो सके। इन बैठकों में जिन बिन्दुओं पर सभी जनपदों में विचार होना चाहिए वे निम्न प्रकार हो सकते हैं—

- पिछली बैठकों लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।
- जनपद में योजना के अन्तर्गत माह के प्रारम्भ में कुल समितियां, सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियां।
- निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने पर विचार।
- नवीन समितियों का गठन तथा इनके गठन हेतु लक्ष्य निर्धारण।
- माह में कुल दुग्ध उपार्जन तथा दुग्ध उपार्जन में वृद्धि या कमी का विश्लेषण।
- अगले माह हेतु दुग्ध उपार्जन का लक्ष्य निर्धारण।
- उपार्जित दुग्ध की गुणवत्ता एवं आवश्यकतानुरूप इसमें सुधार पर विचार।
- परियोजना के विस्तार हेतु प्रचार—प्रसार गतिविधियों का निर्धारण।
- परियोजना हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि के उपयोग की प्रगति।
- परियोजना से सम्बन्धित समय—समय पर नये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विचार।
- ऐसी समितियों की पहचान करना जिनका कार्य उल्लेखनीय हो तथा उनको समुचित मान्यता प्रदान करने पर विचार।
- दुग्ध समिति की शिकायतों/समस्याओं का निराकरण।

16.1.3 उपरोक्त सूची सांकेतिक है तथा इस पर विभागीय स्तर पर विचार कर इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

16.1.4 दुग्ध समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन : महिला डेरी योजना के अन्तर्गत गठित दुग्ध समितियां परियोजना के मुख्य स्टेकहोल्डरों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अतः परियोजना के सफल संचालन हेतु समितियों के पदाधिकारियों से नियमित रूप से चर्चा करना अत्यावश्यक होता है। इस क्रम में सभी न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों ने यह पुष्टि की कि जनपद स्तर पर दुग्ध समिति के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। अधिकांश न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों द्वारा बताया गया कि ये बैठकें त्रैमासिक अन्तराल अथवा आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं। साथ ही यह पूछने पर कि विगत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गयीं तो जनपद नैनीताल में 100, पिथौरागढ़ में 15, उधमसिंह नगर

में 5, पौड़ी में 4 बैठक तथा टिहरी एवं हरिद्वार में 4 बैठकें आयोजित होने की पुष्टि की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद नैनीताल में दुग्ध समितियों के साथ निरन्तर संवाद रखा जाता है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि इन बैठकों के लिए भी निश्चित एजेण्डा एवं समयावधि निर्धारित की जाय।

- 16.1.5 विभागीय अधिकारियों द्वारा समितियों के अनुश्रवण के बारे में प्रतिपुष्टि: लगभग 88 प्रतिशत समितियों ने यह पुष्टि की कि विभागीय अधिकारियों द्वारा समितियों का अनुश्रवण किया जाता है, जिनमें ब्लॉक स्तर, दुग्ध संघ, जिला स्तर के अधिकारी तथा सुपरवाइजर सम्मिलित हैं।

महिला डेरी योजना की प्रभाविकता

17.1 महिला डेरी योजना की प्रभाविकता के बारे में न्यादर्श जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार

17.1.1 सामाजिक एवं आर्थिक लाभ : योजना की प्रभाविकता के बारे में यद्यपि सभी जनपद स्तरीय प्रभारियों का यह मत था कि यह योजना एक सफल योजना है तथापि अधिकांश न्यादर्श जनपदों में महिला डेरी योजना को दुग्ध संघ के साथ जोड़ने का सुझाव दिया गया है। चूंकि यह योजना विशिष्टतया महिलाओं के लिए है, अतः सभी न्यादर्श जनपदों में यह अभिमत है कि इसके अन्तर्गत महिला समूह ही गठित किये जाते हैं तथा योजना के द्वारा महिलाओं को निम्न लाभ मिल रहे हैं—

- **आर्थिक लाभ:** महिला डेरी योजना से जुड़ी महिलायें स्वरोजगार करने, लेन—देन का हिसाब रखने में सक्षम हो जाने तथा योजनान्तर्गत उन्हें सीधे भुगतान मिलने से वे आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम हो गयी हैं। वस्तुतः महिला डेरी के माध्यम से महिलाओं को उनके द्वार पर ही रोजगार मिल रहा है, अतः वे आत्म निर्भर होने में सक्षम हो रही हैं।
- **सामाजिक लाभ:** समितियों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के कारण महिलाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास हो रहा है एवं उनमें निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। योजना के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अंचलों में महिलायें बच्चों की शिक्षा—दीक्षा पर ध्यान देने लगी हैं। विशेष रूप से महिलाओं को समूह में कार्य करने का अवसर मिल रहा है।

17.1.2 योजना के महिलाओं का जुड़ाव: अध्ययन के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि महिला समितियों की अनेक महिलायें ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, बी.डी.सी. मैम्बर, आदि बन चुकी हैं। महिला डेरी में शामिल होने के बाद महिलायें पशुओं के रख—रखाव, बच्चों की शिक्षा, घरेलू व्यवस्था, आर्थिक निवेश के बारे में स्वयं निर्णय ले लेती हैं। अध्ययन के दौरान दुग्ध विक्रय में बिचौलियों से बचाव योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ के रूप में उभर कर आया। विशेष रूप से विगत पांच वर्षों में योजना के आकर्षण स्वरूप इससे जुड़ी हुई महिलाओं की संख्या तथा उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में वृद्धि को जोड़ कर देखा जाय तो योजना वास्तव में सफल है (तालिका 17.1)।

तालिका 17.1: न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों के अभिमत में विगत 5 वर्षों के दौरान विशिष्ट मदों में हुई वृद्धि

क्र.	जनपद	विगत 5 वर्षों के अन्तर्गत	
		योजना से जुड़ी महिलाओं की संख्या	उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं की संख्या में वृद्धि
1	नैनीताल	3762	50%
2	हरिद्वार	200	175 उन्नत नस्ल के दुधारु पशु
3	पिथौरागढ़	सूचना अनुपलब्ध	70%
4	टिहरी	384	40%
5	उधमसिंह नगर	4000	80%
6	पौड़ी	1000	50%

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

17.1.3 सफल संचालन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के सुझाव: महिला डेरी के स्थायित्व एवं सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर सामान्यतया निम्न सुझाव दिये गये—

- महिला डेरी की अलग से संगठन संरचना हो तथा कार्मिकों को स्थायी किया जाय।
- कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया जाय/कार्मिकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बराबर वेतन दिया जाय।
- योजना का विस्तार किया जाय तथा योजनान्तर्गत समितियों एवं समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की जाय। योजना के विस्तार हेतु प्रोत्साहन को लक्ष्य से जोड़ते हुए लक्ष्य एवं बजट बढ़ाये जाये।
- जनपद स्तर पर जागरूक, अनुभवी और योग्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाये।
- अच्छी नस्ल की गाय अनुदान पर उपलब्ध करायी जाये।
- समय-समय पर उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन मिले।

17.1.4 महिला डेरी विकास की योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के सुझाव: उपरोक्त संदर्भ में जनपद स्तरीय अधिकारियों के सुझाव तालिका 17.2 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 17.2: महिला डेरी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु राज्य स्तरीय अधिकारियों के सुझाव

क्र.	जनपद	योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव
1	नैनीताल	✓ महिलाओं को अन्य विभागों से जोड़ा जाय। ✓ योजना संचालन हेतु धनराशि बढ़ायी जाय। ✓ योजना में मानव संसाधन बढ़ाया जाय।
2	हरिद्वार	✓ सभी महिला डेरी कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए। ✓ सभी कार्मिकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन भुगतान किया जाना चाहिए ताकि महिला डेरी कार्मिकों का आत्मबल बढ़े।

तालिका 17.2: महिला डेरी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु राज्य स्तरीय अधिकारियों के सुझाव

क्र.	जनपद	योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव
		✓ महिला डेरी की मूलभूत समस्याओं का त्वरित निदान किया जाना चाहिए। ✓ जनपद स्तर पर जागरूक, अनुभवी व योग्य कार्मिकों की तैनाती की जानी चाहिए।
3	पिथौरागढ़	✓ समितियों के गठन का लक्ष्य बढ़ाया जाय। ✓ बजट को बढ़ाया जाय। ✓ पशुआहार अनुदान दिया जाय। ✓ नियमित दवाइयाँ दी जाय। ✓ पशु कैम्प नियमित आयोजित होने चाहिए।
4	टिहरी	✓ प्रचार-प्रसार बढ़ाने हेतु धनराशि की व्यवस्था। ✓ मानव संसाधन की उपलब्धत सुनिश्चित की जाय। ✓ महिला डेरी का अलग से संरचना बनायी जाय। ✓ मानदेय में बढोत्तरी की जाय।
5	उधमसिंह नगर	✓ —
6	पौड़ी	✓ समितियों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष हो। ✓ समितियों के लिए ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अच्छी गाय पाल सकें। ✓ पशुपालकों को पशुआहार में छूट दी जाय। ✓ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य हो।

स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे

17.2 महिला डेरी योजना को अन्य योजनाओं से जोड़े जाने के बारे में जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार

17.2.1 उपरोक्त संदर्भ में जनपद स्तरीय अधिकारियों का मत तालिका 17.3 में प्रस्तुत है। अधिकतर अधिकारियों का अभिमत है कि योजना गंगा गाय योजना से जुड़ी है जो अच्छी नस्ल के पशु खरीदने में सहायक होगी। कुल मिलाकर उनका आशय योजना को स्वतंत्र रूप से चलने देने का है।

तालिका 17.3 : महिला डेरी योजना को अन्य योजनाओं से जोड़े जाने के बारे में जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार

क्र.	जनपद	जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार
1	हरिद्वार	महिला डेरी योजना गंगा गाय योजना से जुड़ी हुई है तथा महिलायें गंगा गाय योजना के अन्तर्गत अच्छी नस्ल की गाय खरीदने हेतु ऋण, अनुदान तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र है।
2	पिथौरागढ़	महिला डेरी योजना गंगा गाय योजना तथा 12वीं योजना से जुड़ी है। 12वीं योजना के अन्तर्गत जांच उपकरण, कार्यशील पूंजी व सचिव के वेतन हेतु पात्र है। सघन डेरी — दुधारू पशु हेतु ऋण की सुविधा। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि — अतिरिक्त कीमत प्राप्त होना। गंगा गाय योजना — उपरोक्तानुसार लाभ।

तालिका 17.3 : महिला डेरी योजना को अन्य योजनाओं से जोड़े जाने के बारे में जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार

क्र.	जनपद	जनपद स्तरीय अधिकारियों के विचार
3	नैनीताल	गंगा गाय योजना से जुड़ी है।
4	टिहरी	गंगा गाय योजना से जुड़ी है।
5	पौड़ी गढ़वाल	गंगा गाय योजना – उपरोक्तानुसार लाभ।
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 17.2.2 योजनान्तर्गत विशेष लाभ जो अन्य योजनाओं में उपलब्ध नहीं हैं: समिति के पदाधिकारियों से यह पूछने पर कि योजनान्तर्गत ऐसे कौन से लाभ हैं जो अन्य योजना में नहीं मिलते। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने प्रायः उन लाभों का हवाला दिया जो अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी मिलती हैं। कुछ गिनी-चुनी समितियों में योजना के विशेष लाभ जैसे महिलाओं हेतु निशुल्क प्रशिक्षण, समय से बीज मिल जाना तथा गंगा गाय योजना का उल्लेख किया।

17.3 योजना की सफलता के बारे में समितियों के विचार

- 17.3.1 सफल होने की पुष्टि करने वाली समितियाँ: जैसा कि तालिका 17.4.1 से दर्शित है, लगभग 71 प्रतिशत दुग्ध समितियों ने योजना को पूर्णतः सफल, 25 प्रतिशत ने आंशिक सफल तथा मात्र 1 समिति ने योजना को असफल बताया।

तालिका 17.4.1: योजना की सफलता के बारे में समितियों की पुष्टि		
विवरण	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतः सफल	17	70.8%
आंशिक रूप से सफल	6	25.0%
असफल	1	4.2%
कुल समितियाँ	24	100%

- 17.3.2 महिलाओं के जीवन में आर्थिक योगदान: लगभग 59 प्रतिशत समितियों के विचार से योजना महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सफल रही है। करीब एक-तिहाई से थोड़ा अधिक (35%) के विचार में योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है (तालिका 17.4.2।

तालिका 17.4.2: योजना का महिलाओं के जीवन में आर्थिक योगदान (N=17)

योगदान	संख्या	प्रतिशत
महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सहायक	10	58.8%
महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार	6	35.3%
पशुआहार अनुदान मिलता है	1	5.9%
योग	17	100.0%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 17.3.3 महिलाओं के जीवन में सामाजिक योगदान: सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के जीवन में महिला डेरी योजना के योगदान के सम्बन्ध में लगभग 47 प्रतिशत समितियों का यह

मानना है कि यह योजना महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रही है। लगभग 53 प्रतिशत समितियों का यह मानना है कि योजना के फलस्वरूप महिलायें जागरूक हुई हैं तथा पैसे का लेन-देन करने में सक्षम हो गयी है। मात्र 18 प्रतिशत समझते हैं कि महिलाओं के सामाजिक विकास में योजना का कोई योगदान नहीं रहा है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत प्रति समिति औसतन 32 महिलायें योजना से जुड़ी हैं तथा समितियों के आच्छादन क्षेत्र में प्रति समिति औसतन 16 उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं की वृद्धि हुई है (तालिका 17.5)।

तालिका 17.5: योजना का महिलाओं के जीवन में सामाजिक योगदान (N=20) (बहुउत्तरीय)

योगदान	संख्या	प्रतिशत
सामाजिक रूप से जीने का मार्गदर्शक है	8	47.1%
कुछ योगदान नहीं रहा है	3	17.6%
समाज में पैसों का लेन-देन करने में सक्षम हो गयी हैं/ महिलायें जागरूक हुई हैं	9	52.9%
योग	20	117.6%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 17.3.4 **महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि:** लगभग 58 प्रतिशत समितियों के विचार से महिला डेरी में शामिल होने के बाद महिलायें घरेलू मामलों में स्वयं निर्णय ले लेती हैं, जैसे महिला डेरी सम्बन्धित मामले, घर के निजी खर्च, अपने निजी मामले तथा खर्चों को नियमित करने में। इसी प्रकार 79 प्रतिशत समितियों के विचार में महिलायें अपनी कठिनाईयों का निराकरण हमेशा अथवा साधारणतया करने में सक्षम हो गयी हैं।
- 17.3.5 **बिचौलियों से बचाव:** इस सम्बन्ध में समितियों से स्पष्टीकरण लेने के बाद यह परिलक्षित हुआ कि दुग्ध उत्पादक योजनान्तर्गत मिलने वाले लाभों के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्य समिति को ही दुग्ध विक्रय करते हैं तथा कुछ ही दुग्ध उत्पादक अपनी सुविधानुसार अन्यत्र भी दुग्ध विक्रय करते हैं तथा बिचौलियों द्वारा उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं होता।
- 17.3.6 **आंशिक रूप से सफल अथवा असफल होने के पीछे कारण:** कुछ समितियां जिन्होंने योजना के आंशिक रूप से सफल अथवा असफल होने की बात कही उन्होंने इसके पीछे मुख्यतया दुग्ध मूल्य बहुत कम होना, समिति में अच्छे चारे की व्यवस्था न होना या चारा काटने की मशीन न होना एवं प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा न होना बताया।
- 17.3.7 **योजना के संचालन हेतु अन्य विकल्प:** योजना के सम्बन्ध में अन्य विकल्पों के परिपेक्ष्य में कोई भी समिति योजना को बंद करने के पक्ष में नहीं पायी गयी, तथापि उनका सुझाव था कि योजना में जो थोड़ा बहुत कमियां हैं उनको दूर करके तथा प्रचार-प्रसार बढ़ाकर योजना चलती रहनी चाहिए।

17.4 योजना का सफल संचालन हेतु समितियों के विचार

- 17.4.1 योजना के सफल संचालन हेतु समितियों ने अनेकानेक सुझाव दिये गये। जो सुझाव बाहुल्य में प्रस्तावित किये गये उनमें रेट में वृद्धि (37.5%), प्रचार-प्रसार में वृद्धि (25.0%), पशु आहार की उपलब्धता (12.5%) एवं सरकार द्वारा लागू की गयी सुविधाओं का लाभ समितियों तक पहुँचाना (20.8%) हैं (तालिका 17.6)।

तालिका 17.6: योजना के सफल संचालन हेतु समितियों के विचार (बहुउत्तरीय)

विवरण	संख्या	प्रतिशत
रेट अधिक मिलना चाहिए	9	37.5%
पशु आहार मिलना चाहिए	3	12.5%
समिति के संचालन हेतु जो भी सुविधायें सरकार द्वारा लागू की गयी हैं उनका लाभ समिति को मिलना चाहिए	5	20.8%
मिल्क कूलर व दुग्ध कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए	1	4.2%
महिला डेरी के सफल संचालन हेतु प्रचार-प्रसार अधिक किया जाय	6	25.0%
समिति के संचालन हेतु कक्ष एवं वेतन, टी.ए./डी.ए. की व्यवस्था हो	1	4.2%
समितियों पर भूसा गोदाम की व्यवस्था की जाय	1	4.2%
महिलाओं प्रशिक्षण समय-समय पर मिलना चाहिए	1	4.2%
योग	27	112.5%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

17.5 योजना की प्रभाविकता के बारे में लाभार्थियों के विचार

- 17.5.1 अध्ययन के अन्तर्गत लाभार्थियों से महिला डेरी योजना की सफलता के बारे में उनके विचार पूछने पर अधिकतर (59.17%) ने योजना का पूर्णतः सफल बताया। साथ ही (33.75%) ने योजना को आंशिक रूप से सफल बताया। मात्र 7.8% लाभार्थियों ने योजना असफल बताया (तालिका 17.7)।

तालिका 17.7: महिला डेरी योजना की सफलता के बारे में लाभार्थियों के विचार

विवरण	संख्या (N)	प्रतिशत
पूर्णतः सफल	142	59.17%
आंशिक सफल	81	33.75%
असफल	17	7.08%
योग	240	100.00%
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे		

- 17.5.2 जिन लाभार्थियों ने योजना का सफल बताया उन्होंने योजना का उनके जीवन में निम्नवत् योगदान बताया –

- **आर्थिक योगदान:** व्यवसाय से जुड़ने का अवसर मिला, आत्मनिर्भरता बढ़ी, रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला, प्रशिक्षण से नई जानकारियां मिली एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
- **सामाजिक योगदान:** महिलाओं को समाज में आगे आने का अवसर मिला; उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ; वे अब पैसे का लेन-देन एवं स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हुई हैं तथा सामाजिक मंचों पर उनकी भागीदारी बढ़ी है।

17.6 महिला डेरी के स्थायित्व एवं सफल संचालन हेतु लाभार्थियों के सुझाव

17.6.1 महिला डेरी योजना के संदर्भ में लाभार्थियों द्वारा अनेक सुझाव दिये गये, जिनमें से मुख्य सुझाव निम्न हैं—

- ✓ दुग्ध मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लाभ हो (39.8%)
- ✓ योजना के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाय (13.6%)
- ✓ महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहित किया जाय (10.6%)
- ✓ प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाय (15.3%)
- ✓ ऋण की सुविधा आसान की जाय तथा ब्याज दर कम की जाय (5.1%)
- ✓ अधिक दुग्ध विक्रय करने वाले को अधिक लाभ मिलना चाहिए (4%)

17.6.2 जनपद स्तरीय अधिकारियों, समितियों तथा लाभार्थियों द्वारा योजना की सफलता के बारे में दिये गये अभिमत के आधार पर एवं अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर महिला डेरी योजना सफल रही है तथा इसमें गंगा गाय महिला डेरी योजना के जुड़ने से इसकी सफलताकी सम्भावनायें और अच्छी हो गयी हैं। योजना से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में अच्छा योगदान मिला है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सुझावों के आधार पर योजना के सफल संचालन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं—

- योजना का विस्तार कर इसकी पहुँच उन क्षेत्रों तक बनायी जाय जहाँ वर्तमान में योजना नहीं चल रही है।
- समिति गठन का लक्ष्य बढ़ाया जाय तथा उन्हें गंगा गाय महिला डेरी योजना से परिचित कराकर योजना से जुड़ने हेतु प्रेरित किया जाय।
- योजना की पूर्ण जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाय तथा इस मद में धनराशि बढ़ायी जाय।
- दुग्ध उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश की भांति हर जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली महिला को वार्षिक रूप से नकद पुरस्कार दिया जाय।
- समितियों पर भूसा गोदाम की व्यवस्था का पुनरावलोकन कर समुचित कदम उठाये जायें।
- प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाय।
- महिला डेरी की संगठन संरचना तैयार कर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, आदि के बारे में सुविचारित निर्णय लिया जाय।

अध्याय – 18

प्रमुख निष्कर्ष

18.1 महिला डेरी का चयन/सृजन की आवश्यकता एवं औचित्य

- 18.1.1 पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ घाटियों को छोड़कर प्रायः सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, परिणामतः वर्षा आधारित फसलें ही हो पाती हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन, कृषि एवं वनीकरण पर ही निर्भर है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में उद्योगों का भी अभाव है। दूसरी ओर उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि, वनीकरण, ईंधन, पानी एवं चारा आदि समस्त कार्य महिलायें ही करती हैं। परन्तु महिलाओं में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न स्तर के होने; महिलाओं एवं लड़कियों के ऊपर कार्य का अधिक दबाव का होने; प्रचलित मान्यताओं, रीति-रिवाजों के कारण महिलाओं द्वारा प्रायः गांवों से बाहर न जा सकने, आदि कारणों से पर्वतीय क्षेत्र की महिलायें प्रवेश एवं क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही थी तथा उनमें आत्म विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था। साथ ही विभिन्न जातियों/संवर्ग की महिलाओं का आपस में महिला गुप में जुड़ाव भी नहीं हो पा रहा था।
- 18.1.2 उत्तराखण्ड की महिलाओं को उपरोक्त स्थिति से उबारने के लिए, उनकी आय में वृद्धि संसाधन, सामाजिक/आर्थिक उत्थान, सम्पत्ति अर्जन (क्रियेशन) आत्म-शक्ति, नेतृत्व विकास, स्वालम्बी बनाने, स्वच्छता, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, शोषण से बचाने, आय के स्रोत बढ़ाने आदि कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित करके उनके उत्थान हेतु वर्ष 1994-95 से महिला डेरी योजना के माध्यम से एक मंच (फोरम) तैयार किया गया ताकि महिलाओं का आर्थिक उत्थान हो सके तथा वे आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
- 18.1.3 वर्तमान में योजनान्तर्गत राज्य में कुल 1183 महिला सहकारी समितियों का गठन हो चुका है, जिनके माध्यम से 42383 महिलायें योजना से जुड़ चुकी हैं। योजना में 40 से 70 वर्ष की महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक (62 प्रतिशत) है; आर्थिक स्थिति के अनुसार योजना से आधी से अधिक (51 प्रतिशत) महिलायें बी.पी.एल. एवं अन्तयोदय श्रेणी की महिलायें जुड़ी हैं तथा योजना से जुड़ी 58 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो अल्प शिक्षित हैं। साथ ही योजना से जुड़ी 28 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति से हैं।

18.1.4 उपरोक्त से स्पष्ट है कि योजना में 51 प्रतिशत बी.पी.एल. एवं अंत्योदय श्रेणी की महिलाओं की भागीदारी है। 58 प्रतिशत महिलायें अल्प शिक्षित हैं व 28 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति से हैं। अतः महिलाओं के उत्थान/सर्वांगीण विकास/स्वात्मन के लिए योजना औचित्यपूर्ण प्रतीत होती है।

18.2 कर्मचारी, दुग्ध उत्पादकों व दुग्ध समिति के सचिवों को प्रदत्त प्रशिक्षण की व्यवस्था

18.2.1 राज्य में समितियों के पदाधिकारियों, मंचारियों एवं दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो प्रशिक्षण केन्द्र, एक अल्मोड़ा में तथा दूसरा देहरादून में स्थापित किये गये हैं। साथ ही आवश्यकतानुसार फील्ड में भी प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। फील्ड में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जनपदों में वरिष्ठ महिला प्रशिक्षिका, वरिष्ठ प्रशिक्षक, महिला प्रशिक्षिका नियुक्त करने का प्राविधान है। अध्ययन के अन्तर्गत यह पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़ एवं टिहरी में क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई तैनाती नहीं की गयी है। जनपद उधमसिंह नगर में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्टॉफ पर्याप्त बताया गया है जबकि जबकि जनपद नैनीताल में दो और कर्मचारी नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही जनपद हरिद्वार में भी महिला प्रसार कार्यकर्ता अपर्याप्त बताये गये।

18.2.2 जहाँ तक कर्मचारियों, दुग्ध उत्पादकों व दुग्ध समिति के पदाधिकारियों को प्रदत्त प्रशिक्षण का प्रश्न है, इन प्रशिक्षणों में सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, समिति अध्यक्ष प्रशिक्षण, पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण, स्टॉफ प्रशिक्षण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम, आदि सम्मिलित हैं। न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कुल 860 लाभार्थियों को, जिनमें स्टॉफ भी सम्मिलित है, योजनान्तर्गत प्रशिक्षित किया गया तथा 46 गोष्ठियां/सेमीनार आयोजित किये गये। इनका विस्तृत विवरण अध्याय-7 में तालिका 7.1 तथा 7.3 में दिया गया है।

18.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त महिला डेरी योजना के अन्तर्गत वाह्य प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें अनुशिक्षण कार्यक्रम, ई-गवर्नेन्स, जैण्डर मुद्दे, प्रस्तुतिकरण एवं सम्प्रेषण कौशल, स्टॉफ प्रशिक्षण, बिजनेस एप्रीशियेशन प्रोग्राम, बिजनेस एप्रीशियेशन प्रोग्राम, आदि सम्मिलित हैं, इनका पूर्ण विवरण अध्याय-7 में तालिका 7.4 में दर्शाया गया है।

18.2.4 विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत प्रदत्त प्रशिक्षण के बारे में दुग्ध समितियों की पुष्टि के अनुसार संदर्भित अवधि में महिला एवं सचिव टेस्टर प्रशिक्षण, ए.आई. कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण क्रमशः 5%, 4% एवं 7% लाभार्थियों को प्रति समिति प्रति वर्ष प्रदत्त किये गये। संदर्भित अवधि में इन्हीं प्रशिक्षणों का आधिक्य रहा हालांकि कुछ समितियों ने प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह

प्रशिक्षण आदि मिलने की भी पुष्टि की। विस्तृत विवरण तालिका 7.6 में दिया गया। जहाँ तक लाभार्थियों का प्रश्न है लगभग 65 प्रतिशत ने पशुपालन एवं चारा विकास पर प्रशिक्षण मिलने की पुष्टि की।

- 18.2.5 कुल मिलाकर अधिकतर लाभार्थियों को महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण (11.54%) तथा पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण (64.42%) मिला तथा अधिकतर ने यही दो प्रशिक्षणों (महिला सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण (17.31%) तथा पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण (62.50%)) अधिक लाभदायी होने की पुष्टि की। ये दोनों ही प्रशिक्षण महिला डेरी योजना के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
- 18.2.6 मात्र 13 प्रतिशत लाभार्थियों ने विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई। इनमें से 53 प्रतिशत ने सचिव/टेस्टर प्रशिक्षण पर जोर दिया; 28 प्रतिशत ने प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण; 9 प्रतिशत ने ए.ई. वर्कर/पशु चिकित्सा पर फर्स्ट ऐड प्रशिक्षण तथा लगभग 9 प्रतिशत ने लाईव स्टॉक ब्रीडिंग/चारा विकास पर प्रशिक्षण दिये जाने की इच्छा जताई।
- 18.2.7 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपदों में फील्ड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था का पुनर्वावलोकन करने की आवश्यकता है तथा लाभार्थियों के अभिमत में महिला सचिव टेस्टर प्रशिक्षण तथा पशुपालन एवं चारा विकास प्रशिक्षण अधिक लाभदायी होने के कारण इन प्रशिक्षणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

18.3 उपलब्ध संयंत्र एवं उपकरण

- 18.3.1 महिला डेरी के लाभार्थियों से उपार्जित दुग्ध के परिवहन, अवशीतन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आदि हेतु कोई अलग से व्यवस्था नहीं है तथा इन प्रयोजनों हेतु समितियों से उपार्जित दुग्ध के लिए दुग्ध संघ के अन्तर्गत उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की उपयोगिता का स्तर निम्नवत् बताया गया—
- जनपद हरिद्वार: जनपद में दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण प्लांट का उपयोग तथा स्टोरेज (मिल्क रूम) का उपयोग स्थापित क्षमता से कम हो रहा है।
 - जनपद टिहरी: जनपद में भी दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण प्लांट का उपयोग तथा स्टोरेज (मिल्क रूम) का उपयोग स्थापित क्षमता से कम हो रहा है।
 - जनपद नैनीताल: जनपद में स्थापित समस्त संयंत्र एवं उपकरणों का उपयोग पूर्णतः हो रहा है।
 - जनपद पिथौरागढ़: जनपद के प्रभारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार समस्त संयंत्र एवं उपकरणों का पूर्णतः उपयोग हो रहा है। यहां तक कि दुग्ध प्लांट पाश्चुराईजेशन एवं चिलिंग प्लांट का उपयोग स्थापित क्षमता से अधिक किया जा रहा है।

- **जनपद पौड़ी:** जनपद में प्राप्त सूचना के आधार पर पाश्चुराईजेशन सुविधा तथा मिल्क पैकिंग सुविधा का उपयोग दुग्ध उपार्जन कम होने के कारण स्थापित क्षमता से कम हो रहा है। साथ ही फीड की उपलब्धता कम बतायी गयी और यह बताया गया कि इसका सीधे ही निस्तारण हो जाता है।
- **जनपद उधमसिंह नगर:** जनपद में प्लांट एवं मशीनरी का उपयोग स्थापित क्षमता के सापेक्ष कम हो रहा है एवं मिल्क पैकिंग सुविधा अपूर्ण बतायी गयी तथा बाजार में मांग कमी होने के कारण स्थापित क्षमता से इसका कम उपयोग हो रहा है।

18.3.2 जहाँ तक महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्धशाला स्तर पर स्थापित अवस्थापनाओं का प्रश्न है न्यादर्श जनपदों में जनपद हरिद्वार को छोड़कर अन्य सभी प्रभारियों ने महिला डेरी के प्रयोजन हेतु विभिन्न स्थापित अवस्थापना सुविधाओं जैसे दुग्धशाला भवन, प्रशासनिक भवन भूसा गोदाम एवं संयंत्र तथा उपकरण, जैसे दुग्ध जांच यंत्र/ इलैक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर, दुग्ध उत्पादन किट, पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवायें, मिल्क कैन एवं बल्क मिल्क कूलर उपलब्ध होने तथा उनका पूर्णतः उपयोगी होने की पुष्टि की। हरिद्वार जनपद में दुग्धशाला भवन, भूसा गोदाम, तथा बल्क मिल्क कूलर, अनावश्यक बताये गये तथा अन्य सभी सुविधायें आवश्यक एवं पूर्णतः उपयोगी बताये गये। ये सुविधायें दुग्ध संघ के तत्वाधान में उपलब्ध बतायी गयी, जिनका उपयोग महिला डेरी के लाभार्थियों हेतु भी किया जाता है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय —5 के प्रस्तर 5.2 के अन्तर्गत दिया गया है।

18.3.3 **भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता एवं पर्याप्तता :** जहाँ तक दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित भूसा गोदाम, मिल्क रूम एवं दुग्ध विकास केन्द्र हेतु स्थापित व्यवस्था, इनकी आवश्यकता तथा वर्तमान में उपयोग की स्थिति का प्रश्न है, जनपद स्तरीय अधिकारियों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर जनपद टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी एवं उधमसिंह नगर में ये सुविधायें समिति स्तर पर स्थापित हैं तथा पूर्णतः आवश्यक और वर्तमान में उपयोग में लायी जा रही हैं। हरिद्वार जनपद में दुग्धशाला भवन, भूसा गोदाम अनावश्यक बताये गये हैं। कुल मिलाकर जनपद स्तरीय अधिकारियों की पुष्टि के आधार पर दुग्ध समिति स्तर पर मूलभूत सुविधायें जैसे भूसा गोदाम, मिल्क रूम एवं दुग्ध विकास केन्द्र सभी जनपदों में दुग्ध समिति स्तर पर स्थापित हैं जिनका संचालन दुग्ध संघ के अन्तर्गत किया जाता है।

18.3.4 न्यादर्श के अन्तर्गत आच्छादित समितियों की पुष्टि के आधार पर मूलभूत अवस्थापना सुविधायें जैसे लैक्टोमीटर 96%, दुग्ध कैन 79%, यातायात कैन 88%, दुग्ध जांच संयंत्र 79%, विडारोमीटर 71%, तथा फिलाइल/एल्होहॉल/तेजाब 83% समितियों के पास उपलब्ध होने की पुष्टि की गयी। परन्तु मूलभूत सुविधाओं में पशुआहार, भूसा एवं चारा गोदाम की उपलब्धता की पुष्टि 33.3% समितियों ने एवं दुग्ध कक्ष की उपलब्धता की पुष्टि 46% समितियों ने ही की (अध्याय—5, तालिका 5.6 तथा **परिशिष्ट—12**)। जिन समितियों ने पशुआहार, भूसा एवं चारा गोदाम उपलब्ध न होने की बात कही उनमें से

69 प्रतिशत ने यह बताया कि उन्हें गोदाम की आवश्यकता नहीं है। अतः गुणावगुण के आधार पर समिति स्तर पर इन दोनों सुविधाओं के प्रदायन हेतु वस्तु स्थिति का मूल्यांकन किया जाय और तदनुसार कार्यवाही की जाय।

- 18.3.5 **चारा बैंक का उपयोग:** चारा बैंक के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अध्याय-9 में प्रस्तर-9.3 के अन्तर्गत दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुल एक-तिहाई (33.3%) दुग्ध समितियों ने यह पुष्टि की कि लाभार्थियों द्वारा चारा बैंक से चारा क्रय किया जाता है। वहीं दूसरी ओर 27.5 प्रतिशत लाभार्थियों ने यह पुष्टि की पशुपालक ब्लॉक में स्थापित चारा बैंक से चारा खरीदते हैं। जिन लाभार्थियों ने चारा बैंक से चारा खरीदने की पुष्टि की उनमें से 80 प्रतिशत ने चारे की गुणवत्ता अच्छी तथा 18 प्रतिशत ने संतोषप्रद बतायी तथा उनमें से लगभग 97 प्रतिशत ने चारे का मूल्य बाजार मूल्य की तुलना में कम होना बताया। इन सभी ने चारा बैंक उनके निवास से नजदीक होने की पुष्टि की।
- 18.3.6 चारा बैंक के उपयोग के सम्बन्ध में उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बहुत कम (27.5%) लाभार्थियों द्वारा चारा बैंक से चारा क्रय किया जा रहा है। जो लाभार्थी चारा बैंक से चारा नहीं खरीद रहे हैं उन्होंने इसके पीछे मुख्यतया चारा बैंक का दूर होना, चारे की उपलब्धता अच्छी न होना तथा घर पर ही चारा उगाना मुख्य कारण के रूप में बताया।
- 18.3.7 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद हरिद्वार, टिहरी, उधमसिंह नगर एवं पौड़ी में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उपयोग क्षमता से कम हो रहा है। बहुत कम समितियों में पशुआहार, भूसा एवं चारा गोदाम उपलब्ध पाये गये हैं तथा पशुपालकों को चारा बैंकों की ओर आकर्षित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है। अतः इन बिन्दुओं पर गुण-अवगुण के आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

18.4 पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता

- 18.4.1 जनपद स्तरीय अधिकारियों के अनुसार जनपद टिहरी को छोड़कर अन्य सभी न्यादर्श जनपदों में पशु चिकित्सा सेवायें नियमित रूप से उपलब्ध हो जाती हैं तथा जनपद टिहरी में उक्त सेवा ए.आई. के माध्यम से मिलती है।
- 18.4.2 जहाँ तक पशु चिकित्सा सेवा के सम्बन्ध में समितियों एवं लाभार्थियों का प्रश्न है, 88 प्रतिशत समितियों ने पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की, जिनमें से अधिकतर ने दवाइयां (95%), डिवार्मिंग (67%) तथा पशु टीकाकरण (76%) की सविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की। दूसरी ओर लगभग तीन चौथाई (74%) लाभार्थियों ने समिति के माध्यम से पशु चिकित्सा उपलब्ध होने एवं मुख्य सेवायें जैसे दवाइयां (98%), टीकाकरण (75%), डिवार्मिंग (67%), आदि की उपलब्धता की पुष्टि।

- 18.4.3 जहाँ तक दवाइयों की उपलब्धता का प्रश्न है 25 प्रतिशत लाभार्थियों ने सभी दवाइयां उपलब्ध होने की पुष्टि की तथा 65 प्रतिशत ने यह बताया कि उन्हें बाहर से भी कुछ दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। मात्र 17 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सारी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। जिन लाभार्थियों ने बाहर से दवा खरीदने की पुष्टि की उनमें से लगभग 30 प्रतिशत ने यह बताया कि बाहर से खरीदी गयी दवाओं की व्यय प्रति पूर्ति की जाती है।
- 18.4.4 **पशु चिकित्सक की नियमित उपलब्धता:** इस सम्बन्ध में 37.5% समितियों ने तथा 50.4% लाभार्थियों ने पशु चिकित्सक नियमित रूप से उपलब्ध होने की पुष्टि की। जहाँ तक पशु चिकित्सक के स्रोत का प्रश्न है, 45.8% समितियों ने सरकारी अस्पताल तथा 45.8% समितियों ने योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध अस्पताल से पशु चिकित्सक मिलने की पुष्टि की। दूसरी ओर 36.7% लाभार्थियों ने सरकारी पशु चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सक, 13.8% ने निजी पशु चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सक तथा 29.6% ने योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध होने की पुष्टि की। जनपद स्तरीय अधिकारियों के अनुसार पशु चिकित्सा सेवाओं हेतु दुग्ध संघ के चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं।
- 18.4.5 **पशु चिकित्सा कैम्पों का आयोजन:** पशुपालन विभाग द्वारा न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2014-15 के मध्य 4679 अधिक कैम्पों का आयोजन किया गया, जिनमें से जनपद नैनीताल में सबसे अधिक 2380 कैम्प तथा सबसे कम जनपद पौड़ी में सबसे कम 97 कैम्पों का आयोजन किया गया तथा प्रति जनपद औसतन 896 कैम्पों का आयोजन किया गया (तालिका 10.3)। जनपद हरिद्वार में संदर्भित अवधि में कोई कैम्प आयोजित नहीं हुये। *पशु कैम्पों के आयोजन के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि रोटेशन के हिसाब से क्षेत्रवार कैम्पों का आयोजन कर पशुपालकों को जानकारी दी जाय। साथ ही अधिकतर जनपदों में ए.आई. कार्यकर्ता की मांग की गयी है।*
- 18.4.6 अतः प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक ए. आई कार्यकर्ता और पशु-प्रसार कार्यकर्ता को लाइवस्टॉक की संख्या के अनुपात में प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाये ताकि पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध हो सकें।
- 18.4.7 पशु कैम्पों के सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है कि रोटेशन के हिसाब से क्षेत्रवार कैम्पों का आयोजन कर पशुपालकों को जानकारी दी जाय।

18.5 उत्पादित दूध की विपणन व्यवस्था

- 18.5.1 राज्य में महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अलग से कोई विपणन व्यवस्था नहीं है तथा इसकी व्यवस्था दुग्ध संघ द्वारा की जाती है। समितियों से उपार्जित दूध जनपद स्तरीय दुग्धशालाओं को भेजा जाता है जहाँ पर उसका प्रसंस्करण किया जाता है।

- 18.5.2 सभी न्यादर्श जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की व्यवस्था उपलब्ध बतायी गयी (अध्याय-11, तालिका 11.2)। समस्त जनपदों में दुग्ध उत्पादों में मुख्यतया पाश्चुराईज्ड मिल्क, पनीर, दही, घी, मट्ठा, मक्खन, आदि तैयार कर बाजार में बिक्री हेतु उतारा जाता है।
- 18.5.3 **राज्य में एजेन्ट्स के माध्यम से विपणन व्यवस्था:** राज्य में आंचल ब्रांड के समस्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन चयनित एजेन्टों एवं विभागीय मिल्क बूथों के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध उत्पाद दुग्ध संघ द्वारा संचालित किराये के विपणन वाहनों द्वारा समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के एजेन्टों तक पहुंचाये जाते हैं तथा वे अपने-अपने विक्रय केन्द्र से इन उत्पादों का विक्रय करते हैं।
- 18.5.4 **स्थानीय बाजार में निजी दुग्ध व्यवसायियों की भागीदारी:** न्यादर्श जनपदों में हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर में गोपाल जी ब्रांड की उपस्थिति है। जनपद पौड़ी में कोई निजी दुग्ध व्यवसायी उपस्थित नहीं है। अधिकतर न्यादर्श जनपदों में यह बताया गया कि निजी व्यवसायियों की उपस्थिति के कारण दुग्ध उपार्जन में कमी हो रही है।
- 18.5.5 हाल के वर्षों में भारतीय जनसांख्यिकी की प्रकृति में आये परिवर्तन के फलस्वरूप वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग में काफी वृद्धि हुई। वैल्यू ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में लाभदेयता 12-20 प्रतिशत आंकी गयी है तथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सेगमेंट लगभग 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है (अध्याय-1, प्रस्तर 1.1.9)।
- 18.5.6 उपरोक्त से स्पष्ट है कि डेयरी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है। अतः राज्य में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में विविधता लायी जाय तथा आंचल ब्रांड की बिक्री को बढ़ाने हेतु एग्रेसिव ब्रांड बिल्डिंग की जाय।
- 18.5.7 **दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रोत्साहन:** इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया गया तथा यह परिलक्षित हुआ कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा जागृत करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को रु.22,000/- नकद पुरस्कार एवं एक शील्ड तथा शॉल भेंट की जाती है। उत्तराखण्ड में भी गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को क्रमशः जिला स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर दुग्ध उत्पादन पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु योजना सभी दुग्ध उत्पादकों हेतु लागू नहीं है।
- 18.5.8 अतः यह सुझाव दिया जाता है कि गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि विभिन्न डेरी योजनाओं से आच्छादित सभी दुग्ध

उत्पादकों पर समान रूप से लागू की जाय तथा पुरस्कार की धनराशि स्पष्ट रूप से घोषित की जाय एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रचार किये जाय।

18.6 दुग्ध समितियों में उपलब्ध दुधारु पशु स्थानीय/उन्नतिशील की उपलब्धता

18.6.1 अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों के पास उपलब्ध दूध देने वाली प्रजाति के पशुओं की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अध्याय-10 में प्रस्तर 10.10.6 के अन्तर्गत दिया गया है। संक्षेप में अध्ययन क्षेत्र में दूध देने वाली श्रेणी के पशुओं की उपलब्धता निम्नवत् बतायी गयी-

- लाभार्थी जिनके पास केवल देसी गाय हैं (0.83%)
- लाभार्थी जिनके पास कोई गाय नहीं हैं (27.50%)
- लाभार्थी जिनके पास देसी गाय या पडिया हैं (15.83%)
- लाभार्थी जिनके पास केवल उन्नत प्रजाति की गाय हैं (50.00%)
- लाभार्थी जिनके पास संकर प्रजाति की गाय हैं (5.00%)
- लाभार्थी जिनके पास केवल देसी भैंस हैं (4.58%)
- लाभार्थी जिनके पास कोई भैंस नहीं हैं (55.00%)
- लाभार्थी जिनके पास देसी भैंस और पडिया है (17.50%)
- लाभार्थी जिनके पास उन्नत प्रजाति की भैंस हैं (14.17%)
- लाभार्थी जिनके पास संकर प्रजाति की भैंस हैं (7.92%)

18.6.2 उपरोक्त से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उन्नत एवं संकर प्रजाति की गाय पालने वाले लाभार्थियों की संख्या का बाहुल्य 55 प्रतिशत है। उन्नत एवं संकर प्रजाति की भैंस पालने वाले लाभार्थी 22 प्रतिशत हैं। अतः अधिक से अधिक ए.आई. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

18.7 दुग्ध समितियों में गाय-सांड व भैंसा-सांड की आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतततियां

18.7.1 प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा की उपलब्धता एवं उपयोग का विवरण संक्षेप में निम्नवत् है (अध्याय 10, प्रस्तर 10.8 से 10.10.4)-

- जनपद उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल एवं टिहरी के प्रभारियों के अनुसार उनके जनपद में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था पर्याप्त है।

- जनपद हरिद्वार में प्राकृतिक/कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है एवं पौड़ी में उक्त व्यवस्था अपर्याप्त बतायी गयी।

18.7.2 न्यादर्श जनपदों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संततियां: पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार न्यादर्श जनपदों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पन्न उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं का विवरण निम्नवत् बताया गया (तालिका 18.1) –

तालिका 18.1: न्यादर्श जनपदों में विगत पांच वर्षों (2009-10 से 2013-14) में प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं का विवरण

क्र. सं.	जनपद	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति		प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति	
		गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति	गाय प्रजाति	भैंस प्रजाति
1	टिहरी	5735	4143	383	3298
2	पिथौरागढ़	2649	6425	29331	4218
3	हरिद्वार	जनपद में पशु नस्ल सुधार हेतु व्यवस्था नहीं है।			
4	उधमसिंह नगर	125228	50716	0	0
5	नैनीताल	48276	21082	1676	4762
6	पौड़ी	12925	5439	295	180
कुल योग		194813	87805	31685	12458
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे					

18.7.3 उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य न्यादर्श जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गाय प्रजाति की 1,94,813 एवं भैंस प्रजाति की 87,805 संततियों उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से गाय प्रजाति की 31,685 एवं भैंस प्रजाति 12,485 संततियां उत्पन्न हुई, जिसमें जनपद उधमसिंह नगर एवं नैनीताल का हिस्सा सर्वाधिक है। उपरोक्त संख्या में न्यादर्श जनपदों के सभी दुग्ध उत्पादक सम्मिलित हैं न कि केवल महिला डेरी के सदस्य।

18.7.4 दुग्ध समितियों की पुष्टि के आधार पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा की उपलब्धता: उपरोक्त संदर्भ में 48 प्रतिशत समितियों ने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा तथा 83 प्रतिशत समितियों ने कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध होने की पुष्टि की। लगभग 71 प्रतिशत समितियों ने इस सुविधा का लाभ अधिकतर दुग्ध उत्पादकों द्वारा उठाये जाने तथा 18 प्रतिशत ने कुछ ही सदस्यों द्वारा इसका लाभ उठाने की पुष्टि की।

18.7.5 लाभार्थियों की पुष्टि के आधार पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवा की उपलब्धता: लाभार्थियों ने अपने गांव अथवा दुग्ध मार्ग के अन्तर्गत प्राकृतिक एवं

कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की उपलब्धता तथा उनके उपयोग के बारे निम्नवत् बताया (तालिका 18.2)–

तालिका 18.2 : प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं का उपयोग (संख्या 240)–

जिन्होंने सेवा उपलब्ध होने की पुष्टि की		पुष्टिकर्ताओं में से जिन्होंने लाभ लिया		उन्नत प्रजाति के जन्में पशु		औसत शुल्क प्रति गर्भाधान (रु. में)	
संख्या	%	संख्या	%	गाय	भैंस	गाय	भैंस
प्राकृतिक गर्भाधान							
109	45.40%	57	52.29%	69	62	Rs.495.12	Rs 567.15
कृत्रिम गर्भाधान							
189	78.80%	144	76.19%	659	64	Rs 300.43	Rs.452.90
स्रोत : ए.एम.एस. सर्वे							

18.7.6 उपरोक्तानुसार 45 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा तथा 79 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध होना बताया। जहाँ तक इन सेवाओं के उपयोग का प्रश्न है जिन लाभार्थियों ने ये सेवायें उपलब्ध होना बताया उनमें से 52 प्रतिशत ने प्राकृतिक गर्भाधान सेवा तथा 76 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृत्रिम गर्भाधान सेवा का लाभ लेने की पुष्टि की।

18.7.7 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि देशी प्रजाति की तुलना में उन्नत/संकर प्रजाति के दुधारु पशुओं की संख्या अधिक है। अतः प्राकृतिक गर्भाधान के सापेक्ष कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संततियों की संख्या, विशेष रूप से गाय प्रजाति की, काफी अधिक है।

18.7.8 पशुनस्ल सुधार हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों के सुझाव: उपरोक्त संदर्भ में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं इस हेतु लाभार्थियों में रुझान बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव दिये गये–

- टिहरी : अच्छी नस्ल के सांड उपलब्ध कराये जायें।
- पिथौरागढ़ : गहन प्रचार–प्रसार हेतु कैम्पों का उपयोग किया जाय।
- हरिद्वार: बजट उपलब्ध न होने के कारण जनपद में पशुओं हेतु प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
- उधमसिंह नगर: ए.आई. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाय।
- नैनीताल: दुग्ध उत्पादकों में प्रचार–प्रसार बढ़ाया जाय।
- पौड़ी: ए.आई. कार्यकर्ताओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

18.8 परियोजनान्तर्गत कर्मचारियों की पर्याप्तता/अधिकता

18.8.1 वर्तमान में न्यादर्श जनपदों में कर्मचारियों की उपलब्धता: महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 125 कर्मचारी नियुक्त हैं जो सभी संविदा के आधार पर

कार्यरत हैं। योजनान्तर्गत नियोजित कार्मिकों की स्थिति का विस्तृत विवरण अध्याय-6 में दिया गया है, जिससे न्यादर्श जनपदों में मिली सूचना के आधार पर निम्न तथ्य उभर कर आते हैं—

- जनपद हरिद्वार : इस जनपद में प्रशिक्षिकों, महिला प्रसार कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर जनपद में 12 पदों के सापेक्ष 5 संविदाकर्मि नियुक्त हैं तथा 7 (लगभग 58 प्रतिशत) पद रिक्त हैं। जनपद में महिला डेरी के समस्त कार्मिकों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की संस्तुति की गयी है।
- जनपद पिथौरागढ़ : इस जनपद में सहायक प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रशिक्षिका, महिला प्रशिक्षिका जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, जबकि जनपद में दुग्ध उत्पादन तुलनात्मक रूप से अच्छा है तथा महिला डेरी से आच्छादित गांवों की संख्या भी 100 से अधिक है। जनपद में महिला डेरी का अलग से ढांचा बनाये जाने तथा कार्मिकों को स्थायी किये जाने की मांग की गयी।
- जनपद टिहरी : इस जनपद में कथित रूप से कार्य की अधिकता के कारण महिला प्रसार कार्यकर्ताओं की स्थिति अपर्याप्त दर्शायी गयी है तथा यह सुझाव दिया गया है कि महिला डेरी की संरचना को मजबूत किया जाय।
- जनपद पौड़ी : इस जनपद में 5 पद रिक्त बताये गये जिनमें से 3 पद महिला प्रसार कार्यकर्ता के हैं। कार्य की अधिकता के कारण महिला प्रसार कार्यकर्ताओं की स्थिति अपर्याप्त बतायी गयी।
- जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर : इन जनपदों के प्रभारियों के अभिमत में इन जनपदों में पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हैं। प्रसंगवश इन दोनों जनपदों में, आच्छादित गांवों की संख्या, महिला लाभार्थी संख्या, कार्यरत कर्मचारी एवं कुल दुग्ध उत्पादन भी अन्य न्यादर्श जनपदों की तुलना में अधिक है। इन दोनों जनपदों में यह सुझाव दिया गया है कि महिला डेरी का विस्तार किया जाय तथा समितियों का लक्ष्य बढ़ाया जाय।

18.8.2 **ग्रामों एवं लाभार्थियों के सापेक्ष कर्मचारियों का वितरण एवं उसमें भिन्नता**: इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों में समितियों की कुल संख्या एवं महिला लाभार्थियों की कुल संख्या के सापेक्ष उपलब्ध कर्मचारियों का अध्ययन किया गया (अध्याय 6, तालिका 6.1.7), जिससे यह परिलक्षित हुआ कि जहाँ एक ओर सभी न्यादर्श जनपदों को मिलाकर एक कर्मचारी पर औसतन 12 गांव आवंटित हैं, वहीं जनपदवार इस वितरण में बहुत अधिक भिन्नता है। इस संदर्भ में जहाँ एक ओर जनपद पौड़ी में एक कर्मचारी पर औसतन 20 गांव आवंटित हैं वहीं दूसरी ओर उधमसिंह नगर में एक कर्मचारी पर औसतन 8 गांव आवंटित हैं। इसी प्रकार सभी न्यादर्श जनपदों को मिलाकर जहाँ एक ओर एक कर्मचारी पर औसतन 474 लाभार्थी आवंटित हैं, वहीं जनपदवार इस वितरण में भी बहुत अधिक भिन्नता है। इस परिपेक्ष्य में जहाँ जनपद उधमसिंह नगर में एक कर्मचारी के पीछे 334 लाभार्थी हैं वहीं दूसरी ओर जनपद पौड़ी में एक कर्मचारी के पीछे 601 लाभार्थी वितरित हैं।

- 18.8.3 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न जनपदों में आच्छादित गांवों तथा महिलाओं की संख्या को कर्मचारियों के वितरण का आधार बनाया जाय, ताकि योजना का विस्तार हो सके और अधिक से अधिक महिलायें कार्यक्रम से जुड़कर जी.डी.पी. में अपना योगदान दे सकें।
- 18.8.4 महिला डेरी के कर्मचारियों का नियमितीकरण: परियोजना में वर्तमान में सभी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं एवं राज्य स्तर तथा अधिकतर जनपदों का सुझाव है कि महिला डेरी की संगठन संरचना या तो अलग से बनायी जाय अथवा इस योजना के कर्मचारियों को राज्य स्तर के कर्मचारियों के समकक्ष माना जाय। इस विषय में प्रस्तर 6.1.3 में वर्णित तथ्यों के आधार पर परियोजना को मूल ढांचे सहित वर्तमान स्वरूप में नियमितीकरण हेतु विचार करना युक्ति संगत होगा।

18.9 दुग्ध उपार्जन की स्थिति

- 18.9.1 दुग्ध समितियों पर नांमाकित दुग्ध उत्पादकों एवं पोरर सदस्यों की संख्या: वर्ष 2012-13 से 2014-15 स्थिति के आधार पर समितियों में औसतन 28 से 30 सदस्य प्रति समिति नांमाकित हैं तथा इन तीन वर्षों में नामांकित सदस्यों की संख्या वस्तुतः स्थिर रही।
- 18.9.2 प्रति समिति पोरर सदस्यों की संख्या: वर्तमान में प्रति समिति औसतन 19 सदस्य हैं। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान पोरर सदस्यों की संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ तथा यह 19 सदस्यों के ईर्द-गिर्द स्थिर रही।
- 18.9.3 अध्ययन क्षेत्र में महिला डेरी योजना के लाभार्थियों द्वारा दैनिक दुग्ध उत्पादन: अध्ययन से यह परिलक्षित हुआ कि कुल लाभार्थियों में से 89 प्रतिशत लाभार्थी वर्तमान में दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 23.8% लाभार्थियों 3-4 लीटर प्रतिदिन, 22% 5-6 लीटर प्रति दिन, 20% प्रतिदिन 9 लीटर से अधिक, 11% 7-8 लीटर प्रति दिन दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। लाभार्थियों द्वारा औसतन 7.69 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन कर रहे लाभार्थियों में से 88.26 प्रतिशत लाभार्थी वर्तमान में दुग्ध विक्रय करते हैं।
- 18.9.4 समिति के दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा समितियों एवं बाह्य संस्थाओं को दुग्ध विक्रय करने की स्थिति: अध्ययन से यह अवतरित हुआ कि 86.17 प्रतिशत लाभार्थी केवल समिति को, 7.45 प्रतिशत लाभार्थी समिति एवं बाहरी पार्टियों दोनों को तथा 6.38 प्रतिशत केवल बाहरी पार्टियों को दुग्ध विक्रय करते हैं (अध्याय-11 तालिका 11.6.3)।

- 18.9.5 **दुग्ध उत्पादकों द्वारा दैनिक रूप से विक्रीत दुग्ध की मात्रा :** दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा अपनी समिति को औसतन 5.62 लीटर प्रतिदिन तथा वाह्य संस्थाओं एवं समिति दोनों को मिलाकर 4.8 लीटर दुग्ध प्रतिदिन विक्रय किया जा रहा है।
- 18.9.6 **दुग्ध उत्पादकों द्वारा विक्रीत दुग्ध की दरें:** दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा अपनी समिति को औसतन रु. 26/— प्रति लीटर तथा वाह्य संस्थाओं को रु. 30/— प्रति लीटर की दर से दुग्ध विक्रय किया जा रहा है।
- 18.9.7 **दुग्ध उत्पादन में महिला डेरी का योगदान:** अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि राज्य में वर्तमान में यू.सी.डी.एफ. के कुल उत्पादन में महिला डेरी का योगदान 26 प्रतिशत है। वहीं दूसरी ओर जनपदों में समस्त डेरी योजनाओं के सकल दुग्ध उत्पादन में महिला डेरी का योगदान 7 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के बीच है (अध्याय-11 के अन्तर्गत तालिका 11.4)। इन जनपदों में जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में कुल दुग्ध उत्पादन में महिला डेरी का योगदान तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा है जो क्रमशः 41 एवं 35 प्रतिशत है।

18.10 दुग्ध समिति के सदस्यों की सहभागिता

- 18.10.1 अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि —
- आमसभा की बैठकों में अधिकतर सदस्य प्रतिभाग करते हैं, जिसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है। इन बैठकों में वार्षिक लेखे-जोखे प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न गतिविधियों हेतु समिति के सदस्यों के बीच समुचित सांमंजस्य है।
 - लगभग तीन-चौथाई लाभार्थी (73%) समिति की बैठकों में प्रतिभाग करते हैं तथा इनमें से अधिकांश (88%) 2 से 11 बैठकों में प्रतिभाग करते हैं।
 - समितियों में शिकायतों के निवारण हेतु वर्तमान में कोई औपचारिक व्यवस्था स्थापित नहीं है।
 - अधिकतर (82%) लाभार्थियों ने समिति के कार्यों से संतुष्ट पाये गये
- 18.10.2 उपरोक्त से स्पष्ट है कि समितियों के पदाधिकारियों तथा दुग्ध उत्पादक सदस्यों के बीच सहभागिता का स्तर संतोषप्रद है। परन्तु लाभार्थियों की समस्याओं के निवारण हेतु शिकायत निवारण पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता है।
- 18.11 **दुग्ध मार्गों की उपयोगिता एवं प्रभाव**
- 18.11.1 **जनपदों में दुग्ध मार्गों की उपलब्धता :** न्यादर्श जनपदों में कुल मिलाकर 123 दुग्ध मार्ग हैं। ये दुग्ध मार्ग 43 विकासखण्डों में होकर गुजरते हैं तथा महिला समिति के सदस्यों से 70 दुग्ध मार्गों के अन्तर्गत 493 समितियों तथा 19,596 दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन होता है (अध्याय-11, तालिका 11.6)। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यादर्श जनपदों में निम्न तथ्य उभर कर आये —

- **पिथौरागढ़:** जनपद में कनालीछीना ब्लॉक में पिपली मार्ग एवं थल मार्ग, बेरीनाग ब्लॉक में बेरीनाग-थल मार्ग, डीडीहाट ब्लॉक में डीडीहाट-थल मार्ग में तथा मुनस्यारी ब्लॉक में मुनस्यारी थल मार्ग में महिला डेरी के अन्तर्गत कोई समिति गठित नहीं है।
- **पौड़ी:** जनपद में दुग्ड़डा ब्लॉक में पौखाल मार्ग, गुमखाल मार्ग, रथुवाढाब, कोटद्वार-हरिद्वार मार्ग; द्वारीखाल ब्लॉक में पौखाल मार्ग एवं गुमखाल मार्ग; रिखणीखाल ब्लॉक में थनुवाढांग मार्ग; खिर्सू ब्लॉक में रुद्रप्रयाग मार्ग में महिला डेरी के अन्तर्गत कोई समिति गठित नहीं है।
- **नैनीताल :** जनपद में रामगढ़ ब्लॉक के 5 दुग्ध मार्गों में से सिर्फ 2 मार्गों में एक-एक महिला समिति गठित है। साथ ही धारी और बेतालघाट में कोई भी महिला समिति गठित नहीं है। यहाँ तक कि ओखलकांडा ब्लॉक में 6 दुग्ध मार्गों में से मात्र हेडाखान दुग्ध मार्ग में 2 समितियां गठित हैं। ये चारों ब्लॉक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित दुग्ध मार्गों में और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- **टिहरी :** जनपद में देवप्रयाग एवं थौलधार ब्लॉकों में कोई महिला समिति गठित नहीं है। चम्बा ब्लॉक में भी 6 दुग्ध मार्गों में से सिर्फ 2 मार्गों में महिला समितियां गठित है।

18.11.2 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के जिन विकासखण्डों के विभिन्न दुग्ध मार्गों पर महिला समितियां गठित नहीं हैं, उनमें महिला समितियों के गठन पर जोर दिया जाय ताकि अधिक से अधिक महिलायें महिला डेरी योजना से जुड़ सकें।

18.11.3 **न्यादर्श जनपदों में अलाभकारी दुग्धमार्ग:** न्यादर्श जनपदों के प्रभारियों के अनुसार जनपद हरिद्वार में कोई भी दुग्ध मार्ग अलाभकारी नहीं हैं; जनपद नैनीताल में 37 में से मात्र 1 दुग्ध मार्ग (पाटकोट), उधमसिंह नगर में 18 दुग्ध मार्गों में से मात्र 1 (जसपुर-1), पिथौरागढ़ में 20 दुग्ध मार्गों में से 5 (जाखमार्ग, शिलिंग, बडाबे, अडकिनी तथा झूलाघाट) दुग्ध मार्ग, पौड़ी में 17 दुग्ध मार्गों में से 4 (खंडास-खिर्सू, डांग-खिरकोटी, टिहरी-जखंड एवं देहलचौरी मार्ग) दुग्ध मार्ग अलाभकारी हैं।

18.11.4 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अलाभकारी दुग्ध मार्गों की संख्या काफी अधिक है, अतः पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध मार्गों को लाभकारी बनाने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

18.12 उद्देश्यों के सापेक्ष योजना की उपयोगिता

18.12.1 योजना के मुख्य उद्देश्य: महिला डेरी योजना के मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की समितियों का गठन करना, दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना, ग्राम

स्तर पर महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, दुग्ध सहकारी समितियों को अवस्थापना विकास एवं तकनीकी निवेश की सुविधायें प्रदान करना है।

- 18.12.2 **समितियों के गठन में योजना की उपादेयता:** जहाँ तक दुग्ध उत्पादकों की समितियों का गठन का प्रश्न है महिला डेरी योजना के अन्तर्गत 1183 समितियों का गठन किया गया है जिनके साथ 42,383 महिलायें जुड़ी हुई हैं। अकेले न्यादर्श जनपदों में योजनान्तर्गत 497 महिला समितियां गठित हैं जिनसे कुल 19596 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। यदि इसे महिला डेरी एवं दुग्ध संघ के अन्तर्गत गठित कुल दुग्ध समितियों के सापेक्ष देखा जाय तो इसमें महिला डेरी का हिस्सा 24 प्रतिशत आता है। अतः यह स्पष्ट है कि योजना ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन में सफल रही है, तथापि इसके विस्तार करने की अपार सम्भावनाये हैं।
- 18.12.3 **पशुपालकों को उचित मूल्य दिये जाने में योजना की उपादेयता:** जहाँ तक दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने का प्रश्न है महिला डेरी के 86.17 प्रतिशत सदस्य केवल महिला डेरी को ही दूध बेचते हैं तथा 7.45 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो महिला डेरी एवं निजी व्यवसायियों को दूध बेचते हैं। इस प्रकार 95 प्रतिशत लाभार्थी दुग्ध संघों को दूध बेचते हैं। अध्ययन से यह परिलक्षित हुआ कि लाभार्थियों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो लगभग रु. 4/- प्रति लीटर है भी मिलता है। साथ ही बिचौलियों की उपस्थिति लगभग नगण्य है तथा जो दुग्ध उत्पादक समिति के अलावा अन्यत्र दूध बेच रहे हैं वे अधिकतर स्वेच्छा से बेच रहे हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि महिला डेरी के अन्तर्गत लाभार्थियों को दूध का उचित मूल्य मिलता है।
- 18.12.4 **महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में योजना की उपादेयता:** जहाँ तक ग्राम स्तर पर महिला समूहों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रश्न है महिला डेरी योजना के अन्तर्गत अकेले ही पूरे राज्य में 1183 महिला समितियां हैं तथा न्यादर्श जनपदों में 497 महिला समितियां हैं। महिला समिति के सदस्यों द्वारा समिति को दैनिक रूप से औसतन 5.62 लीटर प्रतिदिन दुग्ध विक्रय किया जाता है। इस प्रकार महिला समिति की प्रत्येक सदस्या औसतन रु. 146.12 का आय अर्जन कर लेती है, जिससे स्पष्ट है कि महिला समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में योजना सफल रही है।
- 18.12.5 **मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में योजना की उपादेयता:** जहाँ तक दुग्ध सहकारी समितियों को अवस्थापना विकास एवं तकनीकी निवेश की सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जैसा कि अध्याय-5 की तालिका 5.6 से स्पष्ट है, महिला डेरी के अन्तर्गत अधिकतर समितियों के पास मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है।
- 18.12.6 **उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना अपने उद्देश्यों, यथा समितियों का गठन करने; पशुपालकों को उचित मूल्य दिलाने एवं महिलाओं को स्वरोजगार एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में सफल रही है तथा इसकी**

अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अनाच्छादित क्षेत्रों में इसका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है।

18.13 निजी दुग्ध व्यवसायियों का सक्रिय होना

18.13.1 न्यादर्श जनपदों में से 4 जनपदों (हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर) में गोपाल जी ब्रांड की उपस्थिति है। जनपद पौड़ी में कोई निजी दुग्ध व्यवसायी उपस्थित नहीं है। पौड़ी को छोड़कर सभी जनपदों में यह बताया गया कि निजी व्यवसायियों की उपस्थिति के कारण दुग्ध उपार्जन में कमी हो रही है। लगभग 94 प्रतिशत सदस्य समिति को 6.38 प्रतिशत केवल निजी व्यवसायियों को तथा 7.45 प्रतिशत दोनों को बेचते हैं (अध्याय-11 में प्रस्तर 11.16.1, तालिका 11.21)।

18.13.2 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपदों में वाह्य दुग्ध उत्पादकों जैसे गोपाल जी ब्रांड्स की उपस्थिति होने के बावजूद महिला समिति के सदस्य अपनी समितियों से जुड़े हुये हैं फिर भी कहीं-कहीं वाह्य दुग्ध उत्पादकों की उपस्थिति से दुग्ध उपार्जन में कमी हो रही है।

18.14 योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के सापेक्ष वेतन आदि तथा योजना संचालन व्यय की स्थिति

18.14.1 न्यादर्श जनपदों में वेतन एवं भत्तों के रूप में राज्य सरकार का योगदान: न्यादर्श जनपदों में राज्य सरकार द्वारा वेतन एवं भत्तों के रूप में औसतन रूपया 0.75 प्रति लीटर का योगदान दिया जा रहा है (अध्याय-6, तालिका 6.5)। परन्तु इसमें जनपद स्तरीय विचलन बहुत अधिक है। जहाँ एक ओर जनपद टिहरी में यह राशि रु.7.12 प्रति लीटर है वहीं दूसरी ओर जनपद नैनीताल में यह धनराशि रु.0.41 प्रति लीटर आती है। अतः जिन जनपदों में दुग्ध उपार्जन कम है उन जनपदों में वेतन एवं भत्तों के रूप में फिक्सड व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रयास किये जायें।

18.14.2 जहाँ तक अन्य मदों में हुए व्यय के सापेक्ष प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन में लागत का प्रश्न है, महिला डेरी द्वारा दुग्ध संघ के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाता है जिसका पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर अनुउपलब्ध होने के कारण इस सम्बन्ध में विश्लेषण करना सम्भव नहीं है।

18.14.3 राज्य स्तर पर वेतन एवं भत्तों के रूप में राज्य सरकार का योगदान: योजना में राज्य स्तर पर वेतन आदि के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में राज्य सरकार द्वारा रु.1.74 प्रति लीटर योगदान दिया जा रहा है (अध्याय-15, प्रस्तर 15.2.2 (अ))।

18.14.4 योजना में राज्य स्तर पर कुल व्यय के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में राज्य सरकार का योगदान: योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर कुल व्यय के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में

राज्य सरकार द्वारा रु.2.13 प्रति लीटर योगदान दिया जा रहा है (अध्याय-15, प्रस्तर 15.2.2 (ब))।

18.15 योजना के संचालन में व्यय की स्थिति

18.15.1 महिला डेरी योजना राज्य में वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ हुई। योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मुख्यतया दो स्रोतों 1) स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम फॉर वूमैन) तथा 2) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई। इसका विस्तृत विवरण अध्याय-15 में दिया गया है तथा संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है—

अ) स्टेप फेज अन्तर्गत प्राप्त एवं उपयोग की गयी धनराशि : इस फेज के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से लेकर वर्ष 2014-15 तक भारत सरकार से रु. 1449.60 लाख, राज्य सरकार द्वारा रु. 229.78 लाख तथा दोनों का अंशदान मिलाकर कुल रु.1679.38 लाख प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग राज्य के दुग्ध संघों में अवस्थापना सम्बन्धी संसाधनों को जुटाने हेतु किया गया, जिससे दुग्ध संघों की आर्थिकता बढ़ी। इस राशि में से रु.10564.97 लाख (93%) का उपयोग किया गया तथा मात्र रु.114.41 लाख (7%) वापस किया गया।

ब) पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में प्राप्त धनराशि : पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से लेकर वर्ष 2015-16 तक भारत सरकार (यूनिसेफ के सहयोग से) से मात्र रु. 21.29 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 3,398.124 लाख तथा दोनों का अंशदान मिलाकर कुल रु.3419.418 लाख प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार से आठवीं से दसवीं पंचवर्षीय योजना के बीच मिली धनराशि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों के गठन में किया गया तथा राज्य सरकार से मिली धनराशि का उपयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से दुग्ध समितियों के गठन एवं वेतन मद में किया जा रहा है। कुल प्राप्त धनराशि में रु.3,209.841 लाख (94%) का उपयोग हुआ तथा मात्र रु.209.564 लाख (6%) वापस किया गया।

18.15.2 योजना के संचालन हेतु वित्तीय स्रोत का वर्तमान साधन: केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बाद किसी भी प्रकार की धनराशि योजनान्तर्गत नहीं दी जा रही है तथा वर्तमान में योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

18.15.3 योजना के संचालन में व्यय के सम्बन्ध में उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्टेप फेज के अन्तर्गत 1994-95 से लेकर 2013-14 तक कुल प्राप्त धनराशि में से 93 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया तथा 7% धनराशि वापस की गयी। साथ ही पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में कुल प्राप्त धनराशि का 94% का उपयोग किया गया तथा 6% धनराशि वापस की गयी तथा 2014-15 से योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

18.16 दुग्ध सहकारी समितियों का सक्रिय/निष्क्रिय होना

18.16.1 इस सम्बन्ध में अध्ययन से निम्न तथ्य उभर कर आये —

- न्यादर्श जनपदों में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत महिला समितियां ही निष्क्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर सम्बन्धित जनपदों के दुग्ध संघों में 25 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं। इससे स्पष्ट है कि महिला डेरी योजना के अन्तर्गत समितियों के सक्रिय होने की स्थिति दुग्ध संघ के सापेक्ष काफी अच्छी है। समितियों के सक्रिय/निष्क्रिय रहने के परिपेक्ष्य में जनपदवार विचलन बहुत अधिक है। जहाँ एक ओर जनपद नैनीताल में मात्र 3 प्रतिशत महिला समितियां निष्क्रिय हैं वहीं दूसरी ओर जनपद टिहरी और हरिद्वार में 24 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं। (अध्याय-4 के प्रस्तर 4.3)
- प्रत्येक न्यादर्श जनपद में प्रतिवर्ष औसतन एक निष्क्रिय समिति को सक्रिय किया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर सक्रिय एवं निष्क्रिय समितियों की स्थिति: महिला डेरी के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुल मिलाकर 1183 समितियों में से लगभग 42 प्रतिशत समितियां निष्क्रिय हैं जिससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर निष्क्रिय समितियों का अनुपात बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में अन्तर जनपदीय विचलन बहुत अधिक है। निष्क्रिय समितियों के परिपेक्ष्य में राज्य के 13 जनपदों में से 8 जनपदों, नामतः उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी टिहरी, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून, में स्थिति अपेक्षतया संतोषजनक नहीं है। यद्यपि असंतोषप्रद स्थिति वाले सभी जनपद पर्वतीय क्षेत्र में हैं परन्तु अति उत्तम तथा उत्तम श्रेणी के जनपद (पिथौरागढ़ एवं चम्पावत) भी पर्वतीय जनपदों में ही हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता समितियों के निष्क्रिय होने के परिपेक्ष्य में जनपदों की भौगोलिक स्थिति कोई बाधा है।

18.16.2 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिन जनपदों में समितियां अधिक निष्क्रिय हैं उन जनपदों के प्रभारियों के साथ उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करके ऐसे जनपदों की समितियों को सक्रिय करने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

18.17 राज्य में दुग्ध उत्पादन हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के एकीकरण तथा एकीकरण के स्वरूप लाभ-हानि

18.17.1 राज्य में मुख्यतया दो स्रोतों नामतः उत्तराखण्ड दुग्ध सहकारी संघ एवं महिला डेरी योजना के अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन होता है। हाल ही में डेरी योजना के अन्तर्गत गंगा गाय महिला डेरी योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत पात्र महिलाओं को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वस्तुतः महिला डेरी द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं संग्रहण में दुग्ध संघ के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत उपार्जित दुग्ध अन्ततः संघों को

ही प्रसंस्करण हेतु जाता है। इस सम्बन्ध में जब जनपद स्तर पर यह पूछा गया कि ऐसे कौन से लाभ हैं जो महिला डेरी के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में नहीं मिलते हैं तो सभी जनपदों में दुग्ध मूल्य का भुगतान केवल महिलाओं को होने तथा प्रशिक्षण की सुविधा का हवाला दिया। कुछ जनपदों में उन सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया जो दुग्ध संघ के अन्तर्गत ही मिलते हैं। महिला डेरी योजना को अन्य योजना में समाहित करने के विषय में न्यादर्श जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों की सोच मिली—जुली पायी गयी, जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि या तो परियोजना को संघ में समाहित कर दिया जाय या इसकी अलग से संगठन संरचना तैयार कर महिला डेरी के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष रखा जाय।

18.17.2 उपरोक्त पृष्ठभूमि में दो विकल्प सम्भावित प्रतीत होते हैं, 1) महिला डेरी योजना को दुग्ध संघ में विलय कर दिया जाय, 2) महिला डेरी को स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाय। जहाँ तक योजना का संघ में विलय का प्रश्न है इसके विभिन्न लाभ हो सकते हैं जैसे, संघों को अतिरिक्त मानव संसाधन की उपलब्धता, अनुभवी कर्मचारियों की उपलब्धता, संघों का योजना पर सीधा नियंत्रण एवं प्रबन्धकीय सुविधा, लेखे—जोखों का एकीकरण, आदि। परन्तु योजना का संघों में विलय होने से महिलाओं को अलग से पहचान नहीं मिल पायेगी जो कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का प्रमुख मुद्दा है। जहाँ तक महिला डेरी योजना को स्वतंत्र रूप से बनाये रखने का प्रश्न है इसके निम्न लाभ परिलक्षित होते हैं—

- महिला डेरी में समितियों का स्थायित्व दुग्ध संघ की समितियों के सापेक्ष अच्छा है।
- इस योजना से अधिकतर ऐसी महिलायें जुड़ी हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से निम्न स्तर की हैं।
- वर्ष 2006 में प्रदेश में महिला डेरी विकास परियोजना के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए सचिव पशुपालन एवं डेरी विकास की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना को मूल ढांचे सहित वर्तमान स्वरूप में ही नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, हालाँकि इस पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।
- राज्य में कृषि एवं पशुपालन का भार मुख्यतया महिलाओं पर ही है। साथ ही जंगली जानवरों एवं बंदरों से चौपट हो रही अर्थव्यवस्था को दुग्ध उत्पादन/पशुपालन से ही सम्भाला जा सकता है, जिसके लिए महिला डेरी योजना एक उपयुक्त मंच होगा। अतः उन्हें प्रेरित कर डेरी उद्योग से जोड़कर जी.डी.पी. में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
- महिला सशक्तिकरण विभिन्न विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इस पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अत्यधिक बल दिया जा रहा है। यों भी राज्य में इस योजना के साथ 1183 महिला सहकारी डेरी समितियों के माध्यम से 42000 से अधिक महिलायें जुड़ चुकी हैं तथा इसमें आपार सम्भावनायें हैं।

- 71 प्रतिशत समितियों ने योजना को पूर्णतः सफल तथा 25 प्रतिशत ने आंशिक रूप से सफल बताया अर्थात् योजना की सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक है। 59 प्रतिशत समितियों के विचार से योजना महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सफल रही है।
- महिला डेरी से जुड़ने के फलस्वरूप अनेक महिलायें ग्राम प्रधान, बी.डी.सी. मैम्बर, आदि बन चुकी हैं तथा वे घरेलू व्यवस्था एवं आर्थिक निवेश के बारे में स्वयं निर्णय ले लेती हैं।
- महिला डेरी के अन्तर्गत गठित लगभग सभी समितियों ने विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत लाभ अर्जित किया।

18.17.3 उपरोक्त से स्पष्ट है कि महिला डेरी में समितियों का अधिक स्थायित्व; योजना से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि; योजना से जुड़ी महिलाओं की संख्या; योजना के फलस्वरूप महिलाओं द्वारा किये जा रहे आर्थिक अर्जन; योजना की सफलता के बारे में विभिन्न सहभागियों की सकारात्मक सोच; महिला सशक्तिकरण पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे विशेष बल; कृषि एवं पशुपालन का भार मुख्यतया महिलाओं पर होने, आदि को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि महिला डेरी योजना को स्वतंत्र रूप से चलाया जाय एवं इसकी संगठन संरचना अलग से बनाकर दुग्ध उत्पादन एवं उपार्जन में महिलाओं का सहयोग लिया जाय।

18.17.4 उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत महिलाओं को विशिष्ट लाभ देने का प्रावधान किया गया है, इससे योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाय तथा नई समितियों के गठन हेतु अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था की जाय।

* * * * *